( हिन्दी भाग २ प्रश्न और खोक

ख डए मभा ला सत्न 1 वृत्तान्त २ै% !0.0ख़2:7!(3 संस्करण ) त्तर से पृथक् कार्यवाही 'फ़०

घृत्तान्त ३९३ यक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेंदित में, विचार किया जायें १ सदन ने देखा होगा कि रिपोर्ट के साथ बंहुत सारी असहमति टिप्पणियां लगाई " हें 1 प्रवर सर्मिति के बारे में यह कुछ दिचित्र सा अनुभव हं साधांरण तौर से नियम् यहीा हैर्कि जब कोई विधयक प्रवर सर्मित को सौंपा जाता हतो ऐसा समझा जाता हॅ वि सदन विध यक के सिद्घान्त से सहमत हॅ, केवल् उसके विवरणात्मक मामलों की ही छान बीन की जानी ह ' इस विशष मामले में उ माननीय सदस्यों ने, जो समिति के सदस्य बने, इस सदन में यह कहा कि॰वे इस विधेयव के बिल्कुल विरुद्ध हें॰ उसके सिद्घान्त से भ सहंमत नहीं हें| अतः उनके सन्तुष्ट न हा पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ होग ओर न हा हो सकता हं | अध्यक्ष महोदय में एक बात सा कर देना चाहता हूं विधेयक के प्रवर सर्मिति को सौंपे जाने से सम्बन्धित प्रस्त पर विचार समय इस ओर ध्यान दिलाय गया या कि कुछ सदस्य अपने आपको इ विषय में बाध्य नहीं समझते हें ओर वे इ विध यक के सिद्घान्त पर ही पूर्णं रूप से संहम नहीं हें | मेंन उस समय बताया याकि भ= ही कुछ सदस्य सहमत न हों परन्तु जहां त सदन का सम्बन्ध है प्रस्ताव के स्वाकृत जाने पर, सारे सदन को विधयक का सिद्धान मानना होगा और उस सिद्धान्त पर फिर बहस शुूू करने का कोईं प्रश्न खडा से पृयक होते

३९३१ लाक सभा शुऋरननार, 9 अगस्त १९५२ प्दन की बैठक साढ़े आठ बजे समवेत हुई अध्यक्ष महोदय अ६क्षन्द पर आसीोन थे ] प्रश्न अोर उत्तर प्रश्न नहीं थे भाग ? प्रकाशिंत नहों हुआा ) अग्रिम सौदे (विनियमन ) सम्बंधी विधेयक वाणिज्य त्था उद्योग मंत्रीो श्री टो॰ टो॰ कृषगमा चारों मं प्रस्त्ताव करता कि एक्र विशयक को पुरःस्थापित करने गो अनुमत्ति दी जाय जिसमें अःग्रिम सौदों से पम्ब्रन्धित कुछ मामलों को निरयमित करने माल के सम्ब्रन्ध में विकल्प का प्रतिषध करने तथा उस से सम्बान्धित मामलों को व्यवस्था फो गई हॅं | अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया श्री टी॰ टीं॰ कृष्ण माचारीं में विधेयक फो पुरःस्थापित करता हूं निवारक निरोध ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक गृह कार्य तथा राज्य मंत्रो ( डा० गोटजू ) : में प्रस्ताव करता हूं : ४कि निवारक निरोध अरधिनियम, ९५० में अग्रेतर संशोघन करने वाले विघ- ५१६ ?$२

७० +५ - होगा इस िशेष मामले में अंतर केवल यही हँ कि सदन ने प्रवर सरमिति को संशोधन विधे- यक के खंडों पर ही विचार करने का अधि- कार नहीं दिया उसे मूल अधिनियम को सारी धाराओं को भी छान बीन करन का अनुदेश दिया था | इसका यह अर्थ नहीं कि अधिनियम के सिद्घान्त परभी आाज बहस झा जा सक्ता ह डा० काटजू : मैं औौर सारा पदन इस विषय को स्पष्ट करने के अंपका ङाभारा है 1 में तो केवल यही कहन` जा हा था किजंो माननीय सदस्य उस आधार वेशे ष पर प्रवर समिति में गये , वे संतुष्ट नहीं ो सकते थ चाहे कितनी ही रियायतें क्यों न र दो जातों | वे खुले तौर पर कहते य वे विघेयक का विरोध करते हें और दे ध यक में सुधार करने के नहों गये हें रन् उत्ज्ो प्रभात्रहीन बनाने के गये सो॰ चटर्जी ( हुगली ) : श्रीमान् , न इत बातों का विरोध करते हें | प्रवर ामिति क सा२े सदस्यों का रवंया एसा नहीं -ः यह बात हमारे कहना उचित हीं अध्यक्ष महादय उन्होंन यह बात छ सदस्यों के कहो हॅं | श्रीं एन॰ के० गोपालन ( कन्नानू र ) मेरा ी यहो कहना हं ्कि यद्यप विधयक [ सदन म विरोध किया था परत्तु प्रवर- मिति में हम उसनें कुछ सुधार और संशोघ न रने के विचार से शामिल हुए थे हमार' ास संशोषन यह था यांद निवारक- रोध को प्रथोग नें लाया जाये तो ऐसा केत्रल कट स्थिति में ही हो| जो भी संशो- 7 रखे विधेयक म सुधार करने के विचार अपितु श्रामान , लिए लिए लिए श्रा एन॰ लिए लिए हमने हभने

डप॰ काटजू में केवल एक बात कहना चाहता हूं जिससे मुझ र्फिर वही बात बार दहरानों न पड़े | ्यादि किसी भी माननीय सदस्य न` बीच में बाधा डाली तो मं यह सम झूंगा कि जो चीज में कह रहा हूं वह उनवे बारे में ही ठीक उत्तरती हॅ ' अध्यक्ष महोदय : बात् को ज़्यादा बढ़ाया जाय यदि माननीय मंत्री इसी तर से बातें कहेंगे तो दूसरीं ओर से भी ऐसा ह उत्तर िलेगा 1 में सदन से अपील करत वह विधेयक के इतिहास में न जाक उसके वर्तमान रूप पर िचार करे | डा0 श्रीमान् , आपने जैस कहा अब मैं सीोध विधयक को मुख्य बातों प हा आता हू | सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर मतभे रहा हं वह िधयक की अवधि के सम्बन्ध हॅ| िधयक में जंसा कि मेंन उसे मू लरूप में प्रस्तावित किया था, यह उपबन्ध था वि यह दो वर्ष तक यानी ?९५४ तक लागू रहे में इसे १ अक्टूबर १९५४ कर सकता था परंत इस विधेयक के सदन का सत्र अगस्त सितम्बर में फफिर बु लाना बहुत असुविधाजनक होगा इसलिए हमन इसमें ३१ िसम्चर १९५४ हो रखा हॅ च तो, प्रवर सभमिति में भभिन्न भिन्न प्रकार के संशोधन आये | एक मत यह भी था कि विधेयक की अवधि केवल तीन महीने हा रखी जाये याना ३० सितम्बर से ३१ दिसम्बर १९५२ तक रखी जाये ओर ऐसे संशोधन भी थाकि अर्वाध को १९५५ १९५६ १९५७ तक बडा दिया जाये , यहां तक कि १९५८ तक का भी एक सुझाव था बढ़त सोच विचार के राद प्रवर सर्मिति ने हूं कि काटजू लिए दूसरी बढ़ान

१९ " 4२१ फ५" <+ विश्वास दिलाता हूं कि॰में यह सब बातें पूरी जिम्मेदारी के सः्थ कह रहा हूं| हम जानते हैं कि विभिन्न लोगों नें किस किस तरह की विचार धारायें काम कर रही हं औरवे किन किन भावनाओं से प्रभावित हो रहे हैं | जैसा में कह चुका हूं यह अर्धिनयम किसो राजनैतिक दल का िरोध करन के नहों बनाया गया हॅ | यह केवल एक हो चीज को ध्यान मं रखकर बनाया गया हयानीो संविधानके अन्तर्गत जिन जिन बातों के निवारक निरोध की अनुमति हो उनको सदा ध्यान रखा जायगा प्रवर्मति नें एक सुझाव विधेयक वे ८ं र्यक्षत्र को कम करने का था | में किस प्रकार का आरोप नहों लगाना चाहता पर सदन को शायद यह सुनकर आश्चर्य होग ि संविधान के अन्तर्गत निवारक निरो= कई कार्यों के काम लाया जा संकता है इनमें से मुख्य यह हें सार्वजनिक शान् बनाये रखना, सारभूत्त प्रदायों का संरक्ष और विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बना रखना एक सुझाव यह था कि इन को हटाकर केवल दो कार्यों के निवार निरोध होना चाहिए --एक ती राज्य सुरक्षा के ओर भारत के बच के सार्वजननिक शान्ति बनाये के ललिय या समाज विरोधी कार्य वाहियों रोकने के लिए अथवा सारभूत प्रदायों सेवाओं के संरक्षण के ललिये ननिवारक निर नहों होना चाहिए | वे कहते थे यह सब नहों चाहते " मैं यह नहीं कहूंगा कि उस विशेष सं को किसने प्रस्तुत किया जब संशो सामने आयेगा तो सदन को पता चल जायेग हमारी राय में तो यह कहना निरर्थक है कि निवारक निरोध अधिनियम के संविधि पुर में रखना तो चाहते हें परन्तु हम बहुत ज़= लिए लिए लिए लिए दूसरे लिए लिए कि, 'धन

ँ~फ५न फ ५ ९म -" ही रहन दिया जाय | मं सदन से कहूंगा प्रवर समिति न यह निश्चय ठीक ही किया मैं विधयक क सिद्धान्तों को चर्चा करके सारी बातों में न जाऊंगा परन्तु मैं सदन यह अवश्य कहूंगा कि वह विश्व की |स्थिति भारत के अन्दर और उसके बाहर को -ति को अच्छो तरह देख और समझ ारे चारों अोर की सि्थिति खत्तरे से भरी ईहं ! में फफिर से यह कहूंगा कि इस विधयक - एक वर्ष तक या दो वर्ष तक बढ़ान इस स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहों डता | जहां तक मं देखता हूं हम यह शा नहों रखते कि अगले दो वर्षों में विश्व ी या भारत की स्थिति में कोई विशेष पररि- र्तन हो जाये गा सदन इस बात को सदा यान म रवेगा यह अधिनियम एक अवक- ७ रया अननिवार्य अधिनियम नहों हॅ | यानो { सा नहों है कि चाहे स्थिति ठीक हो या . बुरी इस अधिनियम का पालन करना हा हागा आज भी कई एसे राज्य हैं जहां एक भा ठ्ग्क्त िरुद्ध नहों हं! हम यह आशा करते हॅकिधीरे धीरे स्थिति में सुधार हागा; स्थिति के सुधर जान पर इस बात से | राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार से अधिक और कोई प्र सन्न नहों होगा कि यह अधिनि- यभभ वेते भरे हो लागू रहे पर्तु इनका अगले दा वर्षों में कोई काम न पडे़े परन्तु हमें वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना होगा; यद्यपि कुछ परिस्थितियों के कारगस्थिति में ्फिर भी चारों ओर कुछ सुधार का॰फो खतरे दिखाई दे रहे हैं | में यह कहन को स्थिति में नहीों हूं और न ही मैं यह कहना ्कि सरकार को समय समय पर, चाहता हू लगभग प्रत्यक सप्ताह कैसी कैसी सूचनायें मिलत्ा ह | हम इन्हें सुनकर चुपचाप नहों बॅठ रह सकते | में किसी की भावनाओं को बढ़ाने हमारे हुआा हॅै ,

ओर इसमें देर करने के लिप कहा जाता है | सदन को पता होना चाहिए कि हमा जिलाधीश छोटे मोटं अधिकारी नहों हें मुइ उत्तर प्रदेश के बारे में अधिक पता हे| वह जनसंख्या ६२० लाख है जो ५२ जिल में बंटी हुई है और वहां कुल ५२ ज़िलाधी२ हैं अतः औसतन हर एक ज़िलाधीश लग भग २० लाख की देखभाल करता है | द अपने जिले के शासन का उत्तरदायी होता और वहां पर सामान्य को जैर दण्ड प्रक्रिया संहिता और अन्य प्रशासनिक क़ानूनों को करने का कम भी उसी का होता है 1 किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किये जाने की शंका होन पर वह पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से उसे गिरफ्ता करने के कह सकता है | वे और पहली श्रेणी के मजिस्ट्रेट भी॰ - सभाओं आदि पर रोक लगा सकते हें | इस तरह उनको कई अधि कार प्राप्त हें अब,यह सोचना कि एक ज़िला धीश इस अधिनियम के अन्तर्गत ठीक त्रह काम नहीं कर सकता और उस पर इस अधि नियम को लागू करने के बारे में विश्वास नही किया जा सकता गलत बात है यह विचार भावुकता पर निर्भर है | मेरा निवेदन है कि हमारा अभिप्राय उन लोगों को और अधिक अधिकार देने का नहीं है परन्तु हम चाहते हैं कि अधिनियम के ठःक प्रकार से लागू होने में किसी क़िस्म की रुकावट या बाधा न हो उदाहरण के लिए॰ उत्तर प्रदेश तक में ऐसे ज़िले हें और उड़ीसा में भी हें जहां कि मीलों तक संचरण का कोई साधन नहीं है | उड़ीसा मेंतो कहीं कहीं सड़कें भी नहीं हें | राज- स्थान में ही आप बीकानेर, जेसलमेर और अन्य सीमावर्त्ती क्षेत्रों को ले लीजिए स्थिति चाहे जब बिगड़ सकती है | जोशीले भाषण दिये जा सकते हें और लोगों को हहिसा- दूसरी कानूनों लागू लिए

चाहते हैं | खैर, प्रवर समिति इस निश्चय पर्पहुंची कि दो वर्श तक तो निवारक निरोध अधिनियम संविधान पुस्तक में रहना ही चाहिए मेरा निवेदन है कि इसमें का बहुत सा समय लग जाता है | हमारा यह सदन यहां है ही और सरकार लोक सभा के प्रति उत्तरदायी भी॰ है | संविधान में ऐसा दिया ही हुआ है और सदन के सारे सदस्यों को किसी भी समय एक संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार है कि सदन की राय में अधिनियम को निरसित कर दिया जाये| उस संकल्प के द्वारा वे छः महीने, १२ महीने या १८ बाद अपनः म॰ प्रकट कर सकते हैं 1 मैं समझता हूं यदिवे ऐसी राय प्रगट रें या विरोधी पक्ष संकल्प द्वारा इस मामले पर बहस करने की इच्छा प्रगट करें तो सदन की राय मालूम करने के पूरी सुविधायें दी जायेंगी च परन्तु थोड़े थोड़े दिन बाद या हर साल इसी विषय पर बहस करना ठीक नहीं जंचता इसलिए बात दो वर्ष फी है | बात, जिस पर विचार किया गया या, यह थी कि कार्यवाही आरम्भ करने का अधिकार किसको हो| केन्द्रीय सरकार को ो तो कोई आपत्ति नहीं, राज्य सरकार को ो तो कोई आपत्ति नहीं + सारा झगडा यह ग कि िलाधीशों और अतिरिक्त जिला- गीशों को--्सारे अतिरिक्त जिलाधीशों॰ को १हीं, केवल उन्हीं को जिन्हें राज्य परकारों ने अधिकृत किया हो कार्यवाही रने का अधिकार होया न हो ऐसा कहा या थाकि॰ ज़िलाधीशों पर विश्वास नहीं जा सकता ; उन्हें इतने सारे अधिकार हीं दिये जाने चाहियें एक ओर तो नवारक निरोध अधिनियम का उदेश्य ही ह देखना है कि समाज विरोधी कार्यवाहियों गे खत्म कर दिया जाय और सारभत प्रदायों संसद् महीने लिए पहली दसरी कया

जिलाधीश को॰ यदि हम उसे तरदायी बनाते हैं॰ वहां एकदम कार्यवाही रनी होती है | जिस संशोधन का सुझाव दिया गया था सके अनुसार ज़िलाधीश को स्वयं कुछ कदम ठाने के बजाय रिपोर्ट करने के कहा या है | और गृह मंत्री की योग्यता में, सकी न्यायिक एवं प्रशासनिक योग्यता था निस्पक्षता में प्ूरा विश्वास प्रगट किया या था उस पर विश्वास प्रगट किया यां था कि वह बहुत उचित आदेश जारी रेगा | उस एक प्रकार से बिल्कुल लार्ड वीफ़ जस्टिस समझा गया था ! अतः उनका हना था कि जिलाधीश को चाहिए कि गृह मंत्री को रिपोर्ट करे | स्थिति वहां कॅेसी भी ो, ज़िलाधीश फो सारे मामले की रिपोर्ट रनी चाहिए और फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए च गृह मंत्री बिचारा चाहे दौरे पर हो परन्तु उसके आदेशों की प्रतीक्षा की जानी चाहिए | वहां, दंगे और झगड़े होते रहें पर इससे कुछ नहीं, बिना मंत्री महोदय के आदेशों के कार्यत्राही नहीं की जानी चाहिए में कहता प्रवर समिति की यह बात बिल्कुल ठीक थी कि ऐसी प्रक्रिया अपनाना होगा 1 मैं फिर से अतिरिक्त ज़िलाधीशों के बारे कहना चाहता हूं | मुझ दूसरे राज्यों के बारे में पता नहीं, केवल उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा के बारे में मुझे ज्ञान हॅ | हर जगह अतिरिक्त ज़िलाधीश एक वरिष्ठ अधिकारी होता है॰ मामूली मजिस्ट्रेट नहीं होता जोजो काम उसे सौंपा जाता है उसे जिलाधीश के बराबर ही अधि- फार होते हें | इसके अलावा साव- धानी यह बरती गई है कि इन अधिकारों का 7गा =ती अरतिरक्न जिलधीइ झरेगए जिस लिए हूं कि अनुचित में कुछ उसमें दूसरी

सलसल म चुन" 4 विशेष रूप से अधिकृत करेगी सदन को यह भी पता होगा कि बहुत से राज्यों में जैसे हैदराबाद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका सम्बन्धा कार्य पृथक पृथक् अधिकारियों द्वारा किये जाते हें जिला मजिस्ट्रेट न्यायपालिका सम्बन्धः प्रशासन का प्रभारी हाता है और जो व्यक्ति कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य का प्रभारी होता है उसे कलड्टर कहते हें अन्य राज्यों में भी जहां न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक् पृथक् हें॰ ज़िला मजिस्ट्रेट को केवल न्यायिक अधिकार ही हैं | इस हमें इस बात को भी घ्यान में रखन हलगा अब एक और महत्वपूर्ण संशोधन आता है पहले, १९५१ के अधिनियम के अन्तर्गत यद् जिला मजिस्ट्रेट आदेश जारी करता था त उसे राज्य सरकार को केवल सूचना देनी होती थी 1 उसे केवल राज्य सरकार की सूचना के लिए ही रिपोर्ट देनी होती थी और यह राज्य सरकार की इच्छा परथा व उसमें हस्तक्षेप करे या न करे | अधिकत वह सोचती थी कि मंत्रणा परिषद् तो होग ही, जैसे आदेश हैं उन्हें ही चलने दो| अ उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क दिया है | हमने विधेयक में यह परिवर्त किया था और प्रवर समिति में हम उसमें कुछ अदल बदल की है | जेसा विधेयक बनाया गया था उसके अनुसार जिल मजिस्ट्रेट को यह अनुदेश दिया गया था वह राज्य सरकार को फौरन रिपोर्ट करे अ साथ सारे सम्बन्धित कागजों को भेजे कि क ग्रह आदेश जारी किया गया कागज़ों निरोध के कारण भी दिये जाने ज़रूरी थे और राज्य सरकार के लिए पन्द्रह दिन के अन्द आदेश का स्पष्ट रूप से॰ अनुमोदन कर ज़रूरी थाः यहां पर गृह मंत्री आता है +फ [ थफा= उा्ई गर्रद फ मग ॰ हमने

माननीय सदस्थो के जिन्होंने यह दृष्टिकोण रखा या विचार को दृष्टि में रखकर मान गया था कि अवधि १५ से घटा कर १२ दिन कर दी जाये | स्थिति यह हुई कियातो १२ दिन के अन्द आप आदेश को स्वीकृत करवा लें या फिर उस आदमी को छुट्टी हो जायेगी | मेर निवेदन है कि इससे अधिक उचित रस्त नहों अपनाया जा सकता हे | हमें क़ानून तोड़ने वालों के प्रति बहुत अधिक उदार नह बनाइये बहस के दौरान में एक माननीय सदस्थ ने उन लोगों का जिक्र किया जो सामन आते नहों हैं पीछे से लोगों को हें जलूस निकलवाते हैं और क़ानून भंग करवाते हैें 1 उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही होनी ही चाहिए 1 यदि ये लोग पांच या छः दिन वहां रहेतो इससे कोई नुक़सान नहीं होगा अब अगली बात लीजिए विधयक में कहा गया था कि ज्योंही राज्य सरकार ऐसा आदेश जारी करे या किसी ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश को मंजूर करे उसे उसकी एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए | में संदन को याद दिलाढूं कि ऐसा केवल केन्द्रीय सरकार के ही होगा क्योंकि में यह नहीं चाहता कि केन्द्रीय सरकार का इस मामले में अधिक भाग हो शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना, सारभूत प्रदायों में गड़बड़़ न होने देने आदि की ज़िम्मे- दारी राज्य सरकारों की है | में उसमें हस्त- क्षेप करना नहीं चाहता हूं॰ न ही मैं चाहता हूं कि यहां एक बराबर का मंत्रणा पर्षद् स्थापित कर दिया जाये आपको यह याद रखना चाहिए कि जब राज्य सरकार इन सारे आदेशों को केन्द्रीय सरकार के सूचनार्थ भेजेगी तो साथ साथ यह कागजनात मंत्रणा परिषद् के पास भी भेजे जायेंगे 1 हम यह नहीं चाहते कि॰ एक सामानान्तर पर्षद् स्थापित करके हम मेत्रणा पर्षद के फ़ार्य में बाधा भड़काते सूचनार्थ डालें

मजिस्ट्रेट पूरी जानकारी न दे| विधेयक के अनुसार उसे वही क़ागज़ भेजने चाहियें जिसमें दिया गया हो कि आदेश क्यों जारी किया गया प्रवर समिति में भी यह बात उठाई गई 1 अतः यह परिवर्तन किया गया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट को, निरोधं के कारणों के सहित सारे सम्बन्धित कागज़ात भेजने चाहिएं और मुझे विश्वास है कि यदि उस समय तक यानी पांच या सात दिन के अन्दर निरुद्ध व्यक्त अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर देता है तो मजिस्ट्रेट उसे भी भेज देगा | इसके बाद समय अवधि का प्रश्न आया किसी ने कहा यह तीन दिन होनी चाहिए किसी ने कहा पांच दिन | प्रवर संर्मिति में मैँने यह कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट इसे फ़ौरन देगा 1 वह पांच या सात दिन के अन्दर भेज देगा 1 परन्तु आपको राज्य सरकार को विचार करने के समय देना होगा उन्होंने कहा कि इस पर कोई भी, चाहे सचिव, या उप्सचिव या अवर सचिद विचार कर सकता है | मेरा निवेदन है कि जब राज्य- सरकार शब्द कहे जात्ते हैेंतो यह समझ लेना चाहिए कि वह मामला किसी मंत्री तक चाहे तह मुख्य मंत्री हो या गृह मंत्री- मैं ठीक- ठीक नहीं कह सकता क्योंकि विभिन्न राज्यों में मंत्रियों के नाम भिन्न भिन्न प्रकार से लिये जाते हैं पहुंचता है और वहीं उसका निपटारा होता है| मुझे विश्वास है कि प्रत्येक राज्य सरकर इस बात कोदेखेगी और अनुदेशों द्वारा इसको करवायेगी किजब कभी किसी ज़िलामजिस्ट्रेट से इस प्रकार का कोई मामला प्राप्त होतो उसके द्वारा की गई सारी कार्यवाही पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार होगा यानी उसकी ओर से किसी मंत्री द्वारा इसको निपटाया जायेगा, फिसी सचिव या अपर सचिव द्वारा नहों समय अवधि ऊम फर दी॰ गरई पर आ्यादा ओर लिए में इस

यह है कि न्द्रीय सर्कार के पास क़ागज़ात केवल सूचना लिए आते हें ताकि उनके पास उनका भिलेख रहे और सारे मामले के बारे में ीक ठीक और अधिकृत सूचना रहे | अनु- चत या अनधिकृत निरोध के प्रश्न पर चर्चा रते समय मैं यह भी कह दूं कि प्रत्येक राज्य ठी और यहां की सरकार विधान मंडलों में अपने बचाव के सदा तैयार है दस्य कई तरीक़ों से जानकारीं प्राप्त कर कते हैं, अल्प सूचना प्रश्न द्वारा, स्थग 7 स्ताव ढवारा या दीर्घ सूचना प्रश्न द्वारा जब कभी कोई व्यक्त किसी िला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नज़रबन्द किया जाये तोइस सदन के या राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को इस बारे में प्रश्न उठाने का अधिकार है | हर एक सरकार इस मामले में ज़रूरत से च्यादा सावधान रहेगी किजो आदेश जारी किया गया है वह उचित है या नहीं अध्यक्ष महादय : बात स्पष्ट फर दूं | हर एक मामले में इस सदन में प्रश्न या प्रस्ताद को अनुमति नहीं दी॰ जा सकती 1 केवल राज्य के विघान मंडलों में इन प्रश्नों को उठाया जा सकता हे | यहा उन मामलों को उठाया जा सकता है जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार ने आदेश जारी किया हो डा॰ काटजू \* में क्षमा चाहता हू जब मैंने लोक सभा कहा तो मैं राज्य विधान मंडलों को भी उसमें शामिल करना चाहता था-- रयहां के विधान मंडल कोऔर राज्यों के विधान मंडलों को भीं | यदि आदेश केन्द्रीय सरकार कीं ओर से हो॰ तो को यहां उठाया जा सकता हॅ | हर जगह राज्य विधान मंडल है और वह् इस मामले # मडत्व केप्रति पर्याप्न रूप से सावधान = लिए रहती में एक मामले

जाना चाहिए | हम इस समय अवधि को कम करके जल्दी निबटारा करने के पक्ष में थे | वह अवधि ६ सप्ताह से ३० दिन हो गई है | इसके बाद मंत्रणा पर्षद् की रचना आती है 1 संविधान में ऐसा दियाा गया है ्ि इसमें तीन श्रेणी के न्यक्ति लिये जा सकते हैं : या तो उच्च न्यायालय के न्यायधीश या उच्च न्यायालयों के सेवा न्याय धीश या वे व्यंक्ति जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बनने के योग्य हों | तीसरी श्रेणा में दस वर्ष का अनुभव रखने वाले एड वोकेट रखे जा सकते हैं या वे न्यायाघीश रखे जा सकते हैं जो उच्च न्यायालय के न्याया- धीश बनने का योग्यतायें रखते हों | दो महोने हुए मेंने विभिन्न राज्यों के मंत्रणा पर्षदों के सदस्यों कीं एक परिचालित कीं थो | आप देखेंगे ि बहुत से राज्यों मे मंत्रणा पर्षद् में य तो सारें सदस्य उच्च न्याया लय के न्यायाधीश हें या कम से कम एक हैॅ हा | कई राज्यों में दो न्यायाधीश हैं कुछ छोटे राज्यों में ऐंसे लोग हें जो न्यायाधीर बनने कीं योग्यता रखते हें 1 एक इच्छ प्रगट को गईथी किं उसमें एक वरिष्ठ व्यवि होना चाहिए और वह उच्च न्ययालय न्यायाधीश हाना चाहिए हमने क बहुत अच्छा हभ ऐसा परिवर्तन कर देंगे प्रवर समिति ने सिफ़ारिश को हॅकि मंत्रण पर्षद् का अघ्यक्ष या तो उच्च न्यायालय न्यायाधीश हो या वह न्यकि्त हो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह हो 1 मैं जिस बात को ध्यान में रख था वह यह॰थी कि अघ्यक्ष एक बहुत विद्व और अनुभवी व्यक्ति हो 1 ऐसा व्य= या॰तो उच्चन्यायाल्य का सेवानिवृत न्याय ध३ा या सेवायक्न त्यायाधीा =ो सक्ता निवृत सूची मौजूदा

उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश बहरी दबांव में नहीं आने लगता या पक्षपात नहीं करने लगत्ा मैं जानता हूं किः उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश सचाई एवं ईमानदारी का प्रर्तीक होता है 1 अतः यह संशोधन कर दिया गया है | शेष दो सदस्य, संविधान के अनुसार, यःतो उच्च न्यायालय के सेवा- युक्त न्यायाधीश हो सकते हैं याः सेवानिवृत्ति न्यायाधीश या दे व्यक्ति हो सकते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों | इसके बाद, एक बात मैंने सोची कि यहां भाग ग राज्य हैं जो बहुत छोटे छोट हें 1 वहा उच्च न्यायालय नहीं है इसलिए वहां एक॰ न्यायाधीश का अघ्यक्ष बनाना बहुत कठिन होगा अतः प्रवर समिति ने सुझाव दिया है कि भाग ग' राज्यों के बारे में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करके मंत्रणा पर्षद् को इस प्रकार बनाय जिससे हर एक भाग ग' राज्य के हर एक मंत्रणा पर्षद् का अघ्यक्ष पड़ौसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो | बात प्रगट करती है कि हम मंत्रणा पर्षद् कहे एक पूर्णतः स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निकाय बनाने . र कितने उत्सुक हैं 1 इसके बाद अवधि का प्रश्न आता है और ह बात आती है कि मंत्रणा पर्षद् के सामने या चाज़ अये सदन काो स्मरण हागा क १९५० से, जब पहला अधिनियम लागू आ था, मंत्रणा पर्षद् के सामने मामला उस मय आतः था जब लोगों के खिलाफ़ समाज वरोधी कार्यवाहियों जेसे माल इकटठा रके लाभ चोरबाज़ारी करने , या ंचरणन्साधनों और सारभूत प्रदायों मे गड़- ड़ डालने केलिए आदेश ज़ारी िथे जाते हमारे लिए लूटने,

तथा मंत्रणा पर्षद् के साभने मामला न्ह आता था 1 गत वर्ष एक संशोधन किय गया और उसके अनुसार हर मामले क मंत्रणा पर्षद् के सामने भेजा जांना था 1 परंत यह कहा गया कि मंत्रणा पर्षद् कागज़ प ही मामले का फ़ैसला कर देगा; वह अगर चाहे तो विरुद्घ ग्यक्ति को बुला सकता है इस वर्ष हम अपने अप और आगे बढे और हभने कहा कि यदि निरुद्घ व्यक्ति चाहता कि वह स्वथं मंत्रणा पर्षद् के सामने जा क अपनाः हाल तो उसे यह अधिकार चाहिए | में समझता हूं और मैंने यह सोच कि॰ यह बहुत बड़ा अधिकार है त्रवर समिति में और यहां वादविवाद में इस पर बहुत कुछ बहस हुई और उन्होंने कहा कि एक वकील होना चाहिए और गवाहों को का और उनसे जिरह करने का अधिकार होना चाहिए में फिर से यह कहता हूं कि यदि इस प्रकारकी बात रखी जायगी तो कई कारणों से इससे अधिनियम का सारा महत्व नष्ट हो जायेगा यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर निरुद्ध ग्यक्ति को उच्च न्यायालय के त्तीन न्ययााधीशों कोा सेवा का फ़ायदा क्यों उठान दिया जाय 4 उसे एक अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दीजिये , वह गवाहों की जांच करेगा और उनसे कःरेगा अपने मामले कीं तीन न्यायिक अधिकारियों द्वारा जो देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं जांच करवाना एक काफ़ी बड़ा अधिकार है परन्तु कहा, नहीं , नहीं , हम चाहते है कि॰ उनकी जांच हो और उनसे की जाये " अब आगे में जो बातें कहूंगा उससे शायद यहां के कुछ वकील सदस्थयों को बुरा लगे मैं स्वयं एक वकील हू और मैंने बार बार यह कहः है कि वकालत सुनाय होना बुलाने जिरह उन्होंने जिरह

देखना चाहे या उससे पूछताछ करना चाहे मैं यहां पुनः दोहराना चाहता हूं कि नज़ रबन्द के हक़ में यह बुरा करना होगा किः उसे अपने वकील के सा्थ मंत्रणा पर्षद् के सामने जानें को ऊहा जाये - मैं यह मंत्री के रूप में नहीं वरन् एक वकील के रूभ में प्ूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हू | यदि मंत्रणा पर्षद् में उसके कीः ५० प्रतिशत उम्मीद हे तो वकील जाने पर वह ५ प्रतिशत रह जायेगी यह बात आप बिल्कुल ठीक समझिए क्योंकि आपको याद रवना चाहिए कि वहां तीन जज होते हैें॰ वहां न्या- यालय का वातावरण नहीं होता 1 वकील को अपनी बात कहने के अदालती वाता- वरण कीं अवश्यकता होती है | उसे तो बत दा्त में साक्ष्य अधिनियम चाहिए उसकी आदत बार बार यह कहने की होती है॰ ` मुझे इस प्रश्न पर आपत्ति है॰ यह बात संगत हं ओर यह असंगत है "" फिर जिरह होती है और बड़े बड़े न्यायाधीशों को उद्धृत कियाा जग़ता है | ऐसी बातें होती हें परन्तु यहां केवल तीन न्यायाधीश बैठे होते हं 1 यहां प्रचार का मौका नहीं होता इसलिए बिचारे वकील कीं सभद्ष में नहीं अ सकता कि क्पा करना चाहिए| वह कह भ क्या सकता हॅ| कोई उसकी बात पर ताल बजाने वाला नहीं और न ही कोई उस्की बा को अवबारों में देने वाला हैॅ | में कभी सोचता हूं कि यदि अदालतों में रिपोर्टरों न आने दिया जाये तो वहां का काम कभी पीछे न पड़े़े; बल्कि में समझता हूं उसमें कम ही हो सकती है | ख़ंर मैं इस बात और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता | अच्छा आप यह् संोचए कि निवारक निरोध का असली मतलब क्या है यह कोई एक वास घटना तो ोती नहीं िसी ने कोई हत्या कर दी हो या फोई जाल् छूटने लिए दसरे,

फला यह है ि ो वकील हो वह बन्दी के बिल्कुल पीछे प खड़ा रहे और में ज़राभी जिरह करे | मैं यहां नियमों की, या क़ानूनों की " अमरीका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैण्ड तादि के क़ानून सम्बन्धी पूर्व दृष्टान्तों कों चर्चा हीं कःर रहा हूं | हम लोग ऐसा न करके ग़लती कर रहे हैं हालांकि हमें इससे बहुत ठायदा होता है| ख़र, मैं तो सही बात कह हा हू 1 मेरा अनुभव यही रहा है | योंही जज देखता है कि अभियुक्त के पास ला वकील का स्थान खाली है तो उससे न्देह होने लगता हॅं | मैंन स्वयं ऐसा देखा - श्रीमान् , आपको स्मरण होगा कि ण्ड प्रक्रिया संहिता में एक धारा हे जिसकै नुसार फ़ौ ज़दारी के मुक़दमे में हर एक तेशन जज को, चाहे उसके सामने कितने ही वकील क्यों न हों अभियुक्त्त की न्यक्त्िगत रूप से जांच करनी होती है और उसे उस से पूछना होता है किःजो गवाही उसके खिलाफ दी गई है वह ठीक हैे या नहीं | मेरे विचार में यह धारा ३४२ हॅं | इसके अनुसर, इस्तगासे की गवाही के बाद न्यायाधीश महो- दय के अभियुक्त से यह पूछना जूरी हैकि, क्या कहना हे तुम अपने को दोषा कहते हो याा निर्दोष ? अमुक गवाह ने खिलाफ़ ऐसा कहा हे॰ तुम क्या कहते हो ? " इसमें बहुत भर जाते हें 1 और हर एक उच्च न्यायालय के बहुत से निर्णय हैं जिसमें कहा गया है कि यदि यह जांच लापरवाही से की गई हॅ तो सारे परीक्षण में गड़बड़ं हो सकती हॅं और फिर से जांच किये जाने का आदेश दिया जा सकता हैॅ या उस आधार पर अभियुक्त को छोड़ा भी जा सकता 6 ' तो ऐसा उपबन्ध क्यों है ? इसलिए कि न्यायाधीश पोचता है और विधान निर्माता यह सोचते हें कि हो सकता है कि न्यायाधाश अ भियुक्त को, चाहे वह सारी बातों मामले लिए 'अब तुम्हें तुम्हारे से पृष्ठ

फ्तार किया गयाा हाो 1 यह तो एक लम्बी चीज़ होती है | मैंने ऐसी फाइलें देखी हैं जिसमें नज़रबन्द के लिए लिखा गया हैकि तुमने अमुक तारीख को ऐसा भाषण दिया और फिर तारीत को एक और भाषण दिया ; तुम ऐस७ कई महीनों से करते चले अ७ रहे हो | इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि तुम्हें निरुद्घ नहीं किया जाये तो इससे कई बातों को खतरा इस सारे माामले कोः छान ्बीन के सााधा- रण बुद्धि के आदमी को आवश्यकता है॰ कोई की ज़रूरत नहों | आ॰ इसे भीा याद रखें इन तीन योग्य न्यक्तियों से बना मंत्रणा पर्षद् उस व्यकि्त से िलता है और जसा कि अधनियम में दिया गया हं, वह अभियुक्त कॅो बात सुन सकता है ओर हर किसी से॰ पहां तक कि सरकार से भी जेसी सूचना मांगे, ले सकता हॅ | इस प्रकार इकट्ठी की गई सामग्री से हीवे किसी नतीजे पर पहुंचते हैं | उनसे कोई बात छिपाई नहीं जःा सकती | यह ठीक है कि राज्य सरकार नज़रबन्द से कुछ फागज़ात यह कह कर छिपा सकता हैकि॰वे ोपनाय हें रर उनका महत्व इस प्रकार का हैि उन्हें दिखाया नहीं जा सकता परन्तु मंत्रणा पर्षद् से वह ऐसा नहीं कर सकती कसी ने पूछा या कि यदि मंत्रणा पर्षद् कीं यह पांग पूरी न कीं जाये तो क्या होगा 1 मेंने एहा फि इसमें क्या है यदि में मंत्रणा पर्षंद् का प्दस्य होऊं तो मैं कहूंगा "में इस व्यक्ति को छोड़ रहा हूं क्योंकि आप मुझे पूरा सूचना नहों दे रहे हें, शायद ये सूचना नज़रबन्द के इक़ में हों १ सारा मामला वहीं ख़त्म हो जायेगा 1 इसलिए कोई भी सरफार मंत्रणा पर्षद् से कोई सूचना नहीं छिपा सकती मंत्रणा पर्षद् फो यह फहने का अधिकार फ अमफ व्यक्त से भिलना चाहते हे गवह के रूप में नहों या उसन ६७ह चरने तुभने दूसरी पहुंचेगा " लिए जिरह "हम

आम तोर पर ऐसा ख्याल हेकि मंत्रणा पर्षद् नाम की चीज हे, उससे कोई लाभ नहीं होता इस बारे में आंकड़ देख हैं जब सरदार पटेल का अधिनियम यानी पहला निवारक निरोध अधिनियमः पस हुआ थातो मंत्रणा पर्षंद् के पास मामले नहीं जाते थे परन्तु गत वर्ष जब पिछली संसद् ने इस अधि नियम में संशोधन किथा तो मंत्रणा पर्षद् के पार= बहुत सारे मामले लाये जाने लगे|- २२ फर वरी १९५० से ३१ मई १९५१ के काल नें मंत्रणा पर्षंद् ने कुल ४४०० मामलों की जांच का और लगभग १२०० व्यक्तियों को छोड़ा यानी २८ प्रतिशत मामलों में लोगों को छोड़़ा और ७२ प्रतिशत मामलों में निरोध के आदेश फा पुष्टिकरण किया इससे पता घलता हॅ रकि मंत्रणा पर्षद् एक न्यायालय के रूप नें कार्य करता हॅ और उसके पास फ़सले पर पहुंचने के बहुत कुछ सामग्री होती है यदि आप किसीा अपील न्यायालय , जंसे उच्घ- न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स न्यायालय के आंकड़़े देखें त्ो आपको पता लगेगा ि सफल भामलों कीं संख्या अधिक नहीं -यह १५ २० २८ या ३० प्रतिशत फे लग भग होती हॅ | इसी प्रकार, जब हम यहां देख्नते हें कि अधिकतर मामलों में आदेशों की पु्ष्टि ही हुई है तो हम इस नतीज पर हें कि राज्य सरकारें ओर यहां तक कि िला- मजिस्ट्रेट प्ूरी सावधानी से कार्य करते रहे हैं1 २८ प्रतिशत मामलों में॰ प्ूरी सामग्री को देख कर शायंद उन्होंने सोचा होकि चूंकि अब यह व्यकि्त पांच छः सप्ताह से निरुद्घ हैं, इस- लिए अब इसे छोड़ दिया जाना चाहिए या यह सोचा होकि निरोध का आदेश जारी करने का कोई औचित्य न था 1 इसलिए मेरा निवेदन हैकि मंत्रणा पर्षद् का काम बहुत महत्वपूर्ण फाम हैे, इसके अघ्यक्ष के बारे में लिए ; हमने लिए होती पहुंचते

रखना नहीं क्योंकि उनका काफ़ी ख़र्चा होता हैॅ बंग ल में, में समझता हूं॰ एक अभियुक्त पर तःन या चार रुपये प्रति दिन व्यय किये जाते हैं| एक तो राज्य सरकार का पैसा बहुत ख़र्च होता है दूसर वह इस को मोल क्यों ले ? फिर विधान मंडलों के संदस्यः रिश्तेदार और भित्र मंत्री के पास जाते हें ग्रौर कहते हें कि यह व्क्त निर्दोष है इसके बद धारः १४ है जिसके अनुसर ननरबन्द को मौखिक शर्त पर जा सकता है सैकड़ों व्यक्तियों को मौखिक शर्त पर छोड़़ा जाता हं | अत: नि रोध को अधिकतम अवधि केवल अत्यधिक गम्भीर मामलों में ही लागू . होगी ; अन्य मामलों नें नहीं | निरोध की त्रधिकतन श्रवधि के समाप्त के बाद मं बता दूं कि हमने एक बहुत साहसपूर्ण क़दम उठाया है | हमारी बात से बहुत कम राज्य सरकारें हीं ख़ुश होंगी क्योंकि हमने उनसे कह दिया है कि "किसी व्यक्ति को नज़रबन्द करन कीा सामग्री उसके निरोध के साथ खत्म हो जाती है उसको ्फिर से करने के लिये नयी सामग्री चाहिये "" मेरा विचार हे सदन इस चीज़ के महत्व को समझेगा जब यह कहा जाता है कि॰ विधेयक में निवारक निरोध शधिनियम को दो वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था है तो इसमें चिन्ता की कोई बात नहों क्योंकि एक नज़रबन्द का १२ या १४ महीने से श्रधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता भले ही यह क़ानून जारी रहे | उसे तो छोड़ हा दिया जायेगा में सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक नज़रबन्द के मामले पर विचार होता रहेगा 1 यदि ऐसी राय होगी तो हर तीन महीन या छः महीन के बाद उनके माभलों पर पुर्नावचार किया जायगा कछ सदम्यः क सग श॰ = ~ चाहती मुसाबत छोड़़ा होने निरुद्घ

में इस बात को संतवधानी रःखी गई है कि द॰के सामने शमले को ले जाने को अवाधि न्यनतम किया जाये 4 इस प्रकार, णा पर्षद् के पासः कागज़ात ३० दिन के दर चले जाने चाहिएं पर्षद् भले ही में दो लगा दे; पहले वह केवल छः ताह ले सकता था दो महोने इसलिए हैं कि वह इस बीन पूरी तरह से जांच - सकता है, और चाहे तो नज़रबन्द को य" तीनं बार बुला सकता है | अतः में शा करता हूं कि मंत्रणा पर्षद् दो महाने अन्दर किसी फ़ैसले पर पहुंच सकेगा और ` समथ तक मामला अन्तिम रूप से तथ हो य॰ करेगा इसके बादनि रोध कोा अवधि का प्रश्न य॰ा प्रस्ताव किथा कि मंत्रणा पर्षद् के देश के पुरष्टिकरण को तिथि से लेकर धकतम अवधि एंक वर्ष की रखी जाये |इस बहुत से संशोधन रखे गये| कुछ ने कहा न महीने रखी जाये और कुछ ने कहः महाने 1 यह बात है कि त्रणा एर्षद् कह दे कि आदेश तो उचित है, रन्तु को तीन महीने बाद छोड़ य7 जाये . परन्तु विधेयक में एक वर्ष उपबन्ध है कृपय यह याद रखिए कि + वर्ष केवल अधिकतम अवधि है मंत्रणा ्द् के बाद मूल अधिनियम की धारा १३ ाती है जिसके अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य नों सरकारों को किसी भी को ोड़ने का अधिकार है | गत छः महाने नें ज्य सरकारों ने इसके अनुसार कार्य किया और मेरा विचार है कि एक हज़ार से अधिक दमियों को गया है | में सदन को वश्वास दिल सकता हूंकि हर एक नज़़ रबन्द ामले पर करीब करीब लगातार पुर्नावचार ोता रहा है | यह बात कुछ अजीब सी रग॰ याद + ग्त ऋ += महाने हमने हमने दूसरी अभियुक्त अभियुक्त छोडड़ा

पास लाया जाये परन्तु मैं पूछता हूं कि मंत्रणा पर्षद किस सामग्री पर फफिर से जांच करेगा नज़रबन्द जेल में रह चुका है, वह कहता है कि "मेरा ग्राचरण बहुत ग्रच्छा रहा है गरौर मैं बहुत प्रच्छी तरह जेल में रहा हूं| " परन्तु इन वातों का फ़ैसला करना ग्रौर यह देखना क राजनैतिक स्थिति कसी है ग्रौर क्या भुक नज़रबन्द को छोड़ना ठीक है॰ राज्य रकार ग्रौर कार्यपालिका का काम है मंत्रणा र्षद से मामले को पुनः जांच +रवाना राय में उचित्त नहीं एक सुझाव यह था कि परिवार के लिये भत्ते की व्यवस्था होनी चाहिये | यह माभला त्येक राज्य सरकार की इच्छा से संबंधित 1 बंगाल का मुझे पता है, वहां ज़ रूरतमन्द नोगों को यह भत्त दिये जाते हें परन्तु ह चीज़ पूरी तरह से राज्य सरकारों की च्छा पर होती है | मुझे भरोसा है कि नहां पर देखा जायेगा कि कोई परिवार ास्त्तव में कठिनाई में है वहां उचित ग्रादेश नारी किये जायेंगे इस बारे में मैं कोई नयम नहीं बना सकता ग्रौर सदन से भी ऐैं यही निवेदन करूंगा कि वह ग्रधिनियम में इसको शामिल न करें | कृपया ग्राप यह याद रखें कि जहां हमें सब प्रकार के दंडित्त यकितयों के साथ सहानुभूति नहों है॰ इसी कार श्रपराध श्रारोपित व्यक्तियों के साथ मी हमारी सहानुभूति नहीं है | मंने ग्रपराध- ारोपित व्यक्तियों को ८ या १० महीने क देखा है | जहां तक इस निवारक कार्यवाही फा संबंध है, या तो श्राप यह कहें कि सरकार ्रत्याचार कर रही है ग्रौर इसलिये उसे वाहिये कि श्रभियुक्तों के ग्रश्रितों के साथ ह सहानुभूति दिखायें या श्राप यह कहें कि जर्म या प्रपराध रोकने के लिये ऐसा किया नाता ईै : जो कछ भ=ं हमं यह चीज हमारी

मेरे विचार में में विधेयक के सार पहलुश्रों की चर्चा कर चुका हूं | मैं केव्ल एक बात का ग्रौर जिक्र करूंगा वः यह कि उन लोगों के बारे में नीत क्या हो जो पहले से निरूद्ध हों ? मैं सदन को स्पष्ट रूप से सारा हाल बताना चाहता हू | गत तीन महीनों में सारी राज्य सरकारों द्वाा मामलों का फफिर जांच फी गई रथा ग्रौर थोड़े से नज़रबन्द ग्रभी तक हिरासत में हैें| इन लोगों के बारे में राज्य सरकारों ने पूर्ण गंभीरता से विचार किया है गरौर वे इस नतीज पर पहुंची हें कि॰वे कुछ लोगों को छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं ग्रतः इन लोगों को छोड़ने पर जोर देना राज्य सरकारों के साथ ग्रनुचित व्यवहार करना हागा | तो जहां तक इन मामलों का संबंध उपबन्ध यह है कि चाहे कैसी ही स्थितषि हो इन लोगों को पहली ग्रप्रैल १९५३ तक ग्रवश्य छोड़ दिया जाना चाहिये | यदि किसी को ही में नजनरबन्द किया हो- उदाहरण के लिये समझ लीजिये किसी को फ़रवरी १९५२ को नज़रबन्द किया हो--्तो उसके बारे में उपबन्ध यह है कि उसे निरोध ग्रादेश जारी किये जाने के १२ महीने बाद छाड़़ा जाय तो स्थिति यह है कि जहां तक मामलों का संबंध है श्रन्तिम तिथि ग्रप्रेल १६५३ है गौर नये मामलों के बारे में ग्रवधि निरोध ग्रादेश जारी होने के बाद १२ है 1 तो यही सारा संशोधक विधेयक है भैं समझता इस समय यह एक ग्रादर्श विधयक के रूप में है, परन्तु मैं यह नहों कह सकता कि इसमं समस्त संभव सुरक्षःों की व्यवस्था हे सूरक्षण नम्बर ? : यदि पुरान पुरान पुराने हाल पहली पुराने पहली महीने हूं ककि

अध्यक्ष महादय प्रस्ताव प्रस्तुत हुग्रा ४ ४ कि॰ निवारक निरोध ग्रधिनियम १९५० में ग्रग्रेतर संशोधन करन वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित १1 रूप में॰ विचार किया जाये | इससे पहले कि हम विधेयक पर ग्रग्रेत चर्चा करें में चाहता हूं कि विधेयक को लोक मत ज्ञात करने के लिये परिचालित करन तथा उसे उसी समिति को फफिर से भेजने से संबंधित संशोधनों को निपटा दिया जाये में श्रपना निर्णय श्रभी देना नहों चाहता मे चाहता हूं कि उन माननाय सदस्यों को जिन्होंने संशोधन रखे हें , इस बात का उत्तर देने का त्रवसर दिया जाये कि उनके संशोधनों को क्थों न ग्रनियमित ठहराया जाये इस बारे में मैं पिछले विनिर्देशों की ग्रोर घ्यान दिलाता हूं | एक विनिर्देश में कहा गया है कि॰ यह देखना न्रध्यक्ष का कर्तव्य है कि सदन में कोईंविलम्बकारी प्ररताव न रखा जाय यह बात है कि ऐर प्रस्ताव उस समय त्रावश्यक हो जाते हें जब् या तो प्रवर समिति ने विधेयक परठक तर से िचार न कियाः होया प्रवर सर्मिति विधेयक के ग्राने के बाद कोई नई परिस्थितिय पेदा हो गई हों | तो जहां तक इस विधेयक का संबंध कोई नई परिस्थितियां पैदा नहीं हुई क्योंकि विधेयक प्रवर समिति से श्राते सदन के समक्ष ग्रा गया है 1 दूसरा प्र३ है कि क्या प्रवर समिति में इस पर ठी से विचार नहीं हुश्रा है ? मं समझता कि संयुक्त समिति ने विचार करने के लि काफ़ी समय लिया था सदन ने समि को ग्रनुदेश दिया था कि वह सब धाराम्र के॰ बारे में संशोधन लेना स्वीकार करें दूसरी तरह

दन ; रक्षण नम्बर २ राज्य सरकर ; सुरक्षण म्बर ३ मंत्रण 7 पर्षद ; सुरक्षण नम्बर ४ : बंधित व्यक्ति का स्वयं उपस्थित हान 7 ग्रधिकार में समझता हूं कि इस विधेयक - कोई कमी नहीं है | जहां तक निरोध की दशात्रों का संबंध ९, में इनकी चर्चा करना नही चाहता में केवल ग्रपना ग्रनुभव बताना चाहतः हूं | ऐं मुर्श दाबाद गया जहां जेल में मेरे कुछ मित्र { मेंने उन से कहा कि॰ मैं यह जानने हीं श्राया हूं कि उन्हें किन कारणों से गरफ्तार किया गया है ; मैं यह पूछने ाया हूं कि उन्हें किसी चीज़ को जरूरत ो नहीं 1 मैंने देखा कि जिहां त नोग थे वह एक बहुत बड़ी बैरक थी उसे देखकर मुझे श्रपना ज़माना याद श्रा गया हर एक खाट पर मसहरी लगी थो-- उनके लिये बहुत सी॰ पुस्तकों का प्रबन्ध था चार नज़रबन्दों के बीच एक समाचारपत्र भो त्रा सकता था | वे लोग २००२५ थे इसलिये उनके पास दस ग्रखबार ग्राते थे इसके श्रलावा होल्डर, पेन्सिल सब चीज़ें थीं तान रुपय रोज का भत्ता भी दिया जाता था ज्योंही कोई नज़रबन्द ग्राता है उसे २४० रुपये कपड़ ग्रादि बनवाने के लिये मिलते हैें| वहां किसी को जाने की ग्रनुमति नहीं थी उन्हें खेल कूद की सुविधायें भी थीं - बैडमिन्टन , वॉली बॉल ग्रादि का प्रबन्ध था रसोई के ललिये १२ नौकर थे डाक्टर की व्यवस्था थी सब चीजरों का प्रबन्ध था- में समझता हूं [बंगाल के २ करोड़ लोगों को सु विधायें प्राप्त नहीं हें जो इन्हें हैं | तो यह हैें उनको कही जाने वाली कठिनाइयां चिट्ठी लिखने शरौर लोगों से भेंट करने ग्रादि की स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त थी | निस्सन्देह मेंने नीत कें संबंध में उनसे चर्चा नहीों की लेकिन वे सब खुश नज्नर ग्राते थे |

पता लेकिन शायद प्रवर समिति द्वारा विचार किये जाने के समय में ऐस हुत्रा है 1 ड७॰ काटजू मैं॰ ऋधिकारियों व्यवहार के बारे बताना चाहता हू प्रवर समिति पर चर्चा हुई थी गरौ वह इस नत्तीजे पर थी कि ऋ्रधिनिय का धारा १५ उसी ऋ्रधिकारी का बचा करती हैजो ईमानदारी से ग्रौर बिना किस् द्वेष पूर्ण भावना से कार्य करता हा | द्वेउभरी भावना सें कार्य करता हो॰ उसक सज़ा दी जा सकती है 1 श्रों शेषगिररि राव ( नंदयाल ) प्रव समिति ने यह उपबन्ध तो कर दिया है = पांच दिन के ग्रन्दर नज़रबन्द को ग्रन्द गिरफ्तारी के कारण बतायें जाये संविधान के ग्रत्तर्गत उसे एक श्रौर ग्रधिका है--्यानी ग्रभ्यावेदन करने का ग्रधिकार इस पर विचार नहों किया गया है | अथ्यक्ष महादय मेरे विचार विलम्बकारी प्रस्ताव के ललिये यह वजह ठीव नहीं श्रों वोर स्वामों ( मयूरम ~ रक्षित ग्रनुसूचित जातियां ) सदन में यह फि प्रवर समति जब इस विधेयक पर चर्चा करे तो वह मूल ऋ्रधिनियम हेर-फेर कर सकती है 4 परन्ह्ु संयुक्त्त प्रवर समिति ने ऐसा नहीं किया है अथ्यक्ष मशोदय : मैं इस बात के गुण- दोषों में नहों जाना चाहता परत्तु प्रवर समिात से ग्रौर विमति टप्पणियों से पंता चलता है कि सूल ग्रधिनियम का समिति न` पूरी तरह से ध्यान में रखा था + श्रा एच॰ एन - मु खर्जी ( कलकत्ता उंत्तर}पूर्व ) सबसे पहले मैं यह कहना में कुछ में इस पहुंची हुग्रा था

प्रस्तुत करने का मौक़ा मिलेगा श्रत मैं संशोधन रखने वाले सदस्यों से जानना चाहता हूं कि वे इस बारेमें क्या कहना चाहते हैं 1 श्री वल्लातरास श्रों वल्लातरास ( पुदुकोटै ) मैंने ग्रपना संशोधन यह बताने के लिये रखा था कि ग्रधिकारी गण किस प्रकार निरोध - ग्रादेश का दुरूपयोग करते हैं॰या किस प्रकार लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं कई मामलों में देखा गया है कि लोगों को जबरदस्ता बिना किसी श्रपराध के पकड़ा गया है; बाद में सरकार या मंत्रणा पर्षद ने उन्हें छोड़ा इन बु राइयों को रोकने का विधेयक में कोई उपबन्ध नहों है | अध्यक्ष महादय \* प्रश्न तो यह है कि क्या प्रवर समिति ने ग्रनुचित रूप से इस विध यक पर विचार किया है जिससे उसे फिर वहों भेजा जाये ग्राप जो कह रहे हैंवो चीज़ है ; ग्रापका मत्तलब यह है कि प्रवर समिति ने कुछ ऐसे ्विषयों पर विचार नहीं किया जिन पर ग्राप उससे विचार करवाचा चाहते थे| यह तो श्रपनी प्रपनी राय का सवालं है जब विधेयक ९ चर्चा हो रही थी तो प्रवर समिति के भी बहुत से सदंस्य यहां मौजूद थे ग्रौर उन्होंन सारे ताद विषयों पर चर्चा में भाग लया था श्रो रैलायुधन (क्पिलोन व मा्वेलिक्रा कक्षित ग्रनुसूचित जातियां मुझे केाल ह कहना है कि निवारक \*रोध के बारे ं कुछ नई चीज़ों खड़़ी हो ई हैं | मेरे ७=5 में गत सप्ताह लगभग २०० त्रादमी कड़े गये जिसमें से ग्रधिकतर इस निशारक नरोध क़ानून के ग्रधीन पकड़े गयः ऐ अध्यक्ष महोदय प्रवर समिति का पोर्ट के बाद ? दूसरी

बारे में श्रपने निर्णय पर फिर से विचार रें ग्रौर उसकी ग्रधिक उदारता से व्याख्या रें 1 में समझता हूं कि॰ संयुक्त मिति की रिपोर्ट एक इस प्रकार का लेख्य जिसे लोक मत जानने के लिये परिचालित राना बहुत ग्रावश्यक है इस रिपोर्ट के साथ पांच विमति टिप्पणियां संलग्न की गई हैं जिनमें बड़े ठोस सुझाव रखे गये हैं ताकि इस श्रधिनियम को कठोरता को कम किया जा सके परत्तु संयुक्त समिति ने इन सब को ठुकरा दिया प्रतीत होता है | मूल पधिनियम के उपबन्धों परभी पूर्ण गंभीरता के साथ विचार नहीं हुग्रा है इसचे श्रलावा समिति की वहुसंर्या द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उससे पता चलता है कि॰ विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने पूरी सावधानी के साथ भी जो तर्क प्रस्तुत किये थे, उन पर कोई ध्यान नहीं गया है | ग्रतः मं समझता हूं कि इस प्रकार के विधेयक को जनता की राय माल्म करने के लिये परिचालित किया जाना चाहिय श्रीं एम॰ ए० आय्यंगर (तिरूपति ) में इस समिति का ग्रध्यक्ष था यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि॰ सदस्यों ने जो विचार वहां प्रगट किये उन पर ध्यान नहीं गया माननीय सदस्यों को प्रवर समिति में श्रपन सुझाव रखने ग्रौर मूल ऋधिनियन के बारे में संशोधन रखने का पूरा मौक़ा दिया गया था किसी ने भी॰ यह शिकायत नहों की कि सभिति में कार्य जल्दी जल्दी किया जा रहा है मुझे तो लोगों ने समिति का कार्य गरच्छी तरह चलाने पर बधाई दी है | हम तो सारी कार्यवाह को लिखवाते रहते हें ग्रौर यदि श्राप इस कार्यवाही के विवरण को उन माननीय सदस्यों को दें जो उसे दसरे, दिया दिया सारे इतनी

गया था 4 ग्रतः में समझता हूं कि यह एक विलम्बकारी प्रस्ताव है श्रो एस॰ एस॰ मोर मंत्रणा पर्षद के कुछ सदस्यों के विचारों पर भा प्रवर समिति को ध्यान देना चाहिये था अध्यक्ष महादय शान्ति , शान्ति ग्राप उन बातों की ग्रोर निर्देश कर रहेहैं जो ग्रापकी राय में प्रवर समिति को मान्य होने चाहियें थे | यह चज़ हे इसका यह मतलब नहीं कि प्रवर समिति ने उन पर विचार ही नहों किया है | डा० पों॰ एस॰ दशमुद ग्रमरावती पूर्व / श्रीमान् मैं त्रापका ध्यान दो बातों की ग्रोर दिलाना चाहता हूं | एक तो यह कि प्रवर समिति दो सदस्यों यानी श्रो सुन्द रैया ग्रौर श्री गोपालन ने ग्रपनी विमति टिप्पणियों में इस ऋ्रधिनियम को चार जगह ग्रधिनियम ' कहा है | क्या इस प्रकार को भाषा का विमति टिप्पणियों में प्रयोग करना उचित है ? बात यह कि एक माननीय सदस्य यानी दीवान चमनलाल ने वास्तव में सहमति-टिप्पणी संलग्न की है परन्तु उसे विमति टिप्पणी कहा है | में इस बात को भी ग्रापके ध्यान में लाना चाहता था | अध्यक्ष महादय मैंने विमति टिप्पणियो को पढ़ा नहीं है | ग्रापंने जो बात कही है वह वास्तव में विचारणीय हैॅ ग्रौर मैं इसकी जांच करूंगा त्रब हम विधेयक पर श्रग्रेतर चर्चा शु क़रते हें | श्रो एन संो॰ जटर्जी जब प्रधान मन् ने सदन में यह घोषणा की कि संयुक्त्त समि इस विधेयक के कुछ खंडों परही विचार करेगी बल्कि म़्ल ग्रधिनियम की हर ए किया दूसरी "काला दूसरी उन्होंने

किसी व्यक्ति को बिना मुकददमा चलवार नज़ रबन्द करना शोभा नहीं देता हे; यह एक बहुत ग़लत तरीक़ा है में स्वतन्त्र भारत क इस महान् संसद् से श्रपील करता संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतन्त्रत ग्रौर श्रन्य ऋरधिकारों के नाम में, जिन पर हम् बहुत गर्व करते हें॰ हमें कम से कम वे सुरक्षण के ऋ्रधिकार तो दिये जायें जो लड़ाई के ज़मान में राज्य सुरक्षा नियमों में से नियम } वी के ग्रन्तर्गंत नज़रबन्दों को प्राप्त ये| हम इसी बात पर ज़ोर दे रहेथे हमारा कहन था कि तीन बातों का ग्रवश्य उपबन्ध होन चाहिये निष्पक्ष सुनवाई, ग्रारोप का नियम पूर्वक लगाया जाना स्वत्तन्तय्र न्यायपालिका औौर वकीलों से मुकद्दमों की पैरवी करवाने का ऋ्धिकार| मैं डा० काटजू का बड़ा सम्मान ररता हूं परन्तु जब यह कहा कि नज़रबन्द को वकील न करन दोजिये तो मुझ बड़ा श्राइचर्यं हुशग्रा चाहे जज कितनी हो सहानुभूति करता हाो ग्रौर कितने ही ध्यान से मुक़द्दमा सुनता हो, फिर भी बहुत ही कम लोग ऐसे होंगें जो न्यायालय के ग्रन्दर श्रपनी बात ठीक तरह कह सकें 1 मैं तो समझता किसी ऐसे व्यक्त के लिये जिसका मुक़द्दमा चल रहा हो, रबसे बड़़ी की बात यह हैकि उससे ग्रपना वकील करने को मना कर दिया जाये ग्रोर वह ग्रपनी पैरवी स्वयं करे | में माननोय मन्त्री की यह बात कभी नहों मान सकता कि वकील करने से नज़रबन्द को नुकसान होगा | राय में यह चीज़ नजरबन्द की इच्छा पर छोड़ देनी चाहिये इस बात का फ़ैसला करना उसका प्रधिकार होना चाहिय कि बह वकील करे या न करे| [उपाष्यक्ष महोदं॰ ग्रखक्ष॰पद पर प्रासीन हुए ] हूं कि हमार उन्होंने हूं कि दुर्भाग्य हमारी

धारा गरौर खंड परभी वह विचार कर सकती है तो सारे सन्देह दूर हो गये थे1 सोचा कि ग्रब संयुक्त समिति में दृष्टिकोण गरच्छी तरह व्यक्त किये जा सकेंग ग्रौर हम ग्रधिनियम के कुछ बहुत ग्रापत्तिजनक उपबन्धों को उसगें से का प्रयत्न कर सकेंगे परन्तु हमारी यह ग्राशायें साबित हुईँ हमारे छोटे छोटे संशोधनों को भी ठुंकरा दिया गया समिति के सामने कुछ युक्तियुव्त सुझाव, जो नागरिक ग्रधिकार संघ ने दिये थे रखे परन्तु समिति ने किसी को नहीं मांना | मैं यहां पूरी गम्भीरता से यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा इस सदन की॰ इस संसद् की -इस प्रथम संसद् की परीक्षा हा रही है | हम चाहते थे कि इस विधेयक में से कुछ गरसन्तोषजनक उपबन्ध हटा दिये जायें परन्तु एसा करने का हमें अ्रवसर नहीं दिया गया माननीय गृह मन्त्री के लिये सम्बन्ध में यह कहना श्रनुचित था कि हम इस ग्रधिनियम को श्रसफल बनाना या उसे रित ही नहीं होने देना चाहते हैं हमारा विचार ऐसा न तो कभी रहा ग्रौर न है | हम समझते थे कि माननीाय मन्त्रा इस ऋधिनियम को ऋ्रागे जारी रखने के लिये सामने कुछ तथ्य शरौर ग्रांकड़े रखेंगे उददेश्य गौर कारणों के विवरण में कहा गया हैफि इस कानून को इसलिये बनाया जा रहा है॰कि संविधान को उलटने ग्रौर शान्ति भंग करने की कार्यवाहियों को रोका जाये ग्रौर सारभत प्रदायों तथा सेंवाग्रों को ननाये २खने में कोई ऋड़चन न ग्राये + उसमें ग्रागे कहा गया है कि यह कार्यवाहियां कम र्त हो गई हैंपर बन्द नहीं हुई हें| हम चाहते थे कि इस बात को प्रमाणित करने \* लिग़े कुछ तथ्य हमारे सामने रखे जाते परन्तु ऐसा छ नहीं किया गया हमारा यह कहना है हमने हमारे हमारे हटाने झूठी हम ने हमारे हमारे

नुभव है कि बिना वकील के कोई भी व्यक्ति पनी बात न्यायालय में उचित् प्रकार से हों कह सकता 1 हमने कहा था कि कम से कम मंत्रणा मितियों को वह सारी सामग्री दी जानी हिये जो सरकार के पास है| इसे भी नहीं माना गया फिर हमने कहा कि मंत्रणा समिति को किसी भी॰ ऐसे व्यक्ति को बुलाने कां, जो कि जज साहब की राय में मामले की छानबीन में सहायता दे सकता है॰ ग्रधिकार होना चाहिये इस सुझाव को भी ठुकरा दिया गया सन् १९४१-४२ में जर्बकि इंग्लैण्ड भारी संकट में था, वहां के न्यायज्ञों ने इस बात् की ग्रनुमत्ति दे रखी थी परन्तु यहां इसे ग्रस्वीकार कर दिया गया जब १८१८ के दंडविधि संशोधन ग्रधिनियम तथा नियम ३ के ग्रन्तर्गंत्त कांग्रेसी पकड़े गये थे, ततब तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया था गरौर कहा था कि हम स्वतन्त्रता को लड़ाई लड़ रहे हैं हम ऐसे सारे कानूनों को तोड़ डेंगे ग्राप इस च्या्ल में न रहिये कि इस प्रकारके निवा- एफ निरोध से ग्राप कम्युनिस्टों को दबा सकेंगे | ग्रंग्रेज़ झी सोचते थे कि इन तरीक़ों सेवे कांग्रेस को कुच्तल देंगे मगर वह एसा करन सके और न ही ग्ःप इन तरीकों से॰ सफल होंगे 1 श्राप इरु थ्रकार का रत्ैया अपन्ा कर शारत क कुसेवा कर रहे हैं 1 ऋाप रक ग्रोर तो यह नहते हैं कि स्वतन्श्र भारत में पूर्ण न्याय होगा, शरत्याचार को कुचल दिया जायंगा, रःब लोशों को तपनी स्वतन्त्रता बनाय रखने का ऋशषिकार हःगा और बिना मुकह्दमा चलप्यें किशी को नजर- तःद न्हीं रखा नायेगा , शोर ऋाप इस तरह फी बातें करते हैं रह क्हां तक ठीक है? डा० काटजू इस विधेयक् को प्राटर्श दिधेयक कहते हें | में समझता हूं उन्हें यह क्हने गें शर्म शरानी चाहिगे थो, ग्राप नःःरबन्द झो हमारे ढूसरी

करने देते हैें | क्या ये श३ ८चत् है ? चया इसस हम दिधेयक को अदर्श मन सकते हैें ? पग्राप जानत्े हैं कि॰ उन ऋःधकारिग्रों द्वारा इस कानून का दरुएयोग हुः्रा है| 6यायालगों नं गनेक नार नज़रबन्दों को छोड़ा है | यदि गर7 किसी॰ को नज़ रबन्द करते हैं तो उसे कम सेकम प्पना बचाव करने का मौक़ा तो दीजिये | उसे कम से कम सारो बातें तो बत्ता- इये जिनके गराधार पर उसे ६क ड़ा ग्या है | हम्गरी इन सारी दातों को प्रवर समिति ने ठुक्रा दिया गया फफिर कहा ऊि इस कानन को केवल एक वर्ष के लिये डो बढाया जाये 1 ्यादि एक स्ाल बाद स्थिति ऐप्ो हो कि इस कानन के ढिना वाम न चल सङ्े तो फिर श्रवघि बढ़ा दीजिये | परन्तु इप्त पर भी वे राजी न हुए| यह सझाव दिया था कि " वैदेशिक 11 संबन्ध शब्दों को हटा ड्िया जगाये परःतु हमारे सुझाव पर गम्भोरतापूर्वक विचार नहीं किया गया ग्राखिर किसी भो व्यव्त्त को इस ग्राधार पर नज़रबन्द क्यों किया जाये कि वह ऐसी बातें कहेगा य७ ऋरेगा रिससे ग्रन्य देशों के साथ सम्बन्धों को खतरा पहुंचे 1 हम जानते हैं कि ग्रन्य देश ' कौन से हैं 1 हर व्याक्त्त को यह कहने ग्रौर बताने का ऋ्धिकार है कि पाकिस्तान में या कही ग्रौर ग्रमुक बात ऐसी हो रहो है जो हमारे हित में नहीं है | हम सबको इसका ग्धकार ६े | इन शब्दों का हटाया जाना ग्रावश्य३ एबं उत था 1 ंडित कुंजरू जैसे गम्भी= ओर ग्रनुभवी दर्याक्त ने भी इस बात क स मर्थन किया था, परन्तु हमारी ळात नाएंज कर दी गई | कहा थाकि इस क़ानून को इंग्ले के क़ानून के ग्राधार पर बनाइये इसव लागू करने का क़ाम जिला मजिस्ट्रेटों हमनने हमने हमारे हमने

चटजा पुलिस कमिश्नरों पर ही न छोड़िये इंग्लैण्ड के क़ानून गरौर क़ानून में तीन बातों का ग्रन्तर है | एक तो यह केवल युद्धकाल में ही लागू किया जा सकता है | उन्होंने यह ग्रधिकार ज़िला मजिस्ट्रेट या किसी ग्रन्य निम्न ग्रधिकारी को नहों दिया यह अधिकार उन्होंने केवलं मंत्री मन्क्रो ही दिया | तीसरे गृह तक हा यह क़दम उठ सकता है जब उसके पास इसके लिय उचित ग्राधार हों गरौर जब उसेविःश्वास होेकि सम्बन्धित व्यक्त्ति ने हाल हा की किसी ग्रनुचित कार्य- वाहा में भाग लिया है यहा सुझाद दिया था च परन्तु इसे भी नहीं माना गया हम श्रब भी यहा कहत हॅं कि इस क़ानून को लागू करने का कार्य उत्तरदायी मन्त्रियों के हाथ में होना चाहिये | इसके बाद, हम यह चाहते थे कि यह गधिनियम उस राज्य या राज्य के उसी भाग में लागू हो जहां कि केन्द्रीय परकार को राय में, स्थिति ऐसी हो कि इस असाधारण क़ानून का जारी करना ग्रावश्यक हो | इसे सारे भारत में ग्राप क्यों लागू करते हें ? यह एक बहुत न्याययुक्त गरौर उचत मुझाव था | मैं मानंता हूं कि कुछ विधेयक में परि- र्तन किये गये हें| परन्तु इनका कोई विशेष हत्व नहीं है , फिरभी मैं सरकार का ग्राभारी एक पररिवर्तन तो यह है नरोध त्रादेश को १५ दिन के बजाय १२ दन के त्रन्दर राज्य सरकार से ग्नुमोदित रवाया जाये निरोध के पांच दिन ॅ ऋरन्दर नजनरबन्द को उसके कारण बताये ायें तोसरे हर एक मामला मंत्रणा पास ४२ दिन के बजाय ३० दिन के ग्रन्दर जा जाय फिर पर्षद का ग्रध्यक्ष उच्च ायालय का न्यायाधीश होगा ग्रन्त में र्यपालिका ग्धिकारी के लियेयह ग्रावश्यक कि वह नज्नरबन्द के मामल से सम्बन्धन हमारे दूसरे हमने कि हर दूसरे पर्षद्

कुछ भी फ़ायदा हुश्रा है बह यह है कि उसी व्यक्ति के बारे में जो पहले एक ब नज़रबन्द किया जा चुका है, फिरः से उन् ग्रारोपों को लेकर गिरफ्तारी नज़रबन्दी का ग्रादेश जारी नहीं किया सकता इसके लिये नई घटनाग्रों से सम्बन्धि नया निरोध ग्रादेश जारी करना ग्रावश्यक है मेरी ऋरब भी यही धारणा है कि ऋ्रधिनियम भारत के प्रजातन्त्रात्मक शास परएक कलंक के समान है | इस प्रकार व क़ानून वर्तमान समय के अनुकूल प्रतीत नह हाता माननीय मन्त्री ने जो श्रांकड़े दिये उनसे प्रगट होता है कि १२४१ मामलों ने जिनमें मन्त्रणा पर्षदों ने नज़रबन्दों को छोड़ है, ज़ूर निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा गय होगा शब्दों में इस ग्रधिनियम क ऋ्रवश्य दुरुपयोग हुः्रा होगा यह एक बहुत बात हॅ ग्रौर इसे रोकना हमार सब का कर्तव्य है हमें समय के ऋ्रनुकूल चलन चाहिये गरौर ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिये जिससे जन साधारण को यह अनुभत्र होे कि वह केवल एक मशीन नहीं है या केवल कर देने वाला हा नहीं है बल्कि उसकी भी कुछ आवाज है उसका भी कुछ ऋरस्तित्व है ग्रौर देश के शासन में उसका भी कुछ हाथ है | तब ही उसे पता चलेगा कि उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है ग्रौर तब ही वह सोचेगा किवे लोग जिन के हाथ में ग्राज सत्ता है, ग्रपन सिद्घान्तों का केवल मौखिक प्रचार हा नहीं करते थे वे उन्हें कार्यान्वित करने को भी॰ उतने ही तत्पर हैं| डा० रामा राव ( काकिनाडा ) मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्हें केवल एक मौलिक ग्रधिकार प्राप्त है गरौर वह हँ बिना मुकदमा चलाय नजरबन्द होन का ऋधिकार इसो पुराने दूसरे ग्रनुचित

कह तक सचाई है गरौर कहां तकः झूठ | वर्तमान विधेयक पुलिस को वही गधिकार दे रहा है ग्रौर मुझे उसी निस्सहाय दशा में रख रहा है नज़रबन्द को यह मौक़ा हीा नहीं दिया जा रहा हॅ कि वह अरपनी बात कह सके 1 केवल पुलिस की बात पर उसे पकड़ लिया जाता ह मैं ग्रापको एक घटना सन् १९४१ में मैं विशाखापटनम् के जनरल ग्रस्पताल से एक श्रापरेशन क़रवा कर लौटा लौटने पर स्थानीय डाक्टर ग्रौर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट में नेरे बारे में बात हुई 1 जब मजिस्ट्रेट को उनसे पता चला कि मैं तीन दिनहुए ही वहां ग्राया हूं तो उसने डाक्टर से कहा , ग्रापने मुझे बता कर ग्रच्छा किया वरना मैंतो उसके खिलाफ़ इस ग्राधार पर निरोध ग्रादेश जारी कर रहा था कि बीस उसके यहां एक छिपा हुग्रा कम्युनिस्ट ग्राकर रहा १" तो इस तरह में नज़रबन्द होने से बाल बाल बचा में दो महीने से बाहर था गौर वे मुझ पर यह ग्रारोप लगा रहेथे कि बीस दिन हुये एक कम्युनिस्ट ग्राकर मिला ग्रगर डाक्टरः न होता तो मै पकड़ा जाता ग्रौर फिर मुझे ग्रपना बचाव करने काः कोई मौक़ा न मिलता | उपाध्यक्ष महादय ग्राप किस निरोध ग्रादेश की चर्चा कर रहेहें | उसकी तारीख़ क्या है ? डा॰ रामा राव बहुत से निरोध-ग्रादे२ हैें| सबसे पहले में २४ जून १६४८ को नज़नर बन्द हुग्रा था उसके बाद फिर कई ग्रादे२ जारी हुए वास्तव में में त्तीन वर्ष से ऋ्धिव से॰ एक से ग्राधारों पर ही जेल में गया हूं 1 उपाघ्यक्ष महादय : यह चीज़ प्रव सर्मिति की सिफ़ारिश में से दूर हो गई है एक से ग्राधारों पर दूसरा निरोध ग्रादे जारी नहीं किया जा सकता ( सुनाऊं दिन हुए मुझ से

तक इस सदन का दस्य नहीं हो सका था शायद में फिर से स सदन का सदस्य न हो सकूंगा क्योंकि मुझे फर से सरकार के विरुद्ध ग्रान्दोलन करने 4 ग्रधिकार का प्रयोग करना होगा, ग्रौर नवारक निरोध ग्रधिनियम के ऋ्रन्तर्गत ो पुनः नज़ रबन्द कर लिया जाऊंगा खैर, मैं ऋरापको यह. बताना चाहता हू क॰ मुझे किस कारण नज़रबन्द किया गया नरोध ग्रादेश में मेरे विरुद्ध यह लिखा गया ३७ यह व्यक्त एक पक्का साम्यवाद हॅ पौर मुख्य साम्यवादी नेताश्रों के गिरफ्तार ो जाने पर रामचन्द्रपुरम् में यह ही व्यक्ति तारा ग्रान्दोलन चला रहा था यह साम्य- ादी ऋरख़बार प्रजा शक्त' पर लगाये गये तिबन्ध को के लिये सााम्यवांदी झुकाद फ मज़दूरों को भड़काता रहा है | यह ग्रभि- योग मद्राप सरकार द्वारा मुझ पर लगाये ाये यद्यपि संविधान के ऋ्रन्त्र्गत हमें कई गौलिक ग्रधिकार जैसे ग्रभिव्यक्त्ि का ग्रधि- कार सार्वजनिक सभाप्रों में भाषण देन का ग्धिकार ग्रादि दिये गये हैं , फिर भी इनका कोई घ्यान नहीं रखा गथा ग्रादेश में ग्राग लिखा हँकि इसन मईं दिवस परः जलूस निकलवाय ग्रौर कांग्रेस सरकार के तथा पुरलिप् के ्िि॰ द्ध नारे लगवाय पहले तो यह बातें सच्चीं नहों हैं यदि ये ठीक हैं तो इनमें कानून की कोई खिलाफ़त नहीं है | जुलूस पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में १४४ धःरा या कोई अन्य धारा नहीं लगी हुई है | ग्रागे इसमें कहा गया हॅँकि इसने धारा १४४ के ग्रन्तर्गत दिय गये ग्रादेशों को न मानने के लिय मज़दू ' को भड़काया पहले तो यह बात झूठ है, केत्रल ग्रादेश से यह सिद्घ न३ होता कि मैँने ग्रादेश का विरोघ किया मझ कभी इस बात का मौक़ा नहीं दिया ग्या कि में ग्रपना बचाव कर सक हटाने दूसरे बिल्कु दूसरे

हमेशा से इन चीज़ों का ऋ्रनुभव किया है 1 मैं जानता हूं किस प्रकार नये ग्रारोप लगा कर॰ जिस भी व्यक्ति को पकडन का इरादा हो, पकड़ा जा सकता है | कोई प्रश्न करने वाला नहीं | जैसा ब्रिटिश सरकारने किया वैसे ही यह कांग्रेस सरकार शपने उददेश्यों की र्पूरति के लिये क़ानून का प्रयोग करती रही है | ग्रंग्रेज़ों ने कमं से कम इसे युद्ध काल में काम में लिया ; ग्राप बिना किसी संकट स्थिति के इसका प्रयोग कर रहेहैं| मैं यह कभी नहीं मान सकता किदो वषं बाद यह क़ानून खत्म कर दिया जायेगा 1 यह तो तब तक रहेगा जब तक यह सरकार यहां बनी रहेगी यह सरकार सारे विरोध को इस क़ानून के ज़रिये खॅ्म करना है | यह सरकार गधिकारियों में गरौर पुलिस कर्म- चारियों में ग्रराजकता की भावना पैदा कर रही हैजिससे वे बिना किसी गाधार के चाहे जिस व्यक्ति को जेल में डाल सकें | मुझे ऐसे कई उदाहरण ज्ञात हैं जहां लोगों को राजनैतिक कारणों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कारणों र पकड़ा गया है | विजयनगरम् में एक कांग्रेसी वकील थे उनकी गलती यह थी कि वह मज़दूर संघों की ग्रोर से श्रम न्याया- धकरणों के सामने गये गरौर उनके पक्ष में ोले 1 से वह मिल मालिकों के विरुद्घ जीत भी॰ गये| इस पर मिल मालिक नाराज़न ो गये ग्रौर उन महाशय को जेल भजवा दिया इस तरह की बहुत सी घटनायें ों ग्रापको सुना सकता हूं पुलिस वालों ग्रौर त्य स्थानीय ग्रधिकारियों में गराजकता १ी यह जो भावना पैदा की गई है॰ हमें इंसे कना चाहिये फ ग्रान्ध्र में सन १९४९ ६५० ग्रौर १९५१ भाग में विधिवत् ासन का दिखाई नहीं देता था पुलिस ले चाहेजिसको गिरफ्तार कर सकते थे 1 चाहती दुर्भाग्य उन्होंने के कुछ चिह्न

तक कि उन्हें जान से मार भी दिया जात था पीठापुरम् के पास के एक गांव में कम्युनिस्ट पकड़े गये ; सैंकड़ों लोगों ने देख कि उन्हें गांव से बाहर ले जाया जा रहा है दूसरे दिन उन दोनों को मार डाला गया ग्रख़बारों में हमेशा की तरह वही रिपो ग्राई कि सशस्त्र कम्युनिस्टों ग्रौर पुलि वालों में मुठभेड़ हुई जिसके फलस्वरूप कम्युनिस्ट मार गय, शेष भाग गये ऐसी रिपोर्टें ग्राज ग्राप हिन्दू गौर इंडिय एक्सप्रेस' की प्रतिलिपियों में बहु देख सकते हैं1 श्रीं बो॰ शिवा राव : श्रीमान् मैं हूंकि माननीय सदस्य से इन घटनाग्रों क तिथि दिये जाने को कहा जाय उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक तथ्यों कं प्रश्न है, यह बात ठीक हीं है किं उनके बां मं ठीक ठीक समय, स्थान, िला व व्यक्त ग्रादि को बताया जाये जिससे कि॰दूसरा पक्ष उनके द्वार कहे गये ग्रारोपों को खंडन कं या उन्हें स्वीकार करे | श्रीं वों॰ शिवा राव मैं यह नहों चाहता कि ठीक ठीक तारीखन ही बतायी जाये बस यही बताना काफ़ी है कि ग्रमुक वर्ष मे यह घटना हुई उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक सम्भव होे , यह तथ्य १९४७ के बाद के समय के बारे में होने चाहियें | डा० रामा राव : यह सब १९५ ० में हुग्रा में तो केवल इत्तना कहना चाहता हूं कियदि माननीय श्री शिवाराव स्वयं पीठा- पुरम् जायें गौर वहां के कांग्रेसियों सेइस घटना के बारे में पूछन्ताछ् करें गरौर यदि उन्हें यह पता लगे कि॰ मैेंने जो कुछ कहा है वह झठ हॅ॰तो में यहां से त्याग पत्र देने को तैयार पुरानी चाहत

तै यार हूं1 इतना होते हुए भी इस घटना की कोई जांच नहीं करवाई गई | हमने इसवे लिये बहुत ज़ोर दिया ग्रौर दो सौ साथियों ने २७ दिन तक भूख हड़ताल की परन्तु फिर भी कोई जांच नहीं एक बात ग्रौर| इस घटना के एक दिन पहले, हमारी भेंटें बन्द कर दीं गई थीं एक महीने के लिय हमारे पत्रादि पर रोक लगा दी गई थी हमें किसी से भी नहों मिलने दिया जाता था | श्रगले दिन हम एक जुलूस बना कर जा रहे थे | पर कोई रोक नहीों थ गरौर जेल के ग्रधिकारी इस पर गरापत्ति नही करते थे | ख़ैर हम जा रहे थे कि इतने में हमने देखा कि फाटक पर बह्नत से सशस्त्र ्सिपाही खड़े हैं गरौर उनके ग्रागे सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय ग्रादेश देने को तैयार खड़े हैं | यदि वे हमें यह बता देते कि हमारा जुलूस निकालना उचित नहों है तो हम नहों निकालते परन्त उन्होंने ऐसा नहों किया ग्रौर बिना हम् सूचना दिये, हम पर हमला बोल दिया उपाध्यक्ष महादयः माननीय सदस्य ग्रसं गत बातों पर चर्चा कर रहेहैं| हर एक मान नीय सदस्य का जेल में ग्रपना ग्रपना ग्रल गरनुभव है 1 यदि वह लगे तो इसक ग्रन्त नहीं हो सकता | इस प्रकार की बात से बहस् को लम्बा करना ठीक नहीं होगा सदस्यों के लिये यह कहना तो ठीक है व जेलों में ग्रमुक मिलनी चाहिय वहां ऐसे गरत्याचार होते हैं ग्रौर जेल ग्रधि कारियों को कौन कौन सी॰ बातों का प्रबन् करना चाहिये | हर सदस्य के लिये सरक का इस ग्रार ध्यान दिलाना उचित है, यह ग्रवश्य करना चाहिये परन्तु इसके लिय बहुत से ॰ उदाहरणों का दिय जाना ग्रावश्यक नहों समझता + केत्रल घटना ही का्फ़ी है ' डा० रामा राव: मे केवल यही कह चाहता हूंकिजेजों में किस प्रकार ग्रत्याच हमारे हुई| जुलूसों सुनाने सुविधायं

गरौर यदि माननीय उन्हें झूठा साबित र सकें तो मैं ग्रपना त्याग पत्र उनके हाथों में प दूंगा | मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं क्यों- ~ विधिवत् शासन के स्थान पर इस समय मारे यहां एक प्रकार से ग्रराजकता का ज है सन १९४८ में मलाबार में श्री युरत् शंकरन् नामक एक व्यक्त को गिर- तार किया गया ग्रार दिन उसे बहुत रों हालत में जेल ऋ्रधिकारियों को सौंपा या जहां उसकी मृत्युहो गई| जब वह हिरा- त में था तो पुलिस ने उस पर बड़ा ग्रत्याचार रया था ग्रौर उसे बहुत मारा था जजिसके गरण उसकी मृत्यु हो गई यह है उस राजकत्ता के राज का एक उदाहरण सी बातें कई स्थानों पर हुई हैं | में यह कहना चाहता हूं कि इस ऋ्राध- नयम का प्रयोग केत्रल संकटन्समय में ही होना ाहिये प्रवर समिति ने इस सुझाव को करा दिया मं कुड्डालोर जेल में था जहां मुझे बिना किसी ग्राधार या कारण के बन्द किया गया था मुझ से सारो चोज़ें छीन लंो गईं॰ मुझे पोटा गया, मुझ परः गोली भी चलाई गई मेरा स्वास्थ्य इस समय बिल्कुल नष्ट हो चुका है | ये त्रत्याचार मेरे ऊपर केत्रल इसलिये किय गये कि मेंने एक समाचार पत्र पर से प्रतिबन्ध के लिये ग्रान्दोलन करने के बारे में एक सार्वजनिक भाषण दिया था | यह १९४९ की बात है | माननीय श्री शिवा राद कुड्डालोर सेन्ट्रल जेल जाकर मालूम कर सकते हैं कि किस प्रकार लोगों को पीटा गया था, किस प्रकार पुलिस की गोली सेदो व्यक्त्त मारे गये थे,एक को ग्रांख फूट गई॰थी॰ गरौर एक लंगड़ा हो गया था वह उस स्थान को भी॰ देख सकते हैं जहां मेरे ऊपर चलाईं गई गोलो का निशान बना हम्रा है | यदि उन्हें इन बातों के ग़लत दूसरे हटाने होने

ग्रौर गन्दा व्यवहार किया जाता है मेरा कहना तो यही है कि इस कानून का प्रयोग केवल संकट समय में ही किया जाना चाहिये एक मामूली से कार्यपालिका ऋ्रधिकारी को यह ग्रधिकार देना बिल्कुल उचित नहीं जिससे कि वह चाहेजिस व्यक्ति को गिरफ- तार कर सके | यह ऋ्रधिकार केन्द्र के श्रथवा राज्यों के गृह मन्त्रियों को हा दिया जाना चाहिये श्रीं बो॰ शिवा राव : मैंने इस विधेयक की प्रवर सर्मित्ति में भाग लिया था ग्रौर ग्राज जा भाषण दिये गये हैं उन्हें भी मैंने ध्यान से सुना है | मेरे माननीय मित्र श्नी चरर्ज के भाषण से मुझे बड़ी निराशा हुई जब उन्होंने यह प्रवर स्मिति में ग्रन्य दलों के हर सुझाव को ठकरा दिया गया 1 उनका यह ग्रारोप निराधार है बाद में उन्होंने ग्रपनी बात में संशोधन किया गरौर बड़ी ग्रानाकानी से इस बातत का माना कि कुछ छोट छोटे परिवर्तन किये गये हैं | प्रवर समिति की त्रपनी रिपोर्ट से भी यह प्रकट होता है कि यह बात ग़लत है कि ग्रन्य दलों के सारे को जान बूझ कर ठुकरा दिया गया माननीय गृह मन्त्री ने ग्राज सवेरे बताया कि विधेयक में कैसे कैसे ग्रौर क्या क्या संशोधन किय गये हैं| मैं इस विषय में सवि- स्तार कहना चाहता हू | गत चार वर्षों में निवारक निरोध चार ग्रवस्थात्रों से गज़रा है गरौर मेरे विचार में हर ग्रवस्था पर इसमें कार्यपालिका के ऋ्रधि- कारों पर कुछ न कुछ रोक लगाई गई है ग्रौर नजन रबन्दों को ऋ्रधिक सुरक्षण या रियायतें दी गई हैं | मूल ऋधिनियम तथा प्रवर समिति के ख़िलाफ़ जो बातें कही गई हैं उनमें से ग्रधिकतर बातें १९४८व १९४९ क बारे में ठीक हो सकती हैं मैं यह इसालयं कहा कि सुझावों

इस निवारक निरोध के मामले क केन्द्रीय सरकार के सामने लाये 1 इस समय यानी, १९५२ में बैठे हु १९४८ या १९४९ में शासन द्वारा किये गय कार्यों की ग्रालोचना करना बड़ा सरल है परन्तु हमें याद रखना चाहिये कि उर समय देश की स्थिति क्या थीः | १९४२ गरारम्भ में ही बिड़ला भवन में एक महान दुर्घटना हुई॰थी और उस समय केन्द्र में औ राज्यों में ऋ्धिकारियों ने इस बात क गम्भीरतापूर्वक साचा था कि क्यावे इस् को ऋरधिक सतर्क होकर रोक सकते थे इसके बाद विभाजन सम्बन्धी इतनी कठिनाइयां थीं ; सारी व्यवस्था भंग हे रही थी 1 फफिर राज्यों में बहुत से वरिष्ट ऋ्रधिकारियों के ऋ्रवकाश ग्रहण करने फलस्वरूप कनिष्ठ एवं कम गरनुभव वाले ग्रधिकारियों को ज़िम्मेवार स्थानों पर लगाया गया | इसी कारण बहुत से मामलों मे जल्दबाज़ी स काम लिया जिसकी गरौर कई उच्च न्यायालयों ने भी निर्देश किया है| परन्तु हमें इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिये 1 कनिष्ठ ग्रधिकारियों के सामने जब इस प्रकार की समस्यायें त्राईं तो उन्होंने यही ठीक समझा कि देश कीं सुरक्षा को नागरिक काो स्वतन्त्रता से गधिक महत्व दिया जाये यह ठोक है कि॰श्रागे चल कर उच्च न्यायालय इनके फ़ैसलों से सहमत नहीं हुए| ख़ैर, १९४२ व १९४९ में यह स्थिति थी जब निवारक निरोध के मामले मन्त्रणा पर्षदों को नहीं भेजे जाते थे | सन् १९५० के त्रारम्भ में सरदार पटेल इस क़ानून को पिछले दो वर्षों के ग्रपने त्रनुभव को ध्यान में यहां इस सदन में लाये उस समय वह सोचते थे कि नज़रबन्दों को इससे गधिक रियायतें नहीं दी जा सकतीं यह भी हमारे दुर्घटना उन्होंने रखते हुए

तीन सदस्य वाले एक मन्त्रणा परिषद् के सामने रखना श्रावश्यक है हमें सरकार की इस निष्पक्ष भावना ग्रौर उदारता के लिये प्रशंसा करनी चाहिये विधेयक में यह भी उपबन्ध हॅ कि॰ यदि नज़रबन्द चाहेतो उसकी बातः भी स्वयं उससे जा सकती हं नज रबन्द को मौखिक शत पर छोड़ने की व्यवस्था की गईथी1 इस विध्रेयक में प्रवर समिति द्वारा कई सुधार किये गये हैं 1 श्रो चटर्जी को शिकायत थी ्ि कार्यपालिका ऋ्धिकारी को बहुत ग्रधिकार दे दिये गये हे परन्तु वह यह कहना भूल गये कि श्रब उस ग्रधिकारी के लिये राज्य सरकार के सामने निरोध संबंधी सारी सामग्री रखना ग्रौर १२ दिन के गरन्दर उसकी मंजू री लेना श्रावश्यक हा गया है | चीज़ यह है फि राज्य सरकार के लिये श्रब यह श्रावश्यक है कि वह निरोध के लिये ग्रपनी स्वीकृति देक्रर यथा शीघ्र केन्द्रीय सरकार को उसकी सूचना दे 1 इस प्रकारः केन्द्रीय सरकार को ग्रादेश रद्द करने रका ग्रधिकार भी॰ है | एक नये खंड के ग्रनुसार हर एक मंत्रणा पर्षद का ग्रध्यक्ष वह व्यक्त होगा जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो मंत्रणा पर्षद को मामला भेजने की समय ग्रवधि भी ६ सप्ताह से घटा कर तीस दिन कर दी गई है | एक ग्रौर महत्वपूर्ण बात यह की गई है कि गरब किसीं ऐसे व्यक्त को॰ जो नजरबन्द रह चुका है, फफिर से नज़रबन्द करने के लिये नये ग्राधार व'नये कारण दिये जाने ग्रावश्यक हैें| इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवर समित्ति ने विधेयक में बहुत कुछ परिवर्तन किगे हैं ग्रौर नज़रबन्दों को बद्नत कुद् रियायतें दी हें | इस कान्न की जो कृछ बराइयां सुनी दूसरी फिर,

बताया था कि ९५० के मूल ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत यद्यपि न्त्रणा पर्षद थे ॰ परन्तु उनके पास बहुत कम मलों को जैसे उन मामलों को जिनका म्बन्ध ग्रावश्यक प्रदाय व सेवाग्रों से हो " किसी विदेशी के निरोध से हो॰ पहुंचाया त्ा था मेंने इस बारे में पता लगाया है री जानकारी के ग्रनुसार कुल २ या त्ीन तिशत मामले मन्त्रणा पर्षद के पास जाते जिन मामलों का सम्बन्ध भारत की रक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से होता था न्हें मन्त्रणा के सामने नहीं भेजा ता था सरकारके चाहनेपर इन मामलों + उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ज़रिये 7 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की ग्यता रखने वाले किसी व्यक्त के ज़रिये नः जांच हा सकती थी परन्तु फिर भी ी चटर्जी ने यह शिकायत की कि गृह मन्त्री गी ने इस बात की पुर्ष्टि के लिये कोई तथ्य थवा ग्रांकड़े नहीं दियेकि १९५० में ऋधि- ६रीगण कुछ संयम से काम लेते थे मेरे पास इस सम्बन्ध में कुछ ग्रांकड़े हैं जिन्हें मैं ग्रापके सामने रखूंगा १९४८ में केन्द्रीय सरकार ने समस्त राज्यों के नज़र- न्दों की कुल संख्या इकट्ठी करने का प्रयल्न इसमें दो एक महीने लग गये| श्री ोपालन ने एक ग्रवसर पर इस संख्या को १५००० बताया था यह संख्या बहुत ऋधिक ी + वास्तव में नज़रबन्दों की॰ संख्या ८००० + ग्रागे नहों बढ़ी 1 १९४८ के उत्तरार्द्ध में ह संख्या ४८०० थी| इस प्रकार घटते- ढ़ते १९५० के ग्रन्त में नज़रबन्दों की संख्या ८०९० से गिर कर ३२०० रह गई थी ह थी उस समय की स्थिति जब केन्द्रीय सरकार ने॰निवारक निरोध के हाथ में लेने शुरू किये थे | सरदार पटेल के उत्तराधिकारी श्री परिषद् जुलाई कया मामले

हू. उपाध्यक्ष महोदय माननीय सद श्री शिव राव चाहते हैं कि सदन के सद पर जो उलटा प्रभाव पड़ा है वि जाये 4 इसीलिये वह ऐसा कह रहे श्रो बों॰ शिवा राव : श्रब में माननीय सदस्य के मामले को लेता हं कहा था ्कि उनके पास ननिरोध ग्रा की प्रतिलिपि है परन्तु उन्होंने उसमें से पढ़ कर संक्षिप्त विवरण में से पढ़ना ऋ्रधिक ऋ्रच्छा समझा उसमें उन्ह बताया थाकि नज़रबन्द किये जाने के कारण थे 4 जा कारण दिये वास्तिविक कारणों सेजो निरोध ग्रादेश दिये गये थे, बिल्कुल भिन्न थ 4 उन्ह सदन पर कुछ ऐसा प्रभाव डाला मा वह़ मद्ास सरकार द्वारा उनके लिये जा किये गये निरोधन्त्रादेश में से पढ कर सु रहे हों 1 निरोधॅ त्रादेश में बताया गया कि किस प्रकार श्री गोपालन ने ऋ्रमुक ति को ऋ्रमुक नगर में लोगों को पुरलिस के सरकार के विरूद्ध भड़़काया, किस प्रका जनता से पुरु्क़लिप्त इंस्पेष्टर को मा देने के लिये कहा किस प्रङ्रार कहा कि सरकार में शयामा प्रसाद मुकज ग्रार॰ के० सम्मखम् चेट्टी ग्रौर बलदे सिंह जैसे प्रतिक्रियावादी लोग भरे प हें श्रादि ग्रादि यह हें वे वास्तवि कारण जिनके त्राधार पर मद्रास सरका ने श्री गोपालन केखलिये निरोध ग्रादे२ जारी किथा था म ग्रादेश के ग्रनुसार एक भाषण में कहा था वि यदि वर्तमान स्थिति को यों ही चलने दिय जायगा तो जालियांवाला बाग़ जैसी बहु सी॰ घटनायें देश में होंगी | इन सब बात =- न्यत फ एचा परभा कठल फ उसे दूर उन्होंने उन्होंने उन्होंने उन्होंने यह भी उन्होंने

ढांचा हा बदल दिया गया है 1 मुझे विरोधी पक्ष के सदस्यों से एक ग्रौर शिकायत है 1 श्रीा गोपालन ने ग्रपने भाषण में सिविल लिबरटीज़ इन इंडिया नामक पुस्तक में से बहृत सी बातें पढ़ कर सुनाई समय , उन्होंने सदन पर कुछ ऐसा प्रभाव डाला थाकि शायद वह उन विभिन्न निरोध त्रादेशों में से कुछ भाग पढ कर सुना रहे हों जिन्हें मद्रास सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था ऋ्रधिनियम के ग्रत्तर्गत पारित किया थःा मैंने उस पुस्तक को पढ़ा वह एक बड़़ीं रोचक पुस्तक है 1 परिशिष्ट १ में, जिसमें से वह पढ़ रहे थं कसी भी निरोध ग्रादेश का मूल-्पाट नहों था 4म वह तो मद्रास नागरिक स्वतंत्रता संघ के सचिव श्रा एस॰ कृष्णाभरात द्वा७रा तैयार किया गया संक्षिप्त विवरण था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि सार्वजनिक त्यवस्था ऋ्रधिनियम के ग्रन्तर्गत किस प्रकार के ग्रारोप लगाये जाते हैं 1 उदाहरण के तौर पर उस में था कि एक व्यवित को भमिल हड़ताल में भाग लेने के कारण नज़रबन्द किया गया था ; लाल वर्दी पहनने के कारण, तीसरे को सरकार को खाद्य नीति की ग्रालोचना करने के कारण त्रादि ग्रादि इस प्रकार की ग़ंर ज़िम्मेदारी ग्रौर शरारत भरी बातें उसमें थीं 1 यह बातें ग्रापके सामने रखी गईं थीं माननीय सदस्य ने कुछ ऐसा प्रभाव डाला मानों वह निरोध त्रादेशों म से कुछ भाग पढ़ कर सुना रहेहों | श्रीं ए॰ के० गोपालन : मेर पास पुस्तक थी ग्रौर र्मॅ ने यह स्पष्ट कह दिया था कि॰ यह नि रोध ग्रादेशों का संक्षिप्त ढप = | म # ==ःं ~ा 0 +=- ऊ: सुनाते दूसरे को

4ी यह बात है्ि ~ सारे ग्रारोपों को न्यायालय न नामंजूर र दिया हों | में तो ग्रापको यह बता हा था कि वास्तव में निरोध ग्रादेश में या था गरौर श्री॰ गोपालन क्या सुना रहे 1 कुछ दिन हुए श्री गोपालन मद्रास उच्च यायालय के न्यायाधिपति श्री मैक द्वारा दये गये निर्णय का कुछ भाग सुना रहे थे | भी इसमें से कुछ सुनःना चाहता हूं यह नर्णय रामनाथपुरम षड़यंत्र केस के बारे - थाजिसमें श्री एम॰ वी॰ सुन्दरम् गरौर ४२ तरन्य कम्युनिस्ट पकड़े गये थे श्री न्दरम् त ज़मानत के ललिये प्रार्थना पत्र था ग्रौर उसके साथ एक शपथ पत्र #ी संलग्न किया था जिसमें श्रन्य बातों के पाथ यह कहा गया था कि सरकार पार्टी पर बहुत भारी श्रत्याचार करने लगी थी जिसके कारण पार्टीं के सदस्थयों को इन कार्यों का सहारा पड़ा न्यायाधीश ने ग्रपने फ़ैसले में इसका निर्देश करते हुए कहा है कि बम गरौर गोला बारूद का प्रयोग करने वाले के लिये यह एक विचित्र ग्रौर ग्राश्चर्य जनक तर्क है 4म इसका मतलब है किवे चाहते हें कि न्यायालय भी बम का प्रयोग करने वाले लोगों का पक्ष ले इस बात को कभी सहन नहीं किया जा सकता श्री मैक ने श्रागे यह भी कहा कि कम्युनिस्ट दल के लोग किस प्रकार फ़रारहो जाते हैं जब कि उनकी किसी मामले में बड़ी त्रावश्यकता होती है | इसफे कारण मामलों को निपटाने में बड़ी देर ग्रौर दिक्कत होती है | यह एक बहुत ग्रनुचित रवैया है 1 इस प्रकार श्री मैक ने श्रपन फ़ैसले में कम्युनिस्टों की कार्यवाहियों का ज़िक्र किया है | में॰ सदन का ग्रधिक समय न लेकर यही कहूंगा कुछ् सदस्यों के इस प्रश्न का दूसरी दया कम्युनिस्ट लेना

सरकारी बैंचों पर बैठे सदस्य नहीं, बल्ऊ विरोधी बैन्चों पर बैठे सदस्य ही ठीक तरह दे सकते हैं | श्रो सारंगधर दास ढेनकनाल पश्चिम कटक मैं विधेयक के विस्तार में जाना नहीं चाहता में ग्रौर मेरा दल इस विधेयक के सिद्घान्त के विरुद्ध था परन्तु मैं प्रवर सर्मिति में इसमें कुछ फेरन्बदल करने के विचार से गया था जैसा ग्रन्य माननीय सदस्यों ने कहा, हम वहां बहुसंख्यक दल को श्रपने से सहमत न करा सके जिसके फलस्वरूप विधेयक में विशेष परिवर्तन नहों हो सका है | मैं इस विषय में ग्रमरीका का उदाहरण देना चाहता हूं च लगभग तीस वर्ष हुए में वहां था | उस समय साम्यावादी दल का तो जन्म हुत्रा नहीं था परन्तु तरराजकता वादियों से श्रमरीका के लोग बहुत घबराते थे | जो भी विदेशी वहां जाता था उसकी जांच की जाती थी कि कहीं वह ऋरराजकतावार्द न हो| इस पर भी वहां कुछ लोग गराजकता वादी हो गये ग्रौर उनके नेतात्रों ने ग्रपना वहां खूब प्रचार किया सरकार का तख्त उलटने के लिये वे लोग खुले तौर पर चचिल्लाया करते थे परन्तु ग्रापक्ो सुन कर त्राश्चर्य होगा कि इसके खिलाफ़ कोई क़दम नही उठाया गया निवारक निरोध क़ानून जैसा कोई क़ानून वहां नहीं बनाया गया क्य कि यह चीज़ भाषण स्त्रातन्त्र्य तथा सम्मिलन स्वातन्त्र्य के मौलिक ग्रधिक्रारों के॰ जो वि उनके संविधान में ननहित हैें, एक दम विरू है | वहां की जनता संविधान के सिद्धान्त को बहुत पवित्र मानती है ग्ौर कोई सरका२ भी इन ऋधिकारों के विरूद्ध नहीं सकती | इतन पर भी वहां त्रराजकतावा को सफलता नहीं ममिल सकी सुझावों

न केवल साम्यवादी दल के विरुद्ध ही बल्कि ग्रन्य समस्त राजनैतिक दलों के विरु हॅजो कांग्रेस का विरोध करते हैें | उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदर विधेयक के ` सद्धान्त पर बहस कर रहे हैं विधेयक का सिद्धान्त तो मान लिया गय है॰ इस पर ग्रब बहस नहीं की जा सकती ग्राप केवल यह कह सकते हैं कि विधेय में से श्रमुंक बात हटा ली जाये या श्रमु सुधार कर दिये जाये 1 श्रों सारंगधर दास \* श्रीमान्, यही कह रहा हूं कि इस कानून को सा देश में लागू करना अ्रनु चित है | दूसरे इसमें बहुत कुछ फेर ्बदल की भी ग्रावश्यकत है |इन सब बातों को सिद्ध करने के लिय मुझे कुछ घटनात्रों की चर्चा करनी होगी लगभग दो वर्ष हुए ग्रासाम में वहां के मुष्य मंत्री श्री बारदोलाई की मृत्यु के फलस्वरू हुए उपचुनाव के सिलसिले में यह कानून लागू किया गया था समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी | उस श्रवसर पर मेरी पार्टी ने ग्रासाम सरकार को यह सूचना दी थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ग्रासाम के भिन्न भिन्न स्थानों में ग्रपने त्रड्डे जमा रहे हैं॰ इसलिये उन परकड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये + परन्तु सरकार ते कुछ नहों किया 1 उसने उलटे समाजवादी पार्टी के लोगों को ही इस कानून के ऋ्रन्तर्गत गिरफ्तार कर डाला | फल यह हुत्रा कि समाजवादी पार्टी हार गई तौर कांग्रेस जीत गई 1 श्रो बलोराम दास (वा रपे॰ ) यह बिल्कुल ग़लत है 1 कोई समाजवादी नहीं पकड़ा गया

हो गया है | श्रब वहां के लोग साम्यवाद और साम्यवादियों से घबराते हैं परन्तु इनको दबाने के लिये वहां निवारक निरोध ऋधिनियम नहीं है | हाल ही में वहां के कुछ लोगों न एटम बम संबंधी कुछ गुप्त बातें रूस पहुंचा दी॰ थीं फफिर भा वहां निवारक निरोध क़ानून का सहारा नहीं लिया गया उनके यहां ग्रपने ग्रलग क़ानून हें जिनके द्वारा लोगों को दंड दिया जाता है जापान में भी, जो नया संविधान लागू हुग्रा है--मैं समझता हूं वह ग्रमरीकी संविधान के ग्रनरूप ही है उसंनें निवारक निरोध कां कोई उपबन्ध नहों है | हाल ही॰ में वहां साम्य- वादियोंने झगड़े उठाये थे परन्तु इनको दबाने के ्लिये निवारक निरोध को काम में नहीं लाया गया यहीं चीज़ इंग्लैंड नें है | ग्रव ग्रप हमारे तपने देश को लीजिये | हैदराबाद में, पुलिस कार्यवाही के बाद श्रौर रज़ाकारों की पराजय क बाद कुछ तत्व गड़बड़ करने लगे थे, इस ग्रव्यवस्था के कराण, सरदार पटेल नेजो उस समय मंत्री थे, निवारक निरोध श्रधिनियम कृह बड़ी जल्दी जल्दी पीरत करवाया उस समय लोगों पर कुछ ऐसा प्रभाव डाला गया था कि यह एक श्रस्थाई कानून है जब सामने बैठे माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वर्त्तमान विधेयक में बहुत कुछ सुधार कर दिये गये हैं गरौर १९५० के बाद से नज़रबन्दों को संख्या भी नःम होती जा रही है तो मैं यह कहना चाहता कि क्या हैदराबाद में ग्रौर ग्रान्ध्र देश ग्रव्यवस्था थी वह कम नहीं हो गई है जो सारे देश में इस ग्रधिनियम॰ को लागू करने का कोई कारण नहीं है | गृह मंत्री गौर उस शरोर के श्रन्य सदस्य बार बार यह कहते रहेहें कि यह कानन किसी हमारे ढूँ

दास ग्राप ग्रत्तवाधा डालें बाद में ग्राप मेरी बातों का त्तर दे सकते हें | इसी प्रकार मजदूर संघ ग्रान्दोलन में ग लेने वालों के साथ व्यवहार किया जा हा है बम्बई में इस समय मजदूर संघ के ार पांच नेताग्रों को नज़रबन्द कर रखा है | म्बई पोतघाट कर्मचारी संघ के मंत्री डी मैलो ७ ग्रभी तक नजरबन्द कर रखा है वह मारे दल की ग्रोरं से उस क्षेत्र के लिये म्मीदवार था 4[ परन्तु उसे ग्रगस्त के हीने में ही ग़ायब कर दिया गया गौर त्रभी क वह जेल में है . जहां कहों भी॰ सरकार खती है कि उसके पिट्ठू संघों के विरुद्ध ोई व्यक्ति दूसरा मजदूर संघ संगठित रन का प्रयत्न कर रहा है वहीं वह उसे इस कानून के श्रन्तर्गत पकड़ लेती है | मैं ूछता हूं उस व्यक्ति पर मूक़दमा क्यों नहों चलाया जाता + इसीलिये मैं कहता हूं कि इस कानून के द्वारा सरकार सारे विरोधी दलों का, चाहे वह कम्युनिस्ट हों चाहं महासभा चाहे समाजवादी, दनन क रना चाहती है | उड़ीसा में भी ऐसा ही हुश्रा जिस समय की घटना मैं सुना रहा हूं उस समय निवारक निरोध ग्रधिनियम नहों था इप्तकी जगह कुछ राज्यों में सार्वजनिक व्यवस्था ऋधिनियम लागू था उडीसा में इस ग्रधिनियम को एक समाजवादी कार्यकर्त्ता पर लागू किया गया जब वह ग्रादिवासियों से मिलने वहां गया उसको यह श्रादेश दिया गया कि वह श्रपना सारा कार्यक्रम पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को बताये गौर जहां कहीों भी शराय जाये उसकी सूचना देता रहे | यह भी निवारक निरोध की तरह् का एक अधिनियम था जिससे विरोधी पक्ष का कुचल डालने का प्रयत्न किया जा रहा था 1 सौभाग्य से उस कार्यकर्त्ता पर इस श्रादेश के जारी होने वेः समय में हिन्दू

गया कि ग्रादिवासी लोग बड़ी जल्दी भड़क उठते हैं इप्ताउिये वहां कोई पार्टी प्रचार नहीं होना चाहिय परन्तु मेरा ग्रनुभव कुछ दूसरा ही है 1 वे बहुत शान्तिप्रिय गरौर सीधे लोग हैं | एक गांव में इस समाजवादी कार्यकर्त्ता ने एक पाठशाला खोलने में बड़ी सहायता की 1 जब इस स्कूल के लिये मिट्टी की एक छोटी सीइमारत बनवाई जाने लगी तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया ग्रौर कहा कि सरकार इन सीधे ग्रौर भोले- भाले लोगों के लिये स्कूल बनवाने की ग्रनुमति नहों देती 1 तोग्रापने देखा कि स्थिति किस प्रकार की है | एक ग्रोर तो मंत्री जो शिक्षा का प्रचार करने के लिये कहते हैं दूसरी गरोर स्कूल खोलने के लिये मनाही कर दी जाती है 1 चूंकि उस स्कूल को समाजवादी खोल रहे थे इसलिये उसे नहीं बनवाने दिया गया 1 इस तरह के मै ग्रापको कई उदाहरण द सकत्ता हू यह सब उड़ीसा सार्वजनिक व्यवस्था ग्रादेश के ग्रन्तर्गत किया गया थाजो निवारक निरोध प्धिनियम की तरह का एक कानून था प्रथम तो हम इस विधेयक के ही विरुद्ध हैं परन्तु यदि इसे लागू करना ही है तो हम् चाहते थेकि इसे कम श्रवधि के लिये ला किया जाये जिससे को समय समय सारी स्थिति का ज्ञान कराया जाता रहे ऐसा न करके इसको श्रवधि १९५४ के त्र तक कर दी गई है | इस कानून के ज़रि भारत सरकार कम्युनिस्टों को दबान सारे विरोध का गला घोंटना यदि देश में कहीं कही जैसे ग्रान्ध्र प्र में या तेलंगाना में कुछ गड़बड़ हो रही है उसके लिये हमारे ग्रधिकारी गरौर हमा पुलिस भी उत्तरदायी है हमारी पुल् की कार्यकुशलता बहुत ऋ्रधिक गिर डै 1 ग्रंग्रेज़ों के ज़माने में पुलिस बहत शिक्षा संसद् चाहती बहाने हमारे

जा रही है | लायक ग्रलीो का मामला इसका सबूत है | पूलिस की इस कमज़ोरी को छिपाने के लिये निवारक निरोध कानून लागू किया जा रहा है॰ जिससे कि जो भी सरकार का थोड़ा सा विरोध करे उसे पकड़ा जा सके | समाजवादी दल शान्तिप्रिय ग्रान्दोलन में विश्वास करता है | तो फिर इस दल के लोगों को जो कम्युनिस्टों की भांति हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करते, क्यों नज़रबन्द किया जा रहा है | यह एक बहुत ग्रनुचित्त बात है | प्रवर समिति में बहुत से संशोधन रखे थे परन्तु सब के सब नामंजूर कर दिये गये| त्राप स्वयं सोचिये क्या भारत में हैदराबाद ग्रौर सौराष्ट्र को छोड़ कर, ऐसी स्थिति है जिसके लिये इस कानून का लगाया जाना ग्रावश्यक हा | ऋ्रतः सरकार को चाहिय कि केवल इन दो राज्यों में ही इस कानून फा लागू करे.| स्वामी रामानन्द तीर्थ ( गुलबर्गा ) =ं इस विधेयक के सिद्धान्त परतो बोलना हों चाहता क्योंकि इसे पहले ही स्वीकार केया जा चुका है | मैं इस विषय में केवल पपने कुछ विचार ग्रापके सामने रखूंगा कुछ माननीय सदस्यों नं यह कहा कि ह क़ानून विरोधी दल को कुचल देने के रादे से बनाया जा रहा है | यह लत बात है हम इतने नीच्ह रहैं ो यह सोचें कि विरोधी पक्ष के लोगों को मेशा दबाये ही रखा जाये 1 हम समझते कि कोई भी प्रजातन्त्रात्मक शासन उस मय तक प्रभावा रूप से नहीं चल सकता ब तक वहां कोई विरोधी पक्ष न हो कहुना भी गलत है कि यह कानून केवल ्यनिस्टों को दबाने के लिये ह ड इस जैसा हमने

विश्वास रखते हों ग्रौर जो ग्रपने उददेश् की पूर्ति के लिये मार-्धाड़ का सहारा हों म माननीय श्री सारंगधर दास कहा कि यह ऋ्रधिनियम समाजवादियों कुचलने के लिये काम में लाया जाता है ग लाया जायगा उनका यह डर निराधा है 1 किसी भी सरकार केलिये यह सोचन सबसे बड़ी भूल है- कि वह संगीनों गर बन्दूकों से किसी राजनैतिक दल को कुचल सकेगी संगीनों से त्राप विवार धारात्र को या सिद्धान्तों को नहों बदल सकते हम जानते हैं कि यादि हमें प्रजातन्त्रात्मक शासन क़ायम रखना है तो हमें साधारण जनता की ्राथिक दशा सुधारनी होगी परन्तु हमें यह भी॰ देखना चाहिये कि॰ इस समय हमारे यहं को स्थिति कैस्ी है| मै यह कह सकता हूं कि स्थिति ग्रभी तक ठीव नहीं है ग्रौर इसके लिये इस कानून का होना इस समय बहुत ज़रूरी है | हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि वे{हिंसा द्वासा सामाजिक ग्रथवा ग्राथिक परिवर्तन ला सकते हैं | उनकी यह विचार धासा बिल्कुल ग़लत है 1 हर कार्य के करने के लिये कुछ प्रजातत्रांत्मक पद्धतियां होती हें 4म यदि उनका ग्रनुसरण किया जाये तो फिर इस क़ानून को कोई ग्रावश्यकता नहीं रह जाती | परन्तु ऐसा नहों हो रहा है 1 लोग दिशा में कार्यवाही करते हें जिसके कारण यह क़ानून जरूरी हो जाता है | मैं माननीय गृह मंत्री से कहूंगा कि विरोधी पक्ष के सदस्यों में इस बारे में जो डर है वह कुछ इसलिय भी॰ हैरकि कहीं कहीं इस क़ानून का दुरुपयोग किया गया है 1 ग्रतः हमारा यह कर्त्तव्य है॰ कि इस प्रकार दूसरी क़ानून के

चााहय नज़रबन् को ग्रभ्यावेदन करने का शीत्रातिशीत्र ग्रवस दिया जाना चाहिय ( मं जानना चाहत हूं कि॰ उसे क्या ग्रवसर दिया जायेगा क्या उसे केवल एक पेंसिल ग्रौर कागज़ पकड़ा दिया जायेगा या उसे राज्य सरकार के सामने उपस्थित किया जायेगा ? संविधान के गरन्तर्गत, एक नज़रबन्द का सबसे महत्वपूण गरधिकार यही है किं॰ उसे शीघ्र से शीघ्र राज्य सरकार को ग्रभ्यावेदन करन तथ मंत्रणा पर्षद् के सामने उपस्थित होने दिया जाये यह चीज़ धारा ७ में ठीक तरह न्ह दी गई है गरौर उन्हीं शब्दों यानी शीघ्राति शीघ्र श्रवसर ' का प्रयोग किया गया है क्यायह एक महींना है या दो महीने ? विशेष् तौर पर जब ग्रादेश के बाद १२ दिन निर्दे२ करने के लिय दिये जायेंगे तो उसे राज्य सरकार के सामन ग्रभ्यावेदन करने क शीघ्रातिशीत्र ग्रवसर मिलना चाहिये नजरबन्द द्वारा वकील करके भुक़दम लड़ने की बात का मैं समर्थन नहीं कर सकता जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होता एसा करना संभव नहों | विधेयक में एक नया उपबन्ध यह कि॰जिब तक नये ग्राधार नहों हों॰ किसं व्यक्ति को फिर से नजरबन्द नहीं किय जा सकता + परन्तु उस समय क्या स्थिा होगी जिब किसी व्यक्त के नज़रबन्द रह हुए कुछ नई बातों का पता चले ? क्य उन बातों के ग्राधार परउसे फिर से नज़रबन् किया जा सकता है ? मैं इस का स्पष्टीकर करना चाहता हू | श्रीं आल्तकर ( उत्तर सतारा ) ग्रा देश की स्थिति इस प्रकार की है निवारक निरोध ग्रधिनियम का लागू किय जाना बहुत ज़रूरी है 1 इस क़ानून हमारे

ग्रार उन सदस्या का श्वास दिलायें कि॰ यह क़ानून किसी जनैतिक दल के विरुद्ध नहीों बनाया जा हा है 1 मैं मानता हूंकि यह एक साधारण क़ानून है परन्तु इस समय त्की बहुत ग्रावश्यकता है 1 श्री शे३गिरि राव : भारत के संविधान ग्रन्तर्गत नजरबन्द को चार मौलिक धिकार दिये गये हैं 1 (१ ) उसे मंत्रणा पर्षद् के सामने जांच रवाने का प्रधिकार होगा ( २ ) उसे नज़रबन्दी कारण यथाशीत्र बताये जायेंगे ३ ) म्यावेदन करने के लिये उसे शीत्राति- ोघ्र ग्रवसर दिया जायेगा ऋरौर (४) निरोध १ी ग्रधिकतम ऋ्रवधि ग्रधिनियम मेंदी ानी चाहिये इस निवारक नि रोध्र धिनियम कीं एक ख़ास बात यह है कि इस - वही शब्द दिये गये हैं जो संविधान के नुच्छंद २२ (५ ) में हैं | ग्रनुच्छ्द २ (५) के ग्रनुसार \* "निवारक निरोध उपबन्धित करनें वाली किसीं विधि के श्रधीन दिये गये ग्रादेश के ग्रनुसरण में जब कोईं व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब ग्रादेश देन वला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को जिन ग्रांधारों पर वह ग्रादेश दिया गया है॰ जन को बतायेगा तथा उस ग्रादेश के विरुद्ध ग्रभ्यावेदन करने के लिय उसे शीघ्रातिशीत्र श्रवसर देगा | " ्ग्राधनियम की धारा ७७ में भी यही शब्द रखे गये हें | संविधान की ग्रभप्राय तो यह है कि॰ कुछ न कुछ समय-त्रवधि ग्रवश्य होनी चाहिये जिससे ग्धिकारी यह न कह सकें कि उचित ग्रवधि एक महीना है या दो महीन प्रवर समिति ने ठीक =॰ ऊ= फेसला किया डै कि पांच से प्रघिक

कोई व्यक्ति इनके विर गवाही नहों देगा 1 मैं किसी राजनैतिक दल की ग्रोर निर्देश नहीं कर रहा 1 केघल उन लोगों के लिये कह रहा हूं|ज हर समय समाज के लिये खतरा हें 1 बम्ब= राज्य मं हमं इसका ग्रनुभव है मे कहने का प्रभिग्राय यह है कि जब तक ऐस क़ानून नहीं बनता देश में शान्ति व्यवस्था नहीों रह सकती वास्तव में लो को यह शिकायत नहीं हैरकि यह ऋधिनिय क्यों बनाया जा रहा है॰ उनकी शिकायत त यह है कि इसका समाज विरोधी तत्वों वे ख़िलाफ़ ठीक तरह से प्रयोग नहों किया ज रहा है | लोग हन से कहते हैं कि यदि ग्रप इन्हें नहीं पकड़ सकते तो ग्राप शासन क बागडोर किसी ग्रौर के हवाले कीजिये वे कहते हें किये लोग ग्रौर ग्राप में ही मिले रहते हैं 1 इनका पहचानना कठिन होता है | तो इस प्रकार की परिस्थिति में सरकार के पास इस कानून को लागू करन के ऋ्रलावा कोई ग्रौर चारा नहीं | यहा एक प्रभावी तरीक़ा है जिससे व्यवस्था कायम की जा सकती है | विधयक को देखन से हमें पता लगता ह कि प्रवर समिति द्वारा विचार होने के बाद हमने इसमें विरोधी पक्ष की मांगों के अनुसार चार रियायतें दी ह | प्रारंभ में धारा ७ को संशोधित करने का विचार नहों था अब विरोधी दल की मांग क अनुसार उसमें पांच दिन की अधिकतम अवधि का उपबन्घ कर दिया हॅ | फफिर धारा ८ के बारे में यह पूछा गया कि मंत्रणा पर्षंद् की रचना क्या हॅ उपाध्यक्ष महादय माननीय सदस्य अपना भाषण मध्यान्ह पश्चात् जारी रखें हममें हमने

उदार वनाया जा चुका है गौर अब जो कुछउपबंन्घ कये गये हैं वे परिस्थितियों को देख कर ही कये गये हैं 1 विरोधी पक्ष के सदस्य हते हैं कि नज़रबन्द को वकील करन का रधिकार होना चाहिय ग्रौर सरकार के ास जो भी॰ जानकारी हो वह नजरबन्द ो दी जानी चाहिये 1 ता इसका मतलब ह है कि॰ जिस तरह साधारणतः एक ुक़दमा चलता है उसी त्रह यह भी॰ चले 1 रन्तु क्या गराजकल की स्थित में इस प्रकार की सुरविधा देना ठीक है | विरोधी दल कें सदस्यों का यह डर नेराधार है कि इस॰ कानून का राजनैतिक इलों का दमन करने में काम में लाया जायेगा | प्राप देखेंग क इस समय देश में समाज विरोधी तत्वों न कुछ इस प्रकार का तरीक़ा प्रपना रखा है जिससे ग्रपराधियों को पकड़़ना हुत कठिन हो गया है साधारण कानूनों दारा शान्ति ग्रौर व्यवस्था बनाये रखना प्रसंभव सा हो गया है बम्बई राज्य के कुछ भागों नें गांव वाले इन ग्रातंकवादियों से परेशान हो गये हैं 1 कठिनाई तो तब होती है जब यह कहा जाता है कि गवाह ेश किये जायें | गांव वाले इतना डरे हुए ईैँ कि॰वे इन लोगों के विरुद्ध गवाही देने से बराते हैं इन लोगों के पास बिना लाइसेंस के हथियार हं और यह एक जत्था ना कर लूट मारकरते हैं | ये लोग जिन्हें प्रपना शिकार बनाते हैं उनके टुकड़़े रके नदी में फेंक देते हॅं ताकि उनके खिलाफ़ कसीो सबत का निशान तक न रहे| बिचारे गांव वालों में इनके विरुद्घ बोलन की हिग्मत हीं होती हमें इन लंोगों को ठीक करता { इस समाज विरोधी तत्व को समाप्त करना है गौर इन्हीं के ललिये यह क़ानून बनाया गया ह यदि ऐसे लोगों के लिय गवाही का ढुकड़े

मुझ राज्य सचिव महोदय से प्राप्त दो संदेशों की चना देनी हॅ : (१ ) मुझ लोक सभा को सूचित करना कि राज्य न अपनी ३१ जुलाई ९५२ की बैठक में राज्य सशस्त्र आरक्षी ल ( विधियों का विस्तार ) विधेयक , ९५२ का, जजिस लोक सभा न अपनी ५ जुलाई १९५२ की बठक नें पारित किया -, बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लया हॅ "" (२ ) मुझे लोक सभा को सूचित करना कि दंड प्रक्रिया संहिता ( द्वितीय संशोधन ) धयक , १९५२ को॰ जिसे लोक सभाने पनी ११ जुलाई १९५२ की बैठक में रित किया था, राज्य ने अपनी 9 १९५२ की बैठक में निम्न ंशोधन के साथ पारित कर दिया ह कि विधेयक के खंड ७ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३२ ए के खंड (क) के अन्त में शब्द "$0 0फ़ऐूठ ' ( इस प्रकार प्रर्वाः्त ) जोड दिये जायें 1 अतः मैं विधेयक का इस प्रार्थना ऐ साथ रहा हूं कि उक्त संशोधन . के वारे में लोक सभा की सहमति परिषद् के स भजी जाये १" दंड प्रकिया संहिता (द्विर्तय संशोधन विधेयक साचिव महोदय श्रीमान्, में सदन पटल पर दंड प्रक्रिया संहिता ( द्वितीय संशोधन ) विध यक, १९५२ रखता हू जिसे राज्य परिषढ़् ने एक संशोघन के साय वापस भजा परिषद् पररिषद् परिषद् जुलाई भेज

संयुप्त सर्मिात को रिपोर्ट का प्रस्तुत्त किया जाना रक्षा मंत्रो श्र गोपालस्वामों में उस विधेयक के लिये स्थापित संयुक्त सर्मिति की ्रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं जिस में कुछ रक्षित वायु सना तथा साथ ही कुछ सहायक वांयु सेना का रचना विनियमन की तथा इससे सम्बंधित अन्य मामलों की ठ्यवस्था को गई ह इसके पशचात् सदन को बैठक साढे तोन बज तक के लिय स्थापित हो गई सदन को बैठक साढ तोन जे पुनः समवत हुई [ अध्यक्ष महोंदय अध्क्षन्यद पर आसान थे 1 ) निवारक निरोध द्वितोय संशोधन ) विधेयक जार श्रों आल्तेकर मैं आपस धारा ८ ठ बारे में कह रहा था अब जो संशोध किया गया हॅ उसक अनुसार सम्बंधित सरका के लिये यह आवश्यक ह कि॰ वह मंत्रण पर्षद् क अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायाल के्किसी न्यायाधीश का नियुक्त करे भाग ग॰ राज्य के बारे में, किसी भाग या भाग ख॰ राज्य क किसी उच्च न्यायाल क न्यायाधीश का सम्बन्धित राज् सरकार की सहायता सं मंत्रणा पर्षद् अध्यक्ष बनाया जायगा के० गोपालन चूंकि हम ए ,\*:ः ३ र्णविधयक पर बहंस कर हें, इसलिय मेरा सुझाव यह है कि सदन बेठक द७ मिनट तक स्थगित कर दी जा ताकि सरकार की ओर से तब तक्र कोई सद ?फ" सफ ? " "= ऐ- म" फ और श्रों ए०

परन्तु यदि मंत्रणा पर्षद् क राय में नजरबन्द के लिय सहायता आवश्यक है तो वह वकीलांके बजाय किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को य अन्य किसी व्यवित को सहायता ले सकता जो कानूनी मामलों में उसकी मदद कर सके यह भी एक महत्वपूर्ण संशोधन हँ तो आाप देखेंगं किये संशोधन नजरबन्द को काफी रियायतें देते हें | आाज देश जो स्थिति है उसको देस्ते हुए इस कानून को होना बहुत्त आवश्यक हॅ 1 इसे काला कानून कहना केवल एक ओर की बात कहना इं हमें सारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में खखना चाहिय इस कानून को इसस अधिक उदार नहीों बनाया जा सकता श्री नम्बियार \* आरंभ में हम अश करते थे॰कि सरकार इस कानून को वापस लगी 1 परन्तु सरकार न यानी बहुसंध्यव दल ने एसा नहों किया | कहा गया कि मूल अधिनियम परभी बिचार किया जाय ग और उस में सदस्यगण चाहं तो संशोधन कर सकत हं विमति टिप्पणियों से हमें पता चलता हॅ मूल अधिनियम पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं हुआा है और उसमें नाम मात्र क ही संशोधन किय गये हैं जसे मंत्रणा पर्षंद् को मामला भजने के ललिये अवधि ४२ दिन से घटा कर ३० दिन कर दी गई है | कोई विशष परिवर्तन उसमें नहीं हुए हैं | हमार सरकार से अब रभी यही कहना ह कि इस घृागित िध यक को वापस ले लिया जाय इस कानून में बहुत कुछ बातें अस्पष्ट ह और उनके आधारपर अधिकारोगण अथवा सरकार अपनी मनमानो कर सकत हें ४भारत को सुरक्षा +) अथवा ४४ विदेशों से संबन्ध 11 शब्द बहत व्यापाक हैं और कानूनी हमसे इनके

इस स`े एसा॰प्रगट होता है कि वे हमारी बातों को सुनना तक नहीं चाहते 1 अध्यक्ष महादय : मैं भी अभी यही कहन जा रहा था कि किसी भी॰ मंत्री क लिये सदनंक कार्य के अतिरिक्त और कोई कार्य महत्वपूर्ण नहों हो सकता उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिय कि बाहर चाहे कितना हो जरूरी काम हो, सदन में उंनकी मौजूदगी उससे कहीं अधिक जिरूरी है | बोमारी पा अन्य आकस्मिक कठिनाइयों को बात हॅ पर कहों अर व्यस्त होने की बात कहना इस सदन के प्रति उचित ध्यान न देना होगा श्री आल्तेकर : तो मं आपको बता रहा थाकि धारां ८ महत्वपूर्ण संशोधन किया गया हॅ 1 यह कहना गलत होगा कि मूल अधिनियम में कोई विशेष परिवर्तन नहों किया गया है | इसके बाद धारा ९ को लीजिये| इसमें यह संशोधन किया गया हॅ कि॰ संबन्धित सरकार किसी व्यक्त को नजरबन्दी क तीस दिन के अन्दर मंत्रणा पर्षद् के सामने नजरबन्दी क आधार प्रस्त्ुत करेगी और पदिः उसने कोई अभ्यावेदन किया ह तो उस भी प्रस्तुत करेगी | यदि निरोध आदेश किसी अधिकारी द्वारा जारी हुआा ह तो उसकी रिपोर्ट भीं मंत्रणा पर्षद्को भी उसी अवधि ऊे अन्दर भेजी जायेगी पहल यह समय अंवधि ६ सप्ताह थी | इसे अब ३० दिन कर देया गया है इसका परिवर्तन यह हँ कि अधिकारीं को रिपोर्ट क साथ साध उन सारं फागजों को भा जरूरी हॅ जो पहले नहों ेेजे जाते थे यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पंशोधन ह धारा १० को उपधारा (३ ) ऐ बारे में मैं एक बात कहूंगा इस में जो ग़ोधन हअा हं उसके अनसार नजरबन्द दूसरी में बहुत भेजना

ती है 1 मं आपक्रो कई उदाहरण द ता हूं जजिन में लोगों को बहुत ही ों पर पकड़ ललिया गयाः है फिर में आवश्यक प्रदायों और सेवाओं ) ) बनाय रखन को बात है | मेरा वे क मजदूर आन्दोलन से बहुज़ पुराना नध हॅ अत : में इस पर अधिकृत रूप बोल सकता हूं | सन् १९४७ के वाद अत्र कभो भो रलवे वालों ने कोई कार्य- करनो सोची तब हा सब स ले मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता था हे वह कार्यवाही भारत क किसी भाग हो, वे लोग मुझ पकड़ लेते थे और रब्रन्द कर देते थे | मुझे नजरबन्द ही ो किया जाता था वरन् जेलों में मेरे साथ फ बुरी तरह व्यघहार किया जाता था ७ एक हाथ बे ल्लोर सेन्ट्रल जेल नें टूटा था - में दैनिक भत्ते क सिलसिले में त्न हड़ताल को थी ; इसीा मामले में पर लाठी चार्ज किया गया जिसमें मेरा ह हाथ टूटा था ग्राज त्राप फफिर उसी कानून को लागू रने जा रहे हैं | विरोधी दल का हर क्त इस कानून फेखिलाफ है क्योंकि ह जानता है कि इस्े विरोधो पक्ष का गला ंटने के काम में लाया जायगा म कांग्रेस के गों को देता वे इस कानून लेकर जनता के सामने जायें ग्रौर वोट ग 1 यादि इस परवे जोत जाते हैंतो में ताग पत्र देने को तय्यार हूं परन्तु यदि वे र॰गयेतोक्यावे लोग त्याग पत्र दे देंगे ? जब मैं वेल्लोर जेल में था तो मद्रास विधान सभा के ग्रध्यक्ष महोदय ो एक पत्र भेजना चाहता था परन्तु स पत्र को उन तक पहुंचाने से इन्कार र दिया गया 1 मैँने उस पत्र में ग्रध्यक्ष महोदय से विधान सभा की बैठकों में उपस्थित मामूलो हमन चुनौती हूं कि सेंन्ट्रल

परन्तु इस पर भी ग्रापत्ति की गई श्रौर वह पत्र उनको नहों दिया गया | इस मामले को मैं मद्रास उच्च न्यायालय तक ल गया. 1 वहां से इस बात पर कड़ा ग्राश्चर्य प्रकट किया गया ग्रौर यह ग्रादेश िला कि मेरे सारे पत्र ग्रादि ग्रध्यक्ष महोदय के पास पहुंचाये जायें ग्राप दखते हें कि किस प्रकार इस कानून को काम में लाया जाता है | डा॰ काटजू कहते हें कि नज़रबन्दों के साथ जेल में पूरी नत्रता ग्रौर शिष्टता से व्यवहार होता है॰ मैं उनसे कहता हं कि वह ज़़रा एक महीने जेल में रहें ग्रौर फिर देखें कि ऊपर क्या गुज़रती है | इस सम्बन्ध में प्रवर सर्मिति द्वारा दिये से सुझाव ठुकरा दिये गये 1 झम से रुम त्राप उन्हें ख्राना तो ग्रच्छा दीजिये जेल में उनके रहने की॰ हालत को तो बनाइये तीसरी चीज़ में विधान सभात्रों या संसद् के सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में कहूंगा 1 इस बारे में मैंने एक संशोधन भी दियाया कि॰ सारे संसद् सदस्यों के लिये यह संरक्षण हो कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाये यदि उन्हें गिरफ्तार किया भो जाये तो कम से कम संसद् का सत्र होते समय उन्हें संसद् में ग्राने झो ग्रनुभति होनी चाहिये मेरा तासरा सुझाव यह था कि इन लोगों कोः गिरफ्तार करते समय संबन्धित्त गृह मंत्रियों के आदेश ग्रवश्य चाहिये उदाहरणतः याद मद्रास िधान के सदस्य को शिरफ्त्तार किया जाये तो मद्रास राज्य के का ग्रादेश\_ होना चाहिये गौर यदि के सदर्प को गिरफ्तार िया जाये तो वह संघ के के ग्रादेश से होना चाहिये प्रवर समिति में मेरे इस सुझाव को भी नामंजूर कर दिया इंग्लैंड में नियम १८ बी के ऋ्रन्तर्गत्त ्पालियामेंट के सदस्य को केवल गह मंत्रीा के ग्रादेश से ही गिरफ्तार किय- गये बहुत होने गृह मंत्री संसद् गृहमंत्री

यहां भारत में हम लोगों को वही ऋ्रधिकार दिये गये हैं जो ब्रिटिश लोक सभा के सदस्यों को प्राप्त हैं परन्तु इस विशेष मामले में हमें यहां का कोई साज़िला मजि- स्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है | यह दो परस्पर विरोधी बातें नहीं होनी चाहियें इससे हमारे सारे ऋधिकार व्यर्थ हो जाते हैं इं ्लैंड में यह नियम युद्धकाल में लाग हुग्रा था, परन्तु भारत में इसे बिना किसी संकट स्थिति के होते हुए भी प्रयोग में लाया जा रहा है | हां, यह बात है कि हमारे खनि लाफ़ यह ग्रारोप हो कि तुम राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचा २हे इसलिये तुम्हें अ्रमुक नियम के ग्रन्तर्गत गगिरप्तार किया जाता है जब इस प्रकार का॰कोई त्रारोप नहों तो फफिर एक िला मजिस्टेट कों हमें गिरफ्तार करके जेल में ठूंसने का ऋरधिकार क्यों दिया जा रहा है ? यदि हमें िरफ्तार किया भी जाये तो हमें संसद् की बैठकों नें भाग लेने की मनाही नहों होनी चाहिये त्राखिर हम जब नज़र बन्द थे तो उचचत्तम न्यायालय में हमें लाया जाता था बाहर पुलिस थी ग्रौर सुनवाई के बाद हम फर पुलिस की गाड़ी में चल देते थे| तो इसी प्रकार में भी हमें श्राने की ग्रनुर्मति होनी चाहियें त हम जनता के प्रतिनिधि हैं ग्रौर जनता की ग्रावाज़ को ग्रापके कानों तक पहुंचान के लिये हमें क्यों रोका जाय ? संसद् में त्रपने विचार प्रकट करने का हमें ऋ्रधिकार है ग्रौर नियमों के ग्रन्दर रहते हूए हम यहां कुछ भी कह संकते हैं संसद् ्सदस्य को यहां पुलिस॰ को निगरानी नें लाया जा सकता है परन्तु उनक्रो संसद में बोलने से रोकना सर्वथा श्रनुचित है | यह संविधान में निहित जनता के श्धि- कारों के विरुद्ध होगा जब जनता के प्रतिनध- यों को यहां बोलने से मना किया जायेगा दूसरी रहती संसद्

सभ या के सदस्यों को यदि गिरफ किया भी जाये तो उन्हें कम से कम वहां कार्यवाहियों में भाग लेने का ऋधिकार त्र मिलना चाहिये सबसे पहिले तो हम संरक्षण चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार ही किया जाये, परन्तु यादि किया जाये उन्हें बैठकों में ग्राने का ऋ्रधिकार ऋ्रव दिया जाना चाहिरे यही मेरा निवेदन ग्रौर इसके साथ साथ मैं इस विधेयक घोर विरोध करता हृं गौर एऊ बार श्रपील करता हं कि इसे वापस ले लिया जा पंडित मुनोशवर ढत्त उपाध्याय रजि प्रतापगढ - - पूर्व ) जो विधेयक इस स सामने उपस्थित है उस के संबंध उन माननीय सदस्यों के ग्रतिरिक्त जा के सिद्धान्त के विरुद्ध ही विश्वास करते गरौर जिन्होंने ग्रपनी बहस इसके सिद्घान्त के विरुद्ध की ह उन प्रतिरिक्त तरौर जितने सदस्यों ने विषय परग्रब तक इस सदन के सामने कुछ पेश किया है, उन्हें मैं जहां तक सम सका हूं॰ एक विषय बड़े महत्व का है | प्राय सभी सदस्यों ने यह तो स्वाकार किया कि जहां तक होम भमिनिस्टर का ताल्लुक चाहे वह केन्द्रीय सरकार हों त्रौर चाहेवे प्रदेशीय सरकार के हों उन यह ग्राशा नहों की जाती है कि वे को ऐसी बड़ी गलती करेंगे या इस कानून क दुरुपयोग करेंगे गरौर जहां तक ऐडवाइजरं बोर्ड मंत्रणा पर्षद् ) का सम्बन्ध उसके विषय में भी मुझेः ऐसा में नहं ग्राया कि किसी को, चाहे इस पक्ष के हों, चा विपक्ष के हों, किसी सदस्य को कोई संगीन शिकायत हो| मेरी समझ में ऐडवाइजर बोर्ड के सम्बन्ध में तो कोई भी शिकायत नह संसद् हमारे हमार सुनने

म जान पड़ता था कि यह जो इस तरह का हुक्म जारी हुभ्ना है, उस से गिरफ्तारियां हुई हैं॰ वे बहुधा गलत थों दरग्रस्ल जैसी शक्ल इस सदन क हिस्से से पेश की गयी है, मैं समझता हूं कि श्रगर जैसी शव्ल बयान की गई है॰ दरशग्रर्ल वैसी ही शक्ल हो॰ तो किसी को भी उस कानून के साथ सहमत नहों होना चाहिये परन्तु देखना यह है कि इस ववत जो कानून लागू होनं जा रहा है॰ जो विधेयक हमारे सामने है गरौर सिलेक्ट कमंटी से वापस ग्रा कर जो उस की मौजूदा शक्ल रह़ गयी है, जो उस का रूप श्रब हमारे सगने हैं॰ उस २क्ल में वह कहां तक हानिकर हा सऋ्ःती है ग्रौर यह खतरा जो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारः या किसो ऐसें लापरवाह या ग्रन्यायी ऋ्रफसर के द्वारां ३म प२ या सकता है॰ वह रहां तक हमारे ऊपर लागू हो ६केगा | में ऋाप से निवेदन करूं कि त्रब इन त२मीमात ग्रौर संशोधनों के बाद जो सिलेक्ट कमेटी में इस कानून में हुए हैं और वहां ऐ जिस प्रकार निकल दःर ऋव हमारे सामने ग़ाया है॰ उस में जिला म॰िस्ट्रेट का या नायब मजिस्ट्रेट का वया ऋधिकार रह गया है | श्रब उस को केवल इतना हप ग्रधिकार है कि॰ किसी शरुस के जिस क वह समझे कि वह एंसी वेउनवानियां कर रह है ग्रौर डिस पर रह कानून लागू होता तो वह उसके विरद्ध गिरफ्तारी का हुक्म निकाल सकता है 1 गि रफ्तारों का हुकम निकालने के बाद ही उस की गिरफ्तार हो सकती है| एक रोज बाद हो, दो रोज बा हो, हॅ ग्राठ रोज बाद हो, दस रो बाद हो गरौर यह भी मुमकिन हो सकता है पन्द्रह रोज तक न हो| इस कानून में मियाद रक्खी गयी है वह यह रक्खी गयी कि ग्रगर उस के हुक्म निकलने के बार रोज के शरन्दर ग्रन्दर प्रदेशीय सरकार हुक्म नहीं हो जाता है कि यह जो गिरफ्ता हुई है वह नियमित है॰ मुनासिब दूसरे मुमकिन

प्रायः जला जिस्ट्रटों के या उन के नायब जिला मजिस्ट्रेट ो होते हैं॰ उन के सम्बन्ध में तो सुनी गयी ौैर जितना बड़ा खतसा इस कानून से ताया गया है वह प्रायः इसी सम्चन्ध में ७ कि ऐसे त्रफ़सरों के हाथ में इस कानून को ल देना जो उस क दु रुपयोग करें गलत गा | जितने केसेज मामले भी हमारे ामने पेश किये गये इन सब का ऋ्रर्थ यही ोता हॅ चाहे वह एक हो या हजार हों इन सब 7 ऋर्थ यही होता है कि इस कानून का रुपयोग उन ऋ्रफसरों के द्वारा किया जा हा है जिन के ऊपर लागू करने के लिये यह नून छोड़ दिया जाता है | तो ऐसी स्थिति ं विशेष रूप से हमारा एतराज उत क पतिरिक्त- -्जैसे मैं ने पहले निवेदन किया जो क सिद्धान्त के खिलाफ ही विश्वास करते हें ७ बहस करते हैं उन के ग्रतिरिक्त॰्सब से डी एतराज की बात सब से बड़ी श्रापत्ति नो हमारे साथियों को हुई है वह यह है कि ्रफसरों के द्वार इस कानून का दु रुपयोग हो सकता है जैसा भूतकाल में होता ग्राया है से बिल्कु ल ऋ्रसहमत नहों हूं| यह होे सकता है कि कहों कहों दुरुपयोग भी॰ हो ग्रौर यह भी हो सकता है कि भूत काल में दु रुपयोग हुए हों बहुत से केसेज ऐसे बताये गये जिन में लोगों ने ग्रपनी ग्रात्म कथा बयान को , जोवनचरित्र के सब किस्से सुनाये, ग्रौर उस दौरान में जो बातें कही गयों कहीं एक दो वात इधर उधर को कह करके बाकी जो प्रौर ग्राउन्ड्स ऋ्राधार उन को गिरफ्त्तारी किये जाने के बारे में दी गयी थी उन को पूरा न बता करके ग्रधू रो बातें कों जिसे रन सों कोईं मानोः निकाले जा सकें 1 लकिन ज्योंही उन को वे पूरी बातें हमें मालूम तो जान पड़ा कि उन्होंने पूरीं बातें नहीं बतलाई ग्रौर वे बातें श्रधूरी थीं॰ उन का कोई अर्थ नहीं होता बहुत से लोगों ने और में इस दूसरे हुई,

उस को डिटेंशन निरोध में रहना चाहिये तो वह व्यक्त बावजूद उस मजिस्ट्रेट के हुक्म के बरी कर दिया जायगा ग्राप गौर करें| माननीय मंत्री जी ने आप को बताया कि १२ दिन की मियाद हॅ॰ मैं ग्रौर भी इसे साफ करना चाहता हूं | जैसा में ने शब्दों को पढ कर ग्रर्थ लगाया है उस से में समझता हूं कि चाहे कोई हुक्म गिरफ्तारी का हो मजिस्ट्रेट द्वारा तो उस गिरफ्तारी के १२ दिन के ग्रन्दर वह हुक्म प्रदेशीय सरकार द्वारा स्वीकार हो जाना चाहिये गौर श्रगर प्रदेशीय सरकार उस की ताईद करती है तब तो वह हुक्म रहता है ग्रौर श्रगर प्रदेशीय सरकार उस हुक्म को मंसूख कर दे तो वह हुक्म नहीं रह सकेगा ग्रौर वह इन्सान जिस के सम्बन्ध में वह हुक्म है, ग्रगर वह उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं हुद्रा है तो वह गिरफ्तार नहीं किया जायगा, ग्रौर ग्रगर वह गिरफ्तार हो चुका है तो उसी दिन छोड़ दिया जायगा तो यह कहना कि मजिस्ट्रेट को १२ दिन की मियाद मिल ई है ग्रौर वह चाहे जिस को नाजायज़ तौर र गिरप्तार कर के बन्द रख सकता है, ैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही नहों है1 २ दिन से कम तो हर हालत में होंगे यादा से ज्यादा १२ दिन हो सकते हें योंकि हुक्म जारी करने के १२ दिन के गरन्दर ी ऐसा होता है | हुक्म जारी करने के माने रपतार करने के नहीं हैं | हुक्म जारी रने के बाद ही गिरपतारी हो सकती है चाहे" ह एक॰ दिन बाद हो या दस दिन बाद हो - १५ दिन बाद हो | इस कानून के ग्रन्दर का सब सेबड़ा हर जो हमारे साथियों को दिखाई ्देता है डिस्ट्रिक्ट हुक्म के

नहीं समझता कि कोई भी ऐसा इस सदन होगा जो यह समझे कि जहां यकायक षड्यं पकड़ना पड़ता है वहां होम मिनिस्टर मौजू हो सकते हेंःया कोई मिनिस्टर मौजूद सकत हैं चाहे वह प्रदेशीय सरकार का मामल हाया केन्द्रीय सरकार का हो वहां मिनिस्ट उपस्थित नहीं हो सकते 1 यह काम तो ग्राप क स्थानीय त्रफसरों के द्वारा ही कराना होगा यहां इस बात पर बहुत कुछ व्याख्या करने की ग्रावश्यकता नहीं है | तब तक जब हम को उन ग्रफसरान से काम कराना है तो थोड़ा सा वक्त उन के काबू में ज़रूर रहेगा, लेकिन देखता हूं कि वह ऋ्रब कम से कम हो गया है ऐसी स्थितिःमें त्रब इस को बहुत खतरनाक नही समझा जा सकता कि ग्रफसरान जिनके हाथ ग्रधिकार त्रा जायगा उन को मौका होगा कि वह बड़ी ज्यादती कर सकें | में समझता हूं कि वह ज्यादती का मौका ऋव इस घटा दिया गया है | इस को श्रब ग्रौर ज्यादा घटाने की गुंजाइश नहीं है + क्योंकि त्रगर इतना भी वक्त न दिया जाय तो सारा मामला प्रदेशीय सरकार के पास १२ रोज के गरन्दर कैसे पहुंचेगा शरौर कैसे उस सब पर विचार करके हुक्म दिया जा सकेगा| में समझता हूं ्कि यह समय ज्यादा नहों है कम से कम जो समय लग सकता है वही दिया गया है माननीय मंत्री ने ग्राप को यह भी आश्वा- सन दिया है कि वह इस का प्रबन्ध करेंगे कि श्रगर वह केन्द्रीय सरकार का मामला हो़ तो केन्द्रीय सरकार के कोई मंत्री उस को देखेंगे ग्रौर अगर प्रदेशीय सरकार काहो तो प्रदेशीय सरकार के एक मंत्री द्वारा वह जांचा जायगा 4 मैं नहीं समझत\_ कि जैसी बातें शरब तक हम करते ग्राये हैं गरौर जैसे व्याख्यान मैं ने सुने हें उन को देखते हुये इस ग्रौर बहुत कसर रह जाती है जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं दूसरें में यह यह में बहुत में कुछ

दड प्राक्रया साहता रखेंगे कहां तक ठीक होगा नहीं समझता कि उस हालत में किस कानून स काम चलायेंगे गर कैसे देश का प्रबन्ध करेंगे 1 क्या हम य= कह सकते हें कि चूंकि हर एक कानून क दुरुपयोग सम्भव है इस लिये गरब हम कोई कानून रखेंगे ही नहीं | तो सही बत तो यह है कि जहां तक मनुष्य का सम्बन्ध मनुष्यों में सब तरह के मनुष्य होते हें चरित्र में ऊंचे भी होते हें ग्रौर नीचे भी होते हें| इसलिये नहीों हो सकता कि हम ही शुद्ध कानून बना सकें जिन का दुरुपयोग न हो | जहां तक सम्भव हो सकता है वहां तक इस को शुद्ध बनाने को चेष्टा की गई है फिर जो शख्स गिरफतार किया जायगा उस के गिरफतार होने के पांच दिन के गन्दर उस को ग्राउंड्स ज़ूर बता दिये जायेंगे हो सके तो उसी दिन बता दिये जायें पाँच दिन के श्रागे तोजा ही नहीं सकते एक बात में महसू स करता हूं कि ग्रगर उस को ग्रौर ज्यादा तफसील बतलाई जाय तो वह ज़्यादा खूवी स जवाव द सक 1 त जो ऐडवाइजरी बोर्ड है उस के पास तो सब सहा वाकयात , एंड सरकमस्टांसेज तथ्य तथा परिस्थितियां सब जात हैं ग्रौर ऐडवाइज़री बोर्ड को डिटेन् नज़ रबन्द को तलब करने का ग्रौ उस से सवालात करने काश्रधिकार है तो सवालात के माने ही यह होत़े हैं कि मसाला उन के सामने रहेगा उसी से सवाल करके वह उस से जवाब लेंगे | तो य= सवालात करना ऐडवाइज़री बोर्डं के जि+ है 1 तो मैं नहीं समझता कि ऐसी हालत किसी तरह का खतरा रह जाता है | ग्रौर जितनी तरमीमें इस दरम्यान में रर गई ह॰ जो जो सुझ्ाव माननीय सदस्यों ग्रोर से सन् ५० सेले कर शब तकः ग्राते बिल्कुल यह फेक्ट्स

का बहुत दुरुपयाग हान का स्म्भावना नहों है | इसके ग्रलावा ऐंडवाइज़री बोर्ड की बात फी कितने सुन्दर ऐडवाइज़री बोर्ड थे ह इसी से साफ है कि उस के खिलाफ ोई ख्नास शिकायत नहीं है | लेकिन इस में गौर भी संशोधन जो हमारे साथी थे गौर जिन की तजवीज हमारे माननीय सदस्यों ` की थी वह भी हो गये | मैं नहीं समझता क तरब इस से भी त्रच्छी कोई जांच कमेटी फा कोई बोर्ड हो सकता है ग्रौर इस से भी धिक न्यायोचित ग्राधार परहो सकता है | नैसा कि यह ऐडवाइज़री बोर्ड बना दिया गया 1 बहुत से साथियों ने यह बात भी कही कि जानून का दु रुपयोग हो ता है गौर जो पुलिस डेपार्टमेंट है उस के मारफत यह दु रपयोग होता है | मेरे ख्याल में जो भाई वकील मा ऐंडवोकेट हैं उन से तो इस विषय नें कुछ कहना ही नहों है | ग्रौर भी जितने मांननीय सदस्य हैंवे भी इस को जानते हैं कि जैसा दु रुपयोग ग्रौर ऐबयूजेज ( दुरुपयोग ) का जिक्र कुछ दोस्तों ते किया है वसे ऐब्यूज़ेज तो उस कानून के ग्रन्दर भी होते हैं जहां गवाही होती है ग्रौर ब्यान होता है गरौर फिर जिरह होती है प्रौर बहस है ग्रौर उसके बाद श्रपील ग्रौर निगरानी भी ॰ होती है | तो वहां भी हम देखते हैं कि कभी कभी गलत चालान हो जाते हैं ग्रौर गलत गवाही पेश की जाती है ग्रौर उस गलत गवाही के त्रधार पर लोगों को बड़ी बड़ी सज़ायें हो जाती हें गरौर कभी कभी फांसी भी हो जाती है | यह कहना कि चंकि एक ग्राध केसेज में या दस पांच केसेज में कानून का दु रुपयोग हुत्रा है इस लिये न अब हम इंडियन पीनल कोड ( भारतीय तंड विधान रखेंगे ग्रौर त क्रिमिनल चाहते होती

हमारे माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठे वह उस को महसूस नहों करते | उन में यही सोचते हें कि यह हम लागू न हा जाय में समझता हूं कि विचार उन कों छोड़ देना चाहिये क्यों कि द इस तरह के लोगों के वास्ते नहीं है, वह किर पार्टी के लिये नहीं है | वह ऐसे लोगों लिये है जो ग्रपनी कार्रवाईयां छप कर कर है ग्रौर संगठित रूप से॰ऐसा षड्यंत्र कर हैं जो कि सनाज को नुकसान पहुंचाये | श्रग वह इतना ही सोचना शुरू कर दें तो मेट समझ में जितनी बहस है ग्रौर जित्तन बातें हें वह सारी कीो सारी जात रहें | मैं ने ग्रभी यह सुना | श्रभी ए माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मुझे यह रहा था कि वह समझते हें कि त्रगर य क़ानून पास हा जाता है तो पहला इन्सा हिन्दुस्तान में में होऊंगा जिस पर यह क़ानू लगेगा | तो जो शरस यह समझता हो व हर तरह से कोशिश करेगा कि यह क़ानून बने लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यह क़ानून ऐसे लोगों के लिये बना है वाक़ई समाज के विध्वंसक हैं | ग्रब इस पर मैं ज्यादा न कह कर एक सुझाव जो त्रावश्यक हं वह देना चाहता हूं एक तो यह कि ऐडवाइज़री बोर्ड के सामन जो मामलात जाते हैं तो क़ानून में ऐस प्रबन्ध होना चाहिये कि॰ ऐडवाइज़री बोड को सारे के सारे वाक़यात दिये जा सकें उस के पास सब वाक़यात रहें जिन पर कि वह ग्रपनी राय क़ायम कर सकें ग्रौर फिरग्रगर वह जरूरत समझे॰ किसी विश्र्य पर ग्रावश्यक समझे तो शहादत बुला सकें गवाही ले सके औौर खुद ही गवाही लें | यह नहीं कि किसी को मौक़ा दे१कॅ वह जिरह करे गरौर बहस करे, बल्कि खुद पूछताछ करले | इतनी तरमीम कुछ तो

कानून में श्र गये हैं | ग्रौर इतना साफ हो जाने के बाद इसकी शक्ल तरब कोई ऐसी नहीं रह गई है कि हम इस में कोई बड़ा खतरा महसूस करें | इस के ग्रलावा कुछ लोगों का यह सुझाव है कि जहां इस को लागू करने को ज़रूरत हो वहां इसको लागू किया जाय श्राप देखते होंगे कि जहां ज़़रूरत होती है वहां गिरफ्तारी होती है, जिन में ज़रूरत नहीं होती वहां गिरफतारी नहीं होती | तोजिब सरकार पर यह काम छोड़ा जाना है ग्रौर सरकार के ही जरिये से यह काम होने वाला है तो मैं समझता हूं कि इस में कुछ ग्रौर जोड़ने से कोई बहुत फर्क नहीं होगा मैं एक यह सुझाव देना चाहता था कि इस कानून को दिसम्बर १९५३ तक ही रखा जाय गरौर इसको सन् १९५४ तक बढाया न जाय | लेकिन १८ जुलाई को इस सदन में में ने जो कला देखी उस के बाद मैं ने यह सोचना शुरू किया कि अगर यह कानून हर साल इस भवन में ग्रायेगा तो हर साल यह कला दखनी पड़ेगी इस लिये यही शरच्छा है कि इस को दो वर्ष के लिये बढ़ाया जाय इसी लिये मैं ने शरपना पहला विचार छोड़ दिया घ्रभी मेरे दोस्त ने॰श्रपने हाथ में कोई चोट दिखलाई थी 1 में समझता हूं कि यह सब कला जो हम लोग इस सदन में देख चुके हैं उसी का श्रवसर त्गर गरौर कहीं त्राया हो तो चोटें ग्राई होंगी | ऐसी बातों को कह कर यह कहना कि यह कानून गलत है या वुरा है मैं समझता हूं ्कि यह मुनासिब नही होगा | जहां तक इस कानून के जारी होनेका सवाल है ग्राप की र्रलिंग के पश्चात में यह श्रावश्यक नहीं समझता कि में उस पर बहुत निवेदन करूं | लेकिन इतना तो मैं निवेदन करही देना चाहता हं कि इस सूबों

यात उन के पास हों वह सब उस व्यक्त भी दिये जायें जो इस से सम्बन्धित है ग्रौर से सारे के सारे का जवाब पूरे तौर पर लें ताकि कोई चीज़ बाक़ी न रहे| ग्राखिरी चीज़ नैं यह कहना चाहता हं जो ग्राउंड्स दिये जाते हैं उन की पूरी सील होनी चाहिये, पूरा ब्यौरा होना हियेिस से वह समझ सकें कि उस के लाफ क्या मामला है ग्रौर क्यों वह पकड़ा ७ है | बस इतना ही मुझें निवेदन करन श्रो नन्द लाल शर्मा ( सीकर ) ्ेण शासिते राष्ट्रे त च बाधा प्रवर्तते धयो व्याधयश्चैव रामे राज्यं प्रशासत्ति ड| माननाय ग्रध्यक्ष महोदय के सामने धेयक उपस्थित है निवारक निशोश ' ग्रौर सके ऊपर विशिष्ट समिति की त्रोर से दिये गे निर्णय का भो हम लोग ग्रध्ययन कर चुके इंस सब को देखने के बाद मेरा मन यह हता है कि मत भेद रखने वाले जितने भी सज्जन हं उन की भावनः का पुनः समर्थन किया गया है 1 मु३्े ए्रसन्नता है कि कांग्रेसी सदस्तों में से भी॰ ग्रभी हमारे पूः दक्ता हानुभाव न चलते चलते श्रपनं भाणमं ह कह ३ डाला क ग्रमुझ ग्रमक वस्तु नज़ रबन्द को संरक्षा के लिये प्रवश्य होनी चाहिये 1 कम से कम उस को त्रपनी नज़र- नन्दा का कारण बतलाने के लिये तो पूर्ण सुविधा दा जांय च हमारा यह कहना है कि इस बात के विरद्घ चाहे हमारे कम्युनिस्ट भाई कितना ही कहते रहें॰ चाहे ग्रौर कितने हा सज्जन कहते रहें, किसी को गिरफ्तार न करने, ग्रपराधी को दंड न देने से सर्वदा राज्य नष्ट हुत्रा करते हैं 1 श्रदण्ड्घान्दण्डयन्राजा दण्डयां र्चैवाप्य दण्डयन | हमारे

हें 1 जिस राज्य के ग्रन्दर डंडा कमज़ोर रहेगा जिस राज्य के ग्रन्दर ऋपराधी के लिये, दोषी के लिये दंड का विधान न होगा, वह राज्य कभी उन्नति नहों कर सकता, कभी ग्रागे केलिये उस का जीवन निश्चित नहीं रह सकत्ा हमास ता यह कहना है कि कम्यु निस्ट क्या शगर कोई भो व्यक्त्ति राज्य के प्रत्ति कोई ग्रपराध करता है तो उस को भयंकर से भयंकर दंड देना चाहिये 1 इस मेंकिसी प्रक१र का मतभेद नहों है | में यह भी॰ नहीं समझता कि कम्युनिस्ट बन्धु यह चाहते हों र्कि श्रपराधी को इंड न ँदिया जाय 1 केवल हमारा मतभेद है प्रिवैंटिव डिटेंशन ( निवारक निरोध ) सेजिस शब्द का प्रर्थ है कि उस पर किनी प्रकार का केस चलाये बिना, उस को िसी कोर्ट के द्वारा न्यायालय के द्वारा दंडित घोषित होनं पहले ही, उस को दंड में रखा जाय ग्रौर गरप राधी बनाया जाय 1 श्राप इस फो ध्यान सुन ( ग्रन्तर्बाधा ) रमराज्य को श्रोर लोट कर त्राऊंगा अध्यक्ष महादय : ग्राप श्रध्यक्ष क संबोधन करें ग्रौर ग्रन्तर्बाधात्रों कीं चिन्त न करें | श्रो नन्द लाल शर्मा : मैं तो श्रध्य६ को ही संबोधित कर रहा हूं | य ढ़याल हैकि हम इस सिद्धान्त के विरुद्ध नह हैं 1 वहां से कांग्रेसी बैंचेज़ कीत्रो से ॰ कहा गया कि यदि हिंसात्मक नीति परित्याग कम्युनिस्ट कर दें तो हम को को कोई ग्रावश्यकता त पड़े 1 मैं समझ हूं कि यदि केवल इतनी ही बात रह जाती सम्भवतः एक तरफ़ खड़े रह ज ग्रौर बाक़ी के विरोधी दल वाले कभी कु बोल नहों सकते | यहां ग्रौर हो ब देखने में ग्राई | भगवान कल मेरा हमारी कम्युनिस्ट किन्तु हमारे

उन्हों न एक प्रतिज्ञा को कि कम्युनिस्ट रम्युनैलिस्ट ( सम्प्रदायवादी ) श्रौर ब्लैक मारकेटियर्स एक माननोय सदस्य : गरौर राजा श्रों नन्द लाल शर्मरा : राजे महाराजे वे त्ब केपिटैलिस्ट पूंजोपति ) के ऋ्रन्दर ग्रा जाते हैं | तो वह उस शूलको त्रिशूल के ूप में यह जो ग्रोलिम्पस के पर्वत से चलने वाला वज्र है | एक माननीय सदस्य : कैलाश पर्वत से| श्रो नन्द लाल शर्मा : भारत में ऐसा विधान नहीं है | भारत में कोई प्रजापति का प्रहार भारत पर नहों करता उस का प्रयोग त्रिपोली में जहां कि देवासुर तंग्राम हुश्रा वहां ऐसीरिया के प्रदेश नें ग्रसूर्यों में भले ही चलता हो यहां पर वह वस्तु नहीं चलती इस लिये मेरा विश्वास है कि वह संशोधन स्वाकार हाना चाहिय जिस में माननीय चैटरजी महोदय ने कहा कि॰ गृह मंत्री को यह ऋ्रधिकार होना चाहिये कि वह किसी के विरुद्ध गिरफ्तारीं का श्रार्डर निकाल प्के | मैं समझता हूं कि त्रिशूल यदि कैलासपति र हाथ में रह जाय तो वह जानते हैंकि कहां र दंङ देना है गौर कहां पर प्रजा को श्रमृत देना है ग्रौर स्वयं विष खा कर रह जाना है जस के कारण कि उनका दसरा नाम नीलकंठ है 1 परन्तु हर एक व्यव्त्त जो उन के नीचे ग्राये, सब के हाथ में त्रिशूल दे दियः जाय जो निश्चय ही इस बात का प्रनुभव नहों कर सकते कि त्रिशूल का उपयोग रैसे किया जाय | कारण क्या है ? चक्र का चलाने वाला एक ही रहा | हर एक के हाथ में यदि सुदर्शन चक्र दे दिया जाता तो न जाने वह कितने चक्र हो जाते कि रफिर १} ग्राप जानते हैें कि धर्म चक्र प्रवर्तनाय फी ग्रावश्यकता ही नहीं पड़ती 1 त्रिशूल सुदर्शन

कम्युनिस्ट या किसी को श्रपराध करन पर भी दंड न दिया जाय | केवल विरोध इस श्रंश में कि उस को बिना उस के दोष् ग्रौर ग्रपराध को नताये ग्रौर बिना उस को श्रपने दोष की निवृति का श्रवसर दिये कितन समय तक रखा जा सके | कम से कम जनतन्त्र के नाम से ऐसा नहीं होना चाहिये हम कांग्रेसी महानुभावों का भावनाग्र का श्रादर करते हैं | र्याददि कम्युनिस्ट नह मैं भी गरौर स्वयं, क्षमा करें स्पीकर महोदय भी श्रगर राष्ट्र का विरोध करेंतो प्रिवैंटिक डिटेंशन ही क्या वस्तु है॰ भयंकर से भयंकर दंड देना चाहिये गरौर वह दंड न देने से राज्य नहों चल सकताः | मेरी तो उल्टी यह शिकायत है कि कम्युनिस्ट बन्धुत्रों को दंड न देने से हा इन की शक्त ग्राज तक बढ़ी मुझे याद है, मेरे साथ जेल में थे| ग्रन्डे मिलते थे केक िलते थे, मछली मिलती थी॰ मांस मिलता था गरौर जर्सी गरौर पैर के लिये बढ़िया से बढ़िया जूते मिलते थे, श्रौर ऋ्रन्त में फिर झगड़ा करते थे 1 कभी किसी को सन्तुष्ट नहों पाया, मैं ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो॰तो कहते थे कि हनारा तो यह काम ही है कि किसी न किसी तरह से गवर्नमेन्ट को फेल करना | ग्रौर हमारी यह डिमांड (मांग है कि घर वालों को ऐलाउन्स भत्ता दो 1 उस समय मैं ने यह शब्द कहे थे श्रपन उन बन्धुग्रों से कि जमाई बन कर ग्राये हो, जेल थोड़े ही ग्राये हो| मेरा यह विश्वास है कि श्रगर जेल के ग्रन्दर उन के साथ इस प्रकारका जमाई सा व्यवहार किया गया चाह भयंकर से भयंकर ग्रपराध किया हो राष्ट्र की शुत्रता का तो गवर्नमेंट कभी कम्युनिज़म को हटा नहीं सकेगी यहां फम्यनिज्म शब्द का यह ऋर्थ नहीं कि केवल दूसरे हमार तुम तो

से ग्रहण नहीं किया गया इस लिये वस्तुतः जिस सिद्धान्त को हाउस में स्वीकार किया गया था उस सिद्धान्त को सिलेक्ट कमेटी में भी स्वीकार करना चाहिये था ग्रौर विरोधी दल द्वारा उपस्थित किये जाने वाले सिद्धान्तों क संशोधनों को भः ले लेना चाहिये था १ इस में विशेष कर ऐडवाइज़ री बोर्ड ( मंत्रणा परिषद् ) के ग्रध्यक्ष पद के लिय कहा गया था कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिये, हाई कोर्ट का कोई जज चाहे भूतपूर्व हो या वर्तमान, ग्रौर पहले एक ग्रोर शब्द था अर्थात जो जज बनने को योग्यता रखता हो जिस का ऋर्थ है कि दस वर्ष की प्रेक्टिस जिस प्लीडर को हो जाय वह त्रा कर ऐडवाइज़री बोर्ड मेंखडा हो जाय ग्रौर किसी ग्रादमी को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में रख दें चाहे वह जज सरकारी पक्ष में हो चाहे न हो इस विधेयक की ज़द में कोई पब्लिक का त्रादमी श्रा सकता है| हमारे बन्धुत्रों ने कई बार प्रश्न किया कि राजस्थान में क्या हो रह है | में राजस्थान से आया हूं, राजस्थान की स्थिति का स्पष्टोकरण करता मेरा कर्तव्य है और मैं गृह मंत्रा महादय को यह बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान जितनी बार भी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की बात की गई हैं इन दिनों क गरन्दर मुझे खेद है इस बात का कहते हुए किउस में से बहुत ऋधिक पार्टी के दृष्टिकोण ही को गई औौर उस् पार्ट क दृष्टिकोण का फल यह हुत्रा कि वहां के हा कोर्ट में हैबिअ३ कार्पस करने क बाद व= लगभग सारे के सारे छट गये| यह थोड़े दिन की रिपोर्ट है जिस के सम्बन्ध में एक शिष्= मंडल माननीय गृह मंत्रो महोदय भी मिला था, उस में कम से कम १५ ग्रादमिय को डिटेन नज़रबन्द किया गया एक ग्राउन्ड ग्राधार , पर, गर्थात् वहां वहां दरण को विक्षुब्ध करने की भावना से उन से एक दो व्यक्तियों के पास पैसा थावढ हा हमारे

दया जाय च स्वामी रामानन्द तीर्थ हःराज ने कहा कि हमारा सम्यवाद सिद्धान्त कोई विरोध नहों है॰ हमारा तो केवल श की शत्रुता से, राष्ट्र की शत्रुतां से द्वेष है | झे इस बात का खेद है कि॰श्री नम्बितरार 7 हाथ टूट गया, लेकिन हम समझते हैं कि न्होंने बहां पर वैसा हो कोई झगड़ा किया ोेगा जैसे यहां किया च तो यहां तो खैर राउस था, लेकिन वहां पर जेल था, जेल वालों - झगड़ा तय कर दिया होगा इत्तनी भावना रखते हुए मेरा ग्राप से नेवेदन है॰ सरकारी बैन्चेज़ सेभी श्रौर ग्रपने गृह मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि इस बात को अच्छी तरह से सोचें | इस त्रिशूल का उपयोग वह ग्रपने पास रखें ग्रथवा ग्रपने प्रतिनिधियों के पास रखें त्राप के प्रति- निघि प्रदेशों के ग्रन्दर रहने वाले जो गृह मंत्री हें वही हो सकते हें : श्रात्मा वैजायते पुत्र ही ग्रपना प्रतिनिधि हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीों हो सकता होम मिनिस्टर का प्रतिनिधि होम मिनिस्टर ही हो सकता है ग्रौर कोई टाम, डिक ग्रौर हैरी नहीं हो सकता है, हम लोग तो जाति क पवित्रता पर विश्वास रखते हैं इस लिये मेरा यह निवेदन है कि ग्राप इस संशोधन को स्वीकार कीजिये मिनट श्राफ डिसेन्ट ( विमति-टिप्पणी ) में जो भावना प्रकट की गई है सरकार द्वारा उस के ग्रस्वीकार किये जान का मुझ खेद है | जब यहां हाउस में विश्वास दिलाया गया था कि वस्तुतः ऐक्ट के गरन्दर त्राने वाली सभी बातों पर संशोधन उपस्थित कियेजा सकेंगे उन धाराओं पर म स्वयं तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सिलक्ट कभेटी में मैं तोथा नहीं ग्रौर मुझे पता नहीं कि वह क्या इग्रा किन्त उस क पढने सेपता चलता हमारे दूसरे पुत्रः '

लाल शमा कोर्ट पहुंच गये, उन्होंने रुपया खर्चं करने वालों को तो हैबिअस कार्पस पर छोड़ दिया, लेकिन बाकियों के पासःपैसा नहीं था कि हाई कोर्ट में पहुंचें गौर ग्रपने को छड़ाने के लिये कोई प्रयत्न कर सकें | इस लिये श्राप यह समझें श्रगर किसी भाग्यवान के पास पैसा होगा तो वह हाई कोर्ट तक पहुंच कर हैबिग्रस कार्पस कर लंगा लेकिन गरीब ग्रादमी तो पहुंच नहीं सकेगा चम उस का ख्याल कौन करेगा ? वार टाइम्स युद्ध समय के लिये॰ इनर्जेंसी टाइम्स ( संकट समय के लिये इंग्लैंड ग्रादि प्रदेशों में जो कानून बनाये गये हैं वह साधारण में भी भारतवर्ष में चलाये जायें यह ही है ग्रौर इरु को हमारे बन्धु फिर भी स्वीकार कर रहे हैं इस का हमे खेद है 1 मैं कहता हूं कि इसको स्वीकार कर लेने के पहले गच्छा तो यह है कि ग्रगर ग्राप का दंड विधान इंडियन पीनल कोड ग्राप को पर्याप्त रक्षा नहों देता तो ग्रपने राष्ट्र रकः रक्षा करने के लिये श्राप उस दंड विधान का संशोधन करें | दंड विधान को संशोधित कर के जो रसेज़ उस मे गवन त होते हों उन र लिये इस प्रकार क सेक्शन इस बल में लावें यदि श्राप प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के ाम से ही उन को करना चाहते हैं तो कम से रम सभ्यता के नाम पर॰ जनतंत्र क नाते, ्रपने विधान की कम से कम मान मर्यादा को कायम रखने के नाते, श्राप को इतना त्रवश्य ररतना चाहिये कि ( नज़रबन्द को प्ाप बाकायदा बन्धन में तो पूरा रखें॰ किन्तु उसको श्रपन पक्ष की सफाई में कुछ कहने ऐे लिये श्रपनी श्रोर से कानून जानने वाले को उपस्थित करने का ग्रवसर दें वह इस त्रधिकार वंचित = हो जिस समय श्राप गाया करते - बंदी इस कारागह में एक ग्रभिनव ज्योति जगा दे हालतों दुर्भाग्य दुर्भाग्य डेटेत्यू

कल तक जो गाया करते थे बंदी इस कारा गृह में श्रभिनव ज्योति जगा दे"' तोक्य सचमुच श्राज श्रभिनव ज्योति जगाने वाले मर गये ? सम्भव है देश की रक्षा करने क इच्छा रखने वाले भी हमारें कांग्रेस बेंचों पर बैठने वाले महानुभावों को उन की नीति देश द्रोह की मालूम होती हो गरौर वह यह समझते हों कि॰ कांग्रेस की नीति के द्वारा देश को हान्ध पहुंच रही है, चाहे वह कश्मीर के सम्बन्ध में हो चाहे गरौर किसी सम्बन्ध में, त्रगर वह यह समझते हैं ग्रौर केवल ग्राप से मतभेद रखने के लियेही कारण उन को जेल ठूंस दिया जाय गौर फफिर उन की सुनवाई न हे तो ग्रनारकी (ऋरराजकता , में ग्रौर क्या होगा हम लोग नादिरशाही को सुनते रहे हैं यह कौन सी शाही होगी इस का पता नहीं | इस लिये मेरा कहना है कि में किसी कठोर बचनों का प्रयोग तो नहीं करना चाहत लेकिन इतना ग्रावश्य कहूंगा कि यह न समझिये कि यह चक्र सफेद पर नहीं चलेगा | यह चत्र लाल पर नहीं काम कर सकता लाल ग्राप क कब्ज़े के बाहर है॰ हरा भी अफके कञ्ज़ के बाहर है, केवल सफेद ही सफेद रह गया यह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन केवल उसी पर रहे 1 ग्रगर कुछ करने की शवित है तो फिर कहता हूं कि बाईस हज़ार पाकिस्तान में पड़ी पड़ी खून के त्रांसू बह रही हें॰ उन के लिये कुछ ग्रपनी शक्त का प्रयोग कीजिये म़्झ इस बात को कहत हुए खेद होता है जब श्राप कम्युनिस्ट, कम्यु- नैलिस्ट, ब्लेक मेलर्स गरौर केपिटलिस्ट फहते हों तो उस का क्या ऋर्थ है ? देग्रर इज नो एक्स्क्लूडेड मिडल, कोई बाकी बच नहों कहार्न महिलायो

ऋ्रब उस को लोग इनाज के लिंये ल गये एक के पास उस ने कहा कि भाई इस के ठीक होने का उपाय यह हैकि इस रोगी को न तो कै ग्राय गरौर न दस्त्त श्रौर इस के लिये एक पत्थर इस के नीचं से ठोंकदो औ्रौरः एक पत्थर ऊपर से ताकि दोनों तरफ से बहना बन्द हो जाय क्योंकि उस का इस तरह से प्रीवैन्टिव डिटेंशन हो जायगा गरौर ऐसा करने के बाद न तो उस को कै श्रायगी ग्रौर न ही दस्त्त लेकिन ग्राप जानते हैं कि इस इलाज का नतोजा क्या हुंग्रा ? उस् बेचार रोगी का पेट ही फट गया | मुझे डर है कि कहीं प्रीवेन्टिव डिटेंशन एक्ट से भी हमारा वही हश्र न हो राम राज्य की ग्रक्सर दुहाई दो जाती है, श्राप जानते हें कि श्रादर्श पुरुषः राम ने किस प्रकारएक धोबी के मुंह से श्रपनी धर्मपत्नी सीता के लिये कुछ बुरे शब्द सुन कर भी उन्होंने धोबीं को कुछ भी नहों कहा, त्रगर वह चाहते तो उस को जेल के सोंखचों में बन्द कर सकते थे, मगर राम ने धोबी को उस के लिय प्रवेन्टिव डिटेंशन में नहीं डाला राम क्या नहों कर सकत थे उस राम ने, जिस ने रावण के का बिना ग्रयोध्या से सेना का एक सिपाही मंगाये नाश क दिया सप्न लोकैकनाथ कुल दशकण्ठकल द्विषः च उन के लिये कौन सीा चीज ग्रसम्भव थीो, वह चाहते तो पता नहों उस धोबी को साईबेरिया के जंगलों में भेज सकत लेकिन चारित्र की पवित्रता क परिचय दिया सीता के चरित्र की पवित्रता का वह ग्रादर्श उपस्थित किया जो श्राज सारे विश्व के सामने है ग्रौर ग्राज उस रामायण् काल को साढ़ नौ लाख वर्ष बीत जान पर भी लोग स्मरण करते हें श्रौर उस प्रेरणा प्रा्त करते हें | कहां वह रम राज्य ग्रौर कहां ग्राज का ज़माना जब समाचारपत्रों स यहविदित होता है कुष्ट वैद्य सारे कुल उन्होंने

प्रगर ह धर्म को नानता होगा तो श्राप उसको म्युनलिस्ट कह देंगे , शरगर धर्म को न मानता ोगा तो ग्राप उस का =ट नस्ट, या ोशलिस्ट कह देंगे 1 एसी परिस्थिति में गर श्राप किसी को इस तरह पोलिटिकल लैकर्मेोलिंग राजनैतिक तर्जना ) क द्वाया र्दशा करते हें॰ तो यह कहां तक उचित ग्रौर ुनासिब होगा | मेरा निवेदन है कि त्रगर प्राप इस तरह कीं पोलिटिकल ब्लैकर्मेोलिंग पे उस व्यक्ति को बचाना हों तो यह उचित है कि॰ ग्राप उस का ग्रोपिन कोर्ट खुली ग्रदालत ) में पश करें जहां पर वह जुर्म के खिलाफ ग्रगर वह चाहे तो ग्रपनी प्फाई दे सके ग्रौर श्गर उस क बाद उस का जुर्म साबित हो ग्रौर दंडस्वरूप वह व्यक्ति फांसी के तख्ते पर रभी लटका दिया जाता है तो उस के बारेमें किसी को तकलीफ नहीं होगी 1 में श्राप से न्याय के नाते, धर्म क नाते ग्रौर उस धर्म चक्र के नाते, जिस की ग्राप लोग इतनी दिया करते हें॰ उस भावना के नाते, जिसके मातहत ग्राप ने यहां पर प्रजातांत्रिक जनतंत्र ग्रौर लोकतंत्र का शासन स्थापित किया है इन सब के नाते ग्रौर उस ग्रभागे भारत को॰ जिस को खाने को नहों मिल रहा है, श्रपील करता हूं कि ग्राप किसी व्यक्ति को दंडित करने के पहले उस को त्रपनी सफाई पेश करने का ग्रवसर दें , नहीं ता यह जनतंत्र पर स्पष्ट कुठारा- घात करना है | मुझे इस सम्बन्ध में एक बात स्मरण त्राती है एक गरीब ग्रादमी था जिसको फूड कंट्रोल खाद्य नियंत्रण) के कारण रोटी खाने को नहों मिली ग्रौर वह लाचार होकर भूखा क्या न करता गली में पड़े हुए गन्दे सड फल उठा कर खाने लगा श्रौर जिस के फलस्वरूप उसे हैजा हो गया उस के पास पैसा तो था ही नहीं जो किसी बड़े डाक्टर से मिलता ग्रौर शब लगा वह ऊपर चाहंग चाहते दुहाई वगैरह

( गोहिलवा सोरठ ) विधयर्ु का विरोध करनं व को दो श्रणियों में विभक्त किया जा सव हॅं : एक तो वे लोग जो यह चाहते हें देश में स्थिति किस भी प्रकारको क्यों हो यह कानून लागू नहीं किया जाना चाहि दूसरे वे लाग हं जो कहते हैं हम इस कानून का उस समय मानन लिय तंयार हें जब हमें यह विश्वास दि दिया जाये और हमें इस बात के आं॰ बता दिय जायें कि देश में इस कानून बहुत ज़रूरत हॅ प्रथम श्रेणी के लोगों तर्क करने की मेरी इच्छा नहीं है क्यों सदन का इस विधयक सिद्धा को मान चुकी हॅ | श्री चटर्जी और डा० मु खर्जी क इस प्रकार के क़ानून बनाने को क आवश्यकता ह उनका प्रश्न बहुत उचचि प्रतीत होता है परन्तु मैं आपके साम यह बतलाने का प्रयत्न करूंगा कि क वास्तव में यह प्रश्न वस्तुस्थिति को जान के लिय ्किया गया है या केवल यह उनक एक चाल हॅ और वह केवल इस विधेय का विरोध करना चाहते हें | माननीय गृह मंत्री ने सदन के समक्ष् बहुत सो बातें रखों उन्होंन डा० कों नज़ रबन्दों के बारे नें बहुत से आंक भी्दिये इ सके अलावा मेरे माननीय मि श्री नथवानी ने सौराष्ट्र की स्थिति के बा में बहुत्त विस्तृत आंकड़़े दिये परन्तुखेद किजो लोग आंकड़़ प्राप्त करन के इत इच्छुक थे, वे इन बातों को सुन कुछ झुंझल से गय वास्तव में, उन लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था | इससे प्रगट होता ह किवे इस विधयक का विरोध केवल विरोध के तलिय कर रहे हैं|श्री नथवानी द्वारा बताय बहुसंख्या पूछते मुखर्ज

के प्रयत्न में त्रपने प्राणों की देदी, वह ग्राप की हिरासत में बिहार प्रान्त में रह कर मर गया, परन्तु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी [उपाध्यक्ष महादय ग्रध्यक्ष पद पर ग्रासीन हुए] मैं इतना ही चाहता हूं कि ग्राप इस प्रीवेन्टिव डिटेंशन के द्वारा श्रपने विरोधियों का मुंह बन्द करन का यत्न त करें॰ यह सर्वथा ग्रनुचित ग्रौर न्यायसंगत्त नहीं होगा मैं यह नहीं कहता कि श्राप न्यायपूर्वक दंड का विधान न करें, लेकिन जिस को श्राप दंडित ररना चाहें उस को त्रपनी सफाई उपस्थित करने का श्रवसर दें त्रौर उस के बाद यदि यह सिद्ध हो जाय कि वास्तव में वह ग्रपराधी है तो श्राप उसे सहर्ष भयंकर से भयंकर दंड दें, उसमें किसी को श्रापत्ति नहीं हो सकती है लेकिन श्रगर ग्राप ऐसा नहीं करते ग्रौर जिसको ग्राप गिरफ्तार करते हें उस् को सफाई पेश करने का ग्रवसर नहों देत्ते त्ो श्राप का त्राचरण श्रमरीका के समान होगा जा हिरोसीमा के ग्रसहाय स्त्री क उपर ऐटम बम का प्रयोग करके भी विश्व शान्ति की बातें कर रहा है॰ लेकिन एक श्रन्धा भी समझता है किउस के इस थनी ग्रौर करनी में कितना ग्रन्तर है| त्रन्त में मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ यह कहूंगा क त्राप के सामने जो संशोधन उपस्थित ए हैं उन में हम न्यायसंगत संशोधनों को वीकार करें त्रौर बन्दी को दंडित करने के हले सफाई पेश करने का पूरा ग्रवसर व विधा प्रदान करें | यदि त्राप एसा करना वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि ाप का यह विरोधी दल भा इसमें मर्थन करेगा ग्रौर गफ़ने विरोध को ठा लेगा 1 ग्राहुति पुरुषों

मय आपकी सरकार क्या कर रही थो ; पका मंत्रिमंडल निकम्मा है आदि आदि 1 ~ इस प्रकार को तर्क वे करने लगे वास्त्व बात यह रथीकि श्रः नथवानी ने जो घटनायें ताई हैं उ्का उनके पास कोई उत्तर त 71 मेरा के मंत्रिमंडल से काफो ननरन्ध रहा है 1 यदि वह इतना निकम्मा ता, तो सौंराष्ट्र के लोगों न` उन मंत्रियों ` वोट क्यों दिये सौराष्ट्र में ६० से ५५ स्थान कांग्रेस ने जीते | चुनाव से ~न िन गहले मृष्य त्ी श्रो ढंब्रर के क्षत्र दस-पन्द्रह मिनट के अन्दर ग्यारह व्यक्तियों - हत्या कर दा गईं थी जिससे ्कि लोग र जायें और कांग्रेस को वोट न दें| परन्तु ोगों को कांग्रस में वविश्वास था और सी को वोट ँदिय यादि वहां के लोग स मंत्रिमंडल को निकम्मा समझते तो इतनी ारी संख्या में कांग्रसो कभी न आते | अब डा॰ मखर्ज के िचारों पर गौर ीजिय उन्होंने सरकार पर बह्ुत कुछ रोप लगाय हं वह कहते हें कि भपत म्त्रई सरकार के अधीन एक पुलिस अधि- रो था और ज् नागढ़ पर विजय प्राप्त रते सनय उप्तने कांग्रस की बड़ी सहायता ७ थी | उन्होंन यह भी कहा वह एक देशभक्त गारिक थमा मैं नहों कह सकता ि डा॰ कर्जीः को यह सब सूचना कहां से प्राप्त ई 1 भूपत शुलिस अधिकारी तो क्या सिपाही ७ न था| श्रो नथवानी भृपत को जानते हैं ह त७ एक जागीोरदार का ड्राइवर था ह ज्ो उन लोगों की उड़ाई हुई बात ह्ै कि पत एक देशभक्त था जो उसे सहायता ते हें और उसे अपन यहां रखते हैं च म्झ द हं ्कि डा० मुकर्जी न` इस गलत प्रचार सौराष्ट्र होते उन्होंन

उन्होंन सारी घटनाओं का उत्तर दायित्व सरकार पर रखा है परन्तु.क्या वे जानते हॅं कि इन सारी घटनाअ के पीछे राजाओं और जागीरदारों का हाथ था ? आप समझ सकते हंकि इन लोगों विरुद्ध गवाही इकट्ठी करना कितना कठिन है | ये लोग समझते थे और अब भी समझ हं कि हनें बहुत से विशेषा िकार प्राप्त हॅ हमें कोई गिरफ्तार नहों कर सकता इर लिये उन्होंन अपनी मनमानी की | इन लोग पर शस्त्र अधिनियम भी लागू नहों होता उनके लिय अपने यहां के सारे शस्त्रों क सूची बनाना आवश्यक नहों तो आप देखेंग कि सौराष्ट्र सरकार क॰ कितनी कठिनाई का सामना करना था इन लोगों का सामन करने के लिये बड़ी सावधानी को आवश्यकत था 1 यह आरोप भी लगाया जाता हं कांग्र स ने निवारक निरोध अधिनियम क प्रयोग िरोधी पक्ष को कुचल देने के लिय किया ह 4 में कहता हूं कि अगर सौराष्ट में एेसा हुआा होता तो विरुद्ध इसक बहुत लम्बा चौड़ा प्रचार किया गया जात और चुनाव में हमें इत्तनो सफलता नहों मिल् सकता थो यह आरोप बिल्कुल निराधा है 1 हां, चुनावों के बाद सरकार ने यह स्पष्ट घोषणा कर दंी थीिजग भी व्यक्त डाकुअ को \_ सहायता करेगा, उ से सख्त से सख सज़ा दी जायेगी| मं तो कहृता हूंककि बजाय सौराष्ट्र सरकार का बर-्भला वे हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिय ्कि उसन कितनी सफलता से ्थिति को क़ाबू गें किया मैं अाप से कह रहा था कि चुनावं के समय सरकार ने लोगों के विरुद्ध को कार्यवाही नहीं की 4 इनमें से दा व्यक्त३ो फफिर, सौराष्ट्र हमारे कहन

काम -- उस के साथ ही एक बड़ी भारी तत और कही और यह बताया ्ि पांच हीन के अन्दर चीन ने जितना वहां करप्शन सष्टाचार ) था, स्टेट (राज्य ` के रखिलाफ ितन ( आन्दोलन और चोर बाग़ारी वगैरह जितनी चीजें ों वह सव खत्म कर दीं| तो मैं ने कहा कि ाईं वह कौन सा पनसिलिन या ऐसा इन- `क्शन उस के पास था कि जजिस ने एसा जाम कर दिया फिर उन्होंन साथ ही यह गी कहा कि काई शख्स अगर से सवाल रना चाहे तो वह कर सकता ह फफिर उन्होंने बत्तलाया ि चीन में कम्युनिस्ट रटी के जो बोस साल के दो मॅम्बर े तो इस करप्शन को दूर करने के वास्ते वहां जो पिप्रित्रैन्टिव डिटेंशन एक्ट था वह एसा नहों था कि टैम्पोरैरीली अस्थायी रूप से ) उस को डिटेन ( नजरबन्द करते थः बल्कि उसको गोला से उड़ा कर परमानै न्टली ( स्थायी रूप से ्रिवैन्टिद डिटैन्शन में भेज देते थे| तो उस श्रिवैन्टिव डडिटें- शन ऐक्ट के मुताबिक जब दो आदमियों को जो उनकी पार्टी के बहुत् सेवक थे , गोली से मारने का हुक्म हुआ तो उन में से॰ एकजो चीन के डिक्टंटर मात्से तुंग के चहुत् बड़े प्रेमी थ , आप मुझे माफ करेंगे अगर जो में तलफ्फज करता हूं वह ठीक न हो, उन्होंने उन केजो लोडर हें उन से इंटरच्यू मांगा तो जब लीडर से इंटरव्यू किया तो उन से कहा कि आप मुझ पर कृपा करें | मैं ने तो बीस साल पार्टी की सेवा की है और मुझ को अभी आप गोली मारते हें | तो गलता की मुझ को माफीं हो जानी चाहिय 1 उन्होंने उन को जवाब दिया कि॰ भाई हम तुम को माफी तो जरूर दे देते, लेकिन जहां तम न इतनी कूर्बानियां अपनी पार्टी के उन्होंने मूवमेंट हमारे पुराने पुराने उन्होंने

और कर दोग तो मुल्क में हमारी भिसाल कायम हो जायगी कि हम अपनी पार्टी का भी ललिहाज नहं करते, और करप्शन कम्पलीटली (पूरी तरह ) अपरूट समाष्त ) हो जायेगी यः बात स्वोकार कर लो और गोली का निशान बन म सरदार गु रबखूश सिंह साहत ने कहा कि जो चाहे सवाल कर सकत हॅँ, में स्टेज पर चला गया और कहः कि एक सवाल करना चाहता हूं1 मं चीन को मुबारकव्राद देता हूं, जिसने इतनी भारी तरक्कियां कीं ४ हम लोग खुशकिस्मत कि महात्मा गांधी ने हम को एक ऐसा नेक शरुस बक्शा हॅजो मैन आाफ दा पीस शान्ति देने वाला व्यक्त ` है॰ दुनिया में अमन चाहता है | लेकिन हम लोग जब किसी ब्लाक के मेन्बर नहीं हें॰ सत्र के साथ प्रेम करते हें॰ हम ने चीन की सोट को प्राप्त करने के वास्ते यू॰ एन॰ ओ॰ में लड़ाई को और अपने नेशन ; राष्ट्र ) की जो िस्टर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हैं॰ उन को गुड विल मिशन पर चीन में भेजा, तो मेरी समझ में नहीं आता कि करप्शन को दूर झरने के लिये चीन में तो कम्यूनिस्ट पार्टी गोछी के सामने ज्ा कर अपने ऊपर झेलती है और हम हिन्दुस्तान में समाज विरोधी लोग को . पोज़ीशन के माफिक ए बी , औ सी क्लासेज़ में बिठा कर रप्गुल्ले खिलाना चाहते हैं तो वह भो खाना नहों चाहते मेरी समझ में नहीं आता कि वहो ऊम्पुनिस्ट पार्टी चीन में एक काम करतो है और हिन्दुस्तान में दूसरा वह सरदार साह कहने लगे यह पोलिटिकल बात है तुम बै॰ जाओ मैं ने कहा, यह बात आप न क्य कही रावलपिंडी में रायट (दंगा ) हुअ सन् १९२६ में तो वहां पर सर ज्ान माइना मिनिस्टर आयें उन्होंने फौरन ही सारे राय को इन्क्वायरों को 4 भगत लक्ष्मो नारायप कुर्बानी उन्होंन

ने उन से॰ पूछा कि जहां फौज् और पुलिस मौजूद थी वहां आग भी लगी और क़त्ल भी हुये और जहां फ़ौज् व पुलिस मौजूद नहीं थी वहां कुछ नुक़सान नहीों हुआ उन्होंने कहा बैठ जाइये, बैठ जगाइये , यह वकीलों को बातें हैं | कहने का मतलब यह है कि यह जो प्रिवैंटिव डिटेंशन ऐक्ट है उस से आप क्यों घबराते हैं | हमतो महात्मा के फ़ालोअर ( अनुयायी ) हें, रहनुमा उन के फ़ालोअर हैं॰ वह तो दया धर्म और प्रेम से ही दुनिया को जीतना चाहते हें | यह प्रोपेगेन्डा करना कि यह देश की जनता के वास्ते है, यह बिल्कुल ग़लत है | यह जनता के वास्ते नहों है॰ जग़नता के वास्ते हमारे पास महात्मा गांधी का प्रेम है, भगवान कृष्ण का प्रेम है॰ हमारे पास रूहानी ताक़त है॰ हम तो उन के सेवादार ह, यह जो प्रिवैन्टिव डिटैंशन ऐक्ट है यह तो उन जुर्मों के वास्ते डी॰ डी॰ टी॰ है जो जनता को ख़ाते हें॰ और जनता को बर्बाद करते हें सिर्फ उन्हों लोगों के लिये हैन कि जनता के वास्ते | मैं ने जिस वक्त अपने अपोनेन्ट (विरोधी ) को बीस हज़ार से ज्यादा वोटों से हराया तो वह मेरे पास आयेः और कहने रगे्ि सरदार साहब आप तोहमारी लियामेंट के मेम्बर हो॰ गये, ोें ने कहा, क्या फज़ूल बातें करते हो, अंगरेज़ों र ज़माने में हम आनरेबुल मेम्बर हो जाते और बड़े आदमी हो जाते थे, लेकिन अब हम क्या बड़े हो गये हैं ? हां बड़े हो गये हैं, डे सवट्स और बड़े नौकर हो गये हैें जनता , 1 तो हमारी जो स्पिरिट है वह तो हमारे महात्मा की बनाई हुई है॰ हम उन के फ़ालो- अर हें॰ जिस आदमी के दिमाग़ में अधर्म का १याल नहीं हैे, जो आदमी पाप नहीं करता, स को धर्मराज के दण्ड का क्या ख़तरा हो हमारे आनरेबुल

करता है इस का मतलब यह है कि वह कोई अनलाफुल डिजाइन (बुरा उद्द श्य ) रखत हॅ वह कोई क्राइम ( अपराध ) करने का इरादा रखता है॰ इसीलिगे घन्राता ह वरना, अगर हम धर्म के रास्त्ते पर हें तो हनें क्या ख़तरा हं ? जब यह प्रिवेंटिव डडिटंशन बिल साभने आया तो उस परजो बहस हुई उप्े सु7 कर मुझे बड़ा दुःख हुआ | में कम्युनिस्टों को भो दिल से प्रेम करता हू पहला हथियार गांधी जो का यहीः रहा है॰ लेकिन अगर कोई सर्जन आपरेशन करता है तो वह मरीज़ को मारने के लिये नहीं करता है॰ में आवरी आदमी हूंगा जो किसी को तःक़लोफ में देखना चाहूंगा 1 में तो चाहत्ा हूं कि उन के दिमाग़ में जो क्रिमिनैलिडी अधराध को भावना ) है वह दूर हो बजाय इप्त के कि वह तक़लीफ में पड़ें | उस िन श्रो गोपालन ने कहा " आई वाज ए मेम्तरर आफ दि कांग्रेस, आई वाज़ दि प्रेज़िडेण्ट आफ दि केरला कांग्रेस कमेटी" ' और फिर कांग्रेस के राज्य में प्रिवेन्टिव डिटैंशन ऐक्ट में गिरफ्त्तार किया गथा ता बड़ा दुःख हुआ इसे सुन कर| जिन को इतनो र्सविसिज़ थों जो कांग्रेस॰ के प्रेजिडेण्ट थे उन को इस तरह से दुःख क्यों दिया गया ? में भी॰ कांग्रेस में शामिल हूं॰ कांग्रेप् कहों मुझ को भी न गिरफ्तार कर ले प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट में में सोचने लगा कि क्या कांग्रेस एक दम अनरिलायबिल ( अविश्वस- नीय ) पार्टी है ? मेरे पास एक और आदमी बैठा था उसः ने कहा तुम क्पों परेशन हो रहे हो ? अगर तुम शुद्घ हो॰ पाववित्र हो तो तुम्हें क्यों परेशानी है॰ तुम्हें क्या परेशान करेंगे , उस ने कहा कि इस बात का प्रश्न अलप मुझ को मुझे

ज्ब बुड्ढ होन लग ता सोचा कि मुझे मरतो ज्ाना हो है,कोई ऐपा तरोका होना चाहिय कि मैं नर्क नें न जाऊं | क्या किया कि॰ एक वस्ोया् कर दो अपने बेटे का लित्ा कि जब मैं मर जाऊं तो कफन ऐसा देना जिते कोड़ों ने खा लि #ा हो उस में सूराढ़ हों उप् लड़े ने एश्ा हो फरिया जन लडके उन को दफ़न करऊे चले गय तों फरिश्ते आये, एक लात मारीों और दामन उठ दिया, इस् पर वह बुड्ढा हैरान हो कर फरिश्त्तों को तरफ़ देवने लगा और कहने लगा कि आप मेरी कब्र में ग़ल्ती से आ गये हो मैं तो बहुत पुराना मरा हुअ हू मेरे तो कफ़न तक को कीड़े खा गपे हैं जजिस अहमद खां को आप तलाश करते हैं वह ताज़ ा मस हुआ फिशों और कब्र में होगा | जा इप़ तरह को होशियारी करना चाहते हैं उन के लिये यह ऐक्ट है जो सही रास्ते पर आना नहों उन के वास्ते है | अन् क़ाप बा३ ऋ६ जा रहा हूं| अाज आप दुरनिशा में देवये कि॰ स३् से ज्यादा इज्जत हिन्दुस्त्ान को है, वह हनारा सेकुलर पालिसी धर्म निर्पेक्ष का असर है ' आप के सामने पाकिस्तान का लड़ाई झगड़ा चल रहा है लेकिन उसक्रे बाद नतीजा क्या हुआ ? आज इन्डोनीसिया आप के साथ है, तुर्किस्तान आप के साथ है, अफ़गानिस्तान आप के साथ है॰ ईरान आप के साथ है, मिश्र आप के साथ हे, मैं कहता हूं कि अगर आज फिसी ने दुनिया को रहानियतः का शिक्षा दा है तो कांग्रेस ने जिस समय डाक्टर ग्राहमं आये थे जो मेमोरैन्डम बारह हिन्दुस्तान के मुसलमानों ले दिया उस का जो असर हुआ वह अगर हम ३३ करोाड़ आदमां भी चाहते मैं एक नोति )

करें कि अगर उनः को दो स्त्रियां हो॰ एक पतिव्रता और रन-अत्रे वाईफ जो अपने पति के सामने कुकर्म करना शुरू कर दे तो वह उस क्या सुलूर करेंगे | इप्त से नैं सन्तुष्ट हो गया मेरे अर्ज़ करने का मतलब गह है कि यह जो ऐक्ट है यह कोईं कम्यू- निस्टों के वास्ते नहीं है | जत्र सूर्य चढ़ता है तो सारी सृष्टि के लिये चढ़ता है, उसी तरह से क़ानून है तो सब के वास्ते है चैरिटी बिगिन्स ऐट होम 1 सरदार शर्दूल धर्मशाला जल में क़ैद थे| देवी मात्ा का मेला था वहां से १६ साधू गिरफ्त्तार कर के जेल में डाल दिये गये सरदार शरदूल गिह ने सुपरिन्टेन्डेन्ट से कहा इन साधुओं को क्यों जेल में लाये हो सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कहा यह साधु नहीं हैं॰ यह जेब कतरे हैं | उन्होंने कहा अंग्रे ज़़ बनने के लिये तो पांच सौ रपया चाहिये, कोट चाहिये, पैंट चाहिय, उसे ड्रैस सूट, नाइट सूट सभी चाहिये लेकिन अगर कांग्रेसीं बनना है तो उस को दो पैसे को टोपी चाहिये यह चन्द सफेद टोपी वाले ब्लैक शोप जो कांग्रेस को बदनाम करने के लिये उन झूठे साधुओं को त्रह कांग्रेस ोें दाखिल हो गये हैं यह त्ो कांग्रेप्त को बदनाम करते हैं जों ख़राब आदमी हैं॰ जो कांग्रेस को बदनाम करते हैं उन के ऊपर यह प्रिवेन्टिव डिटैंशन ऐक्ट लगगा और उन को भी हमें पर्ज करना है | दोस्ज् नम्बियारं उधर बैठते हें, वह फरमाने छो कि॰ प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट तो मेरे ऊपर भी॰ लग जाना था लेकिन मेरे ऊपर नहीं लग सका ( क्थयों जो ? अंडर ग्राउण्ड से सामने आते तो पता लगता ? वह बड़े होशियार हैं ४ रावर्लपिंडी में एक कम्युनिस्ट थे जिनका नाम अहमद खां था| वह वकील के थे, सारी की सारी उम्र पाप दूसरी से खुद संह मेरे एझ मुन्शी

वह जबर्दस्ती उन को कैसे ले गया ? तो मैं न गुरु महाराज की कृपा से जवाब दिय था कि एक एलेक्ट्रिक माटर जा हजारो ट३ों का मशीनरी को चलाती है फ़यूज उड़ जाने के बाद अन आप को भी नहीं चला सकती 1 सीता "त के जगत माता और सत्वन्ती होने में किसी को शक नहीं है लेकिन जैसे हो लक्ष्मण जी ने राग़ की जो लकार खींची थो उसे पर किया, यानो पति की अज्ञा का उल्लंघन किथा, ता उन का बल जाता रहा इस लिये मेरा कहना कांग्रेस पार्टी से यह है कि $- फ़2आ९१6९ 01ऊ ऊ=ज़ ऊ4 65-] भट ऐर$ डग़९ फ़फ़ँ -$6 "फ़फ़आट१ ऐ९ ,0चट टम2डड ठ"ऐ ऐ28"स इ2+3ँओ ठ- ४ ]फ़ +० +28 ट1ृ28ड$. ( हभ अपकी जल्दी को सभझते हैं परन्तु जल्दी करने में भी कुछ समथ लगता है हम आपज्ी नर्म दिलो कीं सराहना करते हैं परन्तु इस की भी कोई हद्द होनी चाहिये | ) इसी में कम्पूनिस्टों का भला, लोगों का भला ओर सब का भला है कि कानून को माना जाथं में कःम्पूनिस्ट पार्टीं से अभील कूूंगा कि वह भी साथ आयें इस मामले में | हिन्दुस्तान ऋषि भूमि है जो संद दुनिया को सहायंता करने वाली है, अगर तैंतीस करोड़ आदमी एक ब्लाक में हो गये तो बड़ा फर्क पड़ जाथंगा हम को दोनों ब्ज़ाकों में से किसी तरफ नहीं रहना चाहिये हमें दुनिथा में नेक नियती और इन्पानियंत का सााथ देते हुए अमन कायम रखने में सहयोग देना चाहिये और आज कल की इंट रनेशनल पोजीशन को इस किस्म की प्रेम और सुलह पैदा करने वाली एजेन्सी की सख्त जरूरत है में चाहृता हूं कि चूंकि आप हिन्दस्त्तानी हैं दूसरे हमारे हमरा

न हाता और मिडल ईस्ट में मौलाना साहन के भेजने का नतीजा क्या हुआ पंज्ाब दू सरा कोरिया बनते बनते रह गया यह मौलाना साहब और पंडित जी के बर्ताव कः असर हे फि तमाम इसलामी मुलक दोस्त हो गये है| मैं रावर्लापंडी का रहने वाला हूं॰ वहां से दो सो मील चल कर रिफ़युजी काश्मीर पहुंचे वहां गड बड़ मच गई जम्मू मैं गड़बड़ मच गई, राजा साहत्र तो वहां से चले गये तीन दिन पहले तोन ददिन बाद हिन्दुस्तान को फ़ौज पहुंची उस अर्सें में शेख़्न अब्दुल्ला और उनके वालंटियरों ने जो और िख वहां पर गये उन सब को ज्ान बचाई कितनी नेक नियता से महात्मा जो के प्रिंसिपल को फ़ालो किया 1 और जो और सिख श्रोनगर में घबरा गए थे औरजन्मू जाना चाहते थे उनके वास्ते तकरोबन दो सा मुस्लमान टांग वाले वालटिंयर शेख अब्दुल्ला ने तैयार किये जो हिन्दुओं और सिखों को जम्मू छोड़ने गये | उन में से १७० मुसलमान टांगे वाले मारे गये + लेकिन फिर भी शेख अब्दुल्ला और उस को पार्टी ने सेक्लरिज्म नहों छोड़ा और महात्म ` जो के नक्श कदम पर चलते रहे | इन पांच सालों में जितना काम किथा है हनरे लीडरों ने उस की भित्ाल नहीं है | हंग चाहते हैं कि किसी को हम में किसी किस्म का शुबहा नहीं होना चाहिये | म हिन्दुस्त्ान कीं कम्युनिस्ट पार्टी और जो दर्जनों पााटियां उठीं हुई हैं उन से कहता हूं कि हद से बाहर जो जायगा वह बच नहों सकता बड़ी बड़ी हस्तियां दुनियां में॰हुईं लेकिन वह कायम नहीं रहों जंयपुर में पब्लिक प्लेटफार्म परः तकरीर करतं हुए वह सवाल हुआ कि सोता माता जो एक हाश से धनुष उठा कर झाड़़ दे लेती थीं और रावण हमारे हमारे हिन्दू उन्होंने हिन्दु

मैं किसी इज्म ( वाद ) के खिलाफ नहीं हूं॰ मैं तो गरीब जनता के रट ( दशा को बेहतर बनाने के लिये जो भी इज्म आगे आये, उस के साथ हूं ऐकिन मेरे सामने बैठने वाले दोस्त तो रीबों की अड लेकर अपना भतलब सिद्ध रना चाहते हैं॰ उन की टेकटिक्स ( चालों जो में खूब सभझतः हूं औरःहभ उनके धोख़े आने वाले नहीं हैें | अंग्रेजों के वक्त में लोग के बच्चों ग गला कटा कटा कर सर का खिताब लेकर रदार बनते थे, लेकिन ऐसे भी लोग उस मथ थे जो अपना सिर तलवार पर रख कर रदार बनते थ आप लोग मुबारक हैं ो लोगों को जायदादें तकसीन करते हें, किन मैं आफ को बतलाऊं हम वह लोग हैं जन्होंने देश की बेहतरी और आजादी के ातिः हज़ारों लाखों और करोड़ों इपयों फी अपनी जायदादें तकसीभ कीं और लोगों गीं खातिर कमाया और जीवन व्यतीत किय `ो यह लूट करके और खूनखराबा रकेजो जायदादें लेने का आप का ादर्श रहा है, हम उस को बुरा सभझते हैं ौरं मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं ि ह आपको भी प्रेम्, शान्ति और सच्चाई ग मार्गं दिलाय ताकि आप अपने गलत 7ति और रास्त को छोड़ें और ही रास्ता अखित्यार करें | जो ादमी सोया हुआ हो, उस को तो जगाया 7 सकता है, लेकिन अगर आप जागते ए॰भी सोये रहना पसन्द करते हैं और सही स्ते पर नहीं चलना चाहते तो फिर आफ को गाना है | बस में इतना ही कह कर पन्ी स्पीच खत्म करता हूं और अगर मुझ कोई गल्ती या सख्त अल्फाज निकल गये ों, तो उस के लिये क्षमा चाहता हं दूसरों मुश्किल

हमन माननीय गृह॰पंत्री रा भाषण सुना | समझता हूं कि विमत्ति टिप्पणियो को देखने तक का कष्ट नहों किथा है | उन्हें वशवास था कि जो कुछ वह करेंग वह सद में पाारत हो ही जायगा क्योंि उनका बहुत अधिक बहुमत है | कुछ देर एक माननीय सदस्य ने सौराष्ट्र का ्िऋ्र किया उन्होंने कहा कि॰ सौराष्ट्र में सःमन्तशाहा का समाप्त करने के लिये इस क़ानून को काम में लाया जन रहा हॅ| परन्तु क्या आपन कभी सोचा कि इस सामन्तशाही में कौन कौन लोग आते हैें ? ये लोग वे हैं जो आज सरकार के खास व्यक्त बने हुये हैं| बड़े बड़े पदों पर य नियुक्त हैं | यदि सरकार वास्तव में इस कार्य को करना चाहती है तो वह सौराष्ट्र में जनता के आन्दोलन से क्यों डरती है ? वह भूमि को मूल समस्या को हल करने का प्रयत्न क्यों नहों करती ? भूमि दान यज्ञ जैसे बकार की बातों में अपना सनय और श्रम क्यों नष्ट करती ह एक बात और है॰ र्याद यह मान भी लिया जाये कि सौराष्ट्र में स्थिति एसी है कि वहां इस क़ानून का लगाया जाना आव- श्यक हॅ तो र्फिर मैं पूछता हूं ्कि भारत के अन्य भागों में इसे क्यों लागू किया जा रहा है, संयुक्त समिति में एसा एक सुझाव रवखा गया था परन्तु उसे भी नामंजू र कर दिया गया यदि माननीय मंत्री न तथा उस आर के अन्य सदस्यों ने विमति टिप्पाणियों को पड़ा' होता, तो इस घृणणित क़ानून के कुछ उपबन्धों में अवश्य संशोधन किया गया होता पंडित हृदय नःथ कुजरू जैसे संम्मानित सदस्य न अपनी॰. टिप्पणी में लिखा हॅ कि ४सर्मिति ने विधेयक परअंधिनियम की कक्रिया उन्होंने हुई,

इस का का उत्तर नहों दिया जाता क्योंकि सरकार एक निष्पक्ष जांच करवाने का साहस नहों वह किसी निष्पक्ष अदालत के सामने नहों सकती क्योंकि फसला उ सके खिलाप होगा 4[ मैं यह निवेदन कर चुका हू औ सदन के अन्य सदस्यों ने भी कहा हैरकि नजनर बन्द को क़ानूनी सलाह लेने को सुविध अवश्य होनी चाहिय गवाह प्रस्तुत कर और करन का अधिकार भी उ होना चाहिये विमति टिप्पणियों में इसक चर्चा को गई है, परन्तु सरकार ने इन बात की ओर ओई ध्यान नहीं दिया माननीय गृह मंत्री का भाषण बहु उत्तेजनात्मक था कोई ऐंसे तथ या आंकड़़ नहों बताये जिनसे यह प्रग होता हो कि देश की स्थिति बहुत गम्भी हॅ और इस क़ानून को लागू करना बहु जरूरी है | इस हालत में भी जब कि मंत्रणा पर्षद् में नज़ रबन्दों के हितों का विश= ध्यान नहीं रखा ज़ा रहा है, ३० प्रति शत मामलों में उन्होंने यह फसला दिया कि सम्बन्धित नज़रबन्दों को छोड़ दिया जाये उच्च न्यायालयों को जो मामले गये हैं, उनमे से अधिकतर माभलों में निरोध के आधारों को अनुचित और अवैध माना गया है| तो आप देखते हैं कि किस प्रकार इस अधिनियम का दुरुपयोग होता है | माननीय मंत्री से हम यह आशा करते थे कि वह ज़रूरतमन्दों को भत्ता देने की ठ्यवस्था अवश्य कर ढेंगे परन्तु कहा कि हम ने यह क़ानून अपराधों को रोकने केलिये बनाय हैं, अपराधियों के साथ सहानु- ६फख ~ -'- = =फ # == नानत- चुनौती जि रह उन्होंने उन्होंन

जानकारी के बना ही विचार किया है १" समिति के सदस्यों सुझाव दिया था कि उंन राज्यों के मंत्रणा र्षदों के कुछ सदस्यों को समिति में शामिल कया जाय जहां इस क़ानून का लागू किया नाना ज़हरा समझा जता हा इससे ता चल जाता कि वास्तव में मंत्रणा र्षदों में किस प्रकार कार्य होता है परन्तु स सुझाव को भी ठुकरा दिया गया क्योंकि रकार जानती थी कि सदन में उसका र्याप्त बहुमत ह और विरोधी दल कुछ हों कर सकता आप जनता के िचारों को खिय १ सब लोग इस गन्दे क़ानून के विरोध ों हैं परन्तु सरकार इस ओर ध्यान नहों ती जसाश्री चटर्जी न कहा इंगलैंड में द्ध काल में इस क़ानून को लागू किया या था और उस समय भी नजरबन्दों को हुत्त सी रियायतें थीं परन्तु भारत में बिना रसी ियायत के शान्तिकाल में भी इसे ागू किया जा रहा ह | यह क़ानून इतना स्पष्ट है कि इसे राजनैतिक दलों के विरुद्ध डी आसानी से काम में लाया जा सकेगा | ननीय मंत्री न बार बार यह कहा कि सका समाज विरोधी तख़वों को कुचलने - ललिय प्रयोग किया जायगा परन्तु फ क्षण उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट ही समाज रोधी तत्व हैं| फिर उन्होंने िसा के बारे ` कहना आरम्भ किया मैं इस विषय पर 7 अधिक बोलना नहीं चाहता, केवल यही हूंगा कि स्वयं सरकार ही उन प्रदेशों में हसा और मारकाट के लिये ज़िम्मेदार जहां के लिये कम्युनिस्टों को उत्तरदायी हा जाता है | मैं फिर से यह देता कि यदि इस बात की एक निष्पक्ष जांच राई जाये कि हैदराबाद हिसा और मारकाट ० =ा +-- - - म दूसरे चुनौती

अखिर निवारक निरोध अधिनियम के न्तर्गत आप उन लोगों को पकड़ते हें जिन र आपको सन्देह होता है इसमें गलती होने ~ बहुत्त सम्भावना ह + इसलिय यह ज़रूरी कि आप उनके परिवारों के भरण-पोषण - व्यवस्था करें + इसके बाद उन्होंने कहा गत तीन महीनों में सारे मामलों की पूरी रह छानबीन की गई है और बहुत कम रान नज रबन्द बाक़ी बचे हैं | इन्हें भी हली अंप्रल॰ १९५३ तक छोड़ दिया येगा इससे पहले वह यह कह चुके कि दो वर्षों में दिश्व की यः भारत - स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन होने ~ आशा नहों हॅ | फफिर आ७प संोचिय हम उनकी बात का क्या मतलब निकालें | ह हैं कि हमें स्थिति के सुधरन की शा हॅ परन्तु इस समय हमारे ऊपर तरे के बादल छाये हुय हैं| में पूछना चाहता किये ख़तरे क्या हें ? क्यों आप यह अ- ाधारण शक्ति चाहते हैं ? इसका हमें कोई उत्तर नहीं दिया जाता र्यादि आप सामन्त- शाही को ख़त्म करना चाहते हैं जैसा सौराष्ट्र के बारे में कहा जाता है तो स्पष्ट कहिय | हम आपका साथ देने के लिये तैयार हैं | मुझे आश्चर्य हैकि॰ माननीय मंत्रीा न जे ल में नज़रबन्दों की दशा को प्रशंसा को 1 वह कहते हैं कि उन्हें साधारण जनता अधिक आराम है | यह तो वैसी ही बात ई जो अंग्रेजों के राज्य में नियुक्त की गई रक सभिात्ति ने अण्डमान के बारे में कही थो | उन्होंने बहां का दौरा करके यह कहा था कि एगडभान तो स्वर्ग है| आज यह सरकार भी उसी तरह को बातें कर रही है | अन्त में में माननीय मंत्री से यह अनु- रोध कहूंगा कि वह विमति टिप्पणियों कंड एक बार पढ़ें और उन पर विचार करें कि -- मत सरएग- का ~फ ~ -~ अगले कहते

इसक बाद वरह सदन आयें और इस निवारक निरोध अधिनियम की अवधि वढ़ाने का प्रस्त्ताव करें | डा० एस॰ एन॰ ( सारन पूर्व ) हर्ष है ्ि यह एक एसा विषय हॅ जिस पर में वास्तव में अधिकृत रूप बाल सकता हूं मै आाज आपके सामन उंने लोगों को कार्यवाहियों का जिङ्र करूंग जो हमेशा लुक छिप कर काम करते हैं| म जानता हूं कि यह कार्यवाहियां किस प्रका चलाई जातीा हैं 1 अंग्रेजों के शासनकाल में मैं स्वयं छिप कर रहता था और उ समय के अनुभव से मैं बहुंत कुछ आपक बता सकता हूं जब तक आप इन चीज़ों क ठीक तरह से नहों समझेंगे ततब तक अ7 नहीं समझ सकते कि इनसे क्या क्य खतरे खड़े ह॰ सकते हैं | ब्रिटिश काल में भेरी कार्यरवाहिय केवल भारत में हा सीभित्त नहों थीं 1 केन्द्रीय तथा अन्य देशों में भी घूम गया थःः और वहां मैं न उन देशों को सर कारों स सम्पर्क स्थापित िया था भारत के साथ कुछ सहानुभूति रखते थे जिन्हें भारत के मामलों में कुछ ररुचि था तो इन छिप कर की जान वाली कार्यवाहिय को खास बात यह है कि आपको उन दे२ की सहायता बड़ी आसानी से भिल सकती जो आपके देश के मामलों में कुछ रखते हैं| अंग्रेज़ों के जमान में तो इन बा के लिय हमारे पास कुछ औचित्य था क्यों हमें विदेशी राज से छुटकारा पान के लि सब तरह की सहायता को आवश्यकता थी परन्तु आज फिर उन कार्यवाहियों का सहा लेना देश के साथ शत्रुता करना हँ हम एक स्वतन्त्र देश में रह रहे हैं औ़र लिय इन कार्यवाहियों में भाग लेना हम =" =ङा -= +="-~" ~^' = सिन्हा मुझे श्रीमान् , यह भी यू रोप खुद के

कि लोग एसा कर रहे हैं| पिछले कुछ वर्षों में मैं ने यू रोप के कई देशों का तथा भारत केप डौसी देशों का भ्रमण किया है1 मैं ततिब्बत्त भा गया था मैं न सारी स्थरात का भला भांत परीक्षणिया है और इसके अधार प२ मेरी यह सूचना है कि हमारे यहां लुक छिप कर काम करने वाले कुछ विदेशी राज्यों के साथ बहुत्त गहरा सम्पर्क बनाये हुये हैं और यह विदेशी राज्य वे हैं जो यह चाहते हैं कि हमारे यहां अव्यवस्था और अशान्ति फैल जाये यह बातें ऐसी हों्कि /जि१३े सवूत के तलिय मैं आप को ुछ कागजात ६दिवा सकूं ४[ एरन्तु यह हैं त्ल्कुल सत्य अगर अप चाहें तो मै अपको हां ले जा सकता हूं और उस कमरे तक हुंचा सकता हूं जहां बैठ कर ये लोग अपनी पारी योजनायें तैयार करते ह | यह हमारा हैकि अन्य देशों को तरह हमारे हां एसी कोई व्यवस्था नहों जिससे हम इन छपकर काम करनं वालों का पत्ता लगा कें और इनके षड्यन्त्रों को समाप्त कर कें 1 अन्त में में अाप को बताऊंगा कि श में विदेशी जासूस किस प्रकार काम कर हे हैं | इन लोगों को नवीनतम बात का झे पता लगा है और वह यह है कि इन के क बड़ नेता को जो देश में बहुत कुछ ार धाड़ अौर गड़बड़़ करवाता रहा है फिर सारे अधिकार दिये जा रहे हैं| उन का हना है॰्कि वह भरसक प्रथह्न कर रहा है र उचित्त अवसर की तलाश में है| अब ~प उसके सहायकों को देखिय इनमें छ तो पढ़ लिखे नवयुवक हें जो हमेशा तति की बातें करते हैं और कुछ करने के नाय बातें अधिक बनाते हैं उनसे कोई शेष डर नहीं है| दसरे वे हेंजो िलों और दर्भाग्य हमारे

प्रक का अन्दोलन करवाते हें तीसरी श्रे वास्तव में खतरनाक ह + येवे लोग हैं अपनी कार्यवाहियों के लिय मास्को प्रेरणा लेते हें| हमें इनकी कार्यवाहियों सदा सतर्क रहना है | इन लोंगों के पा हथियार हैं और कुछ ट्रांसमिटर भा मैं आप को यह भी बता दूं कि॰ये शस्त्र हमा राज्यों के शत्रागारों से गायब किय हुये है हम इन शस्त्रों से बहुत खतरा है और य बहुत सम्भव है कि इनसे किसी दिन कार लिया जाये | सब से ताज़ी खबर यह है वि उनके कुछ प्रविधिज्ञ टैकनीशियन ) उत्तर पथ की ओर बढ़ रहे हॅं | चीन के एक समाचार पत्र से भी एक समाचार अ१ज मिला हॅ इसके अनुसार, छिपी कार्यवाह करन का प्रशिक्षण देने वाला एक स्कल अब कन्टन में भी खुल गया हॅं| अब तक यह स्कल केवल केन्द्रीय मेंथे अब साम्यवादियों का जाल दक्षिण॰पूर्वी एशिया में भी फल रहा है | कुछ भारतीय जो कॅन्टन में गुप्तचर के काम को शिक्षा पा रहे थे अब भारत अा रहे हें| यह ह आज कल यहां की स्थिति जिससे जनता तंग आ चकीं है | लोग इतने ऋुद्ध हैं कि यदि सरकार ने इन्हें नहों दबाया तो यह स्वयं कानून को अपने हाथ में ले लेंग और इन के टुकड़ं टुकड़े कर डालेंग कोई भी अपने देश में विदेशी जासूनों का होना सहन नहों कर सकता मेरा सरकार से यहो हंरकि वह सदा सावधान रहे 4[ देश पर खतरे के बादल छाये हुय हें इस स्थिति का मुका- बला करनं के लियं निवारक निरोध अधि- नियम जसे क़ानून का लागू किया जाना बहुत अवश्यक है डा॰ कृषणस्वामीं ~ कांचीपुरभ् ) मैं उंन भाषणों की चर्चा करना नहीं चाहत यू रोप हमारे अनु रोध हमारे

के लियें चारया पांच दिन नियत कर देती थी परन्तु यहां यह भी नहीं किया गया इसके बाद हमन यह सुझाव दिया कि इस क़ानून को केवल उन क्षेत्रों लागू ्किया जाये जहां केन्द्रीोय सरकार की राय में स्थिति गम्भीर हो ' इस सुझाव पर भा सरकार सहमत्त न हो सकी 4 बात यह ह कि " हानिका रक कार्यवाही ' में तो आ१प सब प्रकार को कार्य वाहियां शामिल कर सकते हैं| यह एक बहुत व्यापक चीज़ है 1 हमें इसमें केवल एक या दे श्रेणियां रखनी चाहियें | िरेशों के सा१ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध ' और शान्ति बनाय आदि बातें इसके क्षेत्र से बाहर क देनो चाहियें फकिसी देश के साथ मित्रतापूण सम्बन्धों नागारिक द्वारा किय गय किसं "हानिकारक कार्य ' के कारण गड़बड़़ नह होे सकती शान्ति औौर व्यवस्था बनाये रखन के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब तक सरकार के पास एसा कानून नह होगा, राज्य का सुरक्षा कं" भार खतसा बना रहेगा परन्तु इसव अन्तर्गत किसी भी नागररिक को बिना किस उचित प्रमाण के पकडा जा सकता है + इ शब्दों में अस्पष्टता हू और इसका दु रुपयो होन को बहुत अधिक संभावना ह किसी भो भाषण का या किसी भी ले को लेकर इस उपबन्ध का प्रयोग किया सकता ह + मेरा कहना तो यह है ्कि या किसीः व्यक्ति के भाषण से॰ या लेख अशान्ति का खतरा है तो इसके लिय हमा यहां साधारण दण्ड विधान में उपबन हैँं ; इस निवारक निरोध अधिनियम बनाने की क्या आवश्यकता हॅ ? इ विषय पर संशोरधन को मानन इत्कार कर नदया गं्या हमारे में हो दूसरी रखना ' में एक पर्दु हमारे

के सदस्यों के ष्टकोणों का कोई ध्यान नहों रखा है और हंी उन्होंने इस कानून को गम्भीरता ` ठीक तरह से सोचने का प्रयत्न किया है | न्तु श्री शिवाराव द्वारा कही एक बात ~ मैं अवश्य उत्तर देना चाहता हूं1 उन्होंने पन भाषण में कहा कि जहां तक कांग्रेस ल का सम्बन्ध है, उसे जनता से इस कानून - पारित करने की आज्ञा मिल जुकी है रन्तु वास्तव में बात उल्टी है ांग्रस वालों ने वोट मांगते समय जनता से ह कहा था कि नागारिक स्वतन्त्रताओं ७ क्षेत्र बढ़ाया है और हम इसको आगे और का ही प्रयत्न करेंगे जनत्ता के सामन न्होंने निवारक निराध कानून के बारे ों कुछ नहों कहा था यह ठीक है कि स सदः में उनका बहुमत है परन्तु इस दन के अतिरिक्त हमारी जिम्मेदारियां ननता के प्रत्ति भी हें और हमें हमेशा उनके विचारों का ध्यान में रखना हागा हमें देखना होगा कि क्या यह कानून वारतव में आवश्यक है यदि आवश्यक हं तो कितने सभय के लिय ी हमें इन सारा बात्तों र विचार करके ही निश्चय करना चाहिये प्रधान मंत्री नः जिब यह घोषणा को्कि प्रवर सभिति में मूल अधिनियम परभी विचार हो शकता है और उसमें आवशयक संशोधन किय जा सकते हें तो हमें बहुत आशायें हुई थं ककि शायद हमारी बातों को वहां ध्यान में रखा जायगा परन्तु ऐसा नहीं हुआा और सारे के सारे संशोधन अस्वीकृत कर दिये गये हमारा यह संशोधन भी ठुकरा ददिया गया कि इस कानून को केवल एक वर्ष के ललिय लागू किया जाये र्यादि बाद में भी स्थिति ऐसी ही हो तो सरकार के समक्ष फिर आये और इसकी अवधि त=ा क॰ मांग करे| इंग्लैंड में र्भ यद्न काल बिल्कुल हमने ढ़ान हमारे संसद्

अच मैं संशोधन िध यक को कुछ ाराओं के बारे में कहूंगा धारा ७ में ज़रतन्द को उसकी नज़रबन्दो के अाधार दये जाने के हक को चचां की गई है| इस बारे में यह अपत्ति उठाई गई थो कि १ ज़ रबन्द को उसका नज़रबन्दा के अाधर तलाना हो पर्याप्त नहों है बल्कि उप्ते ामले से सम्बन्धित सारी सूचना भी॰ दी नाना जिसते वह उचित प्रकार से भ्यावेदन कर सके परन्तु धारा ७ २) अनुसार नज़रबन्द करने वाले अधिकारी 5ो यह कहन का अधिकार है कि॰अमुऊ चना का देना लोक हित में न होगा | इप्त र्क को औचित्य मानते हुये भी मै यह कहना गाहता हूं ्कि इस उपबन्ध के द्वारा अधिकारो- ण इसका दुरुपयोग हो अधिक करेंग -. समझत्ा ठू क यह उपबन्ध ः 1 आखिर नजरबन्द को सारे आधार तो ताय जाने चाहियें ताकि वह अपनो सफाई सके | सभापत महादय + माननीय सदस्य कतना समय और लेंगे ? डा० कृषणस्वामों : मैं दस पन्द्रह मिनट गौर लंगा सभापति महदय : तो अाप अब कल ललियगा दूसरे चाहिये अनुचित

श्रीमान् , मुझ राज्य परिषद् के सचिव महोदय से प्राप्त निम्नलिखि सन्देश को सूचना देनी है : "मुझे लोक-्सभा को सूचचित्त करना कि राज्यन्पा रिषद् न अपना ? अगर १९५२ का बैठक में निम्नलिखित विधयक का, जिन्हें लोक सभा न अपना १७ २३, २८ अर २९ १९५२ की बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के स्वाकार कर ललिया हॅ : १ . भारताय पत्तन संशोधन ) विध यक, १९५२ २. केन्द्रीय चाय पर्षद् ( संशोधन ) विधेयक , १९५२ 1 ३. केन्द्रीय रेशम ( संशोधन विध यक, १९५२ | ४ . लेख्यन्प्रमाणक विधयक, १९५२ " इसकें पश्चात सदन को बैठक शनिवार २ अगस्तः १९५२ क सवा आठ बज तक के लिये स्थगित हा गरई 1 जुलाई, पर्षद्